खण्ड-110, अंक-4
गुरूवार, 3 आश्विन, शक संवत् 1874
(25 सितम्बर, 1952 ई0)

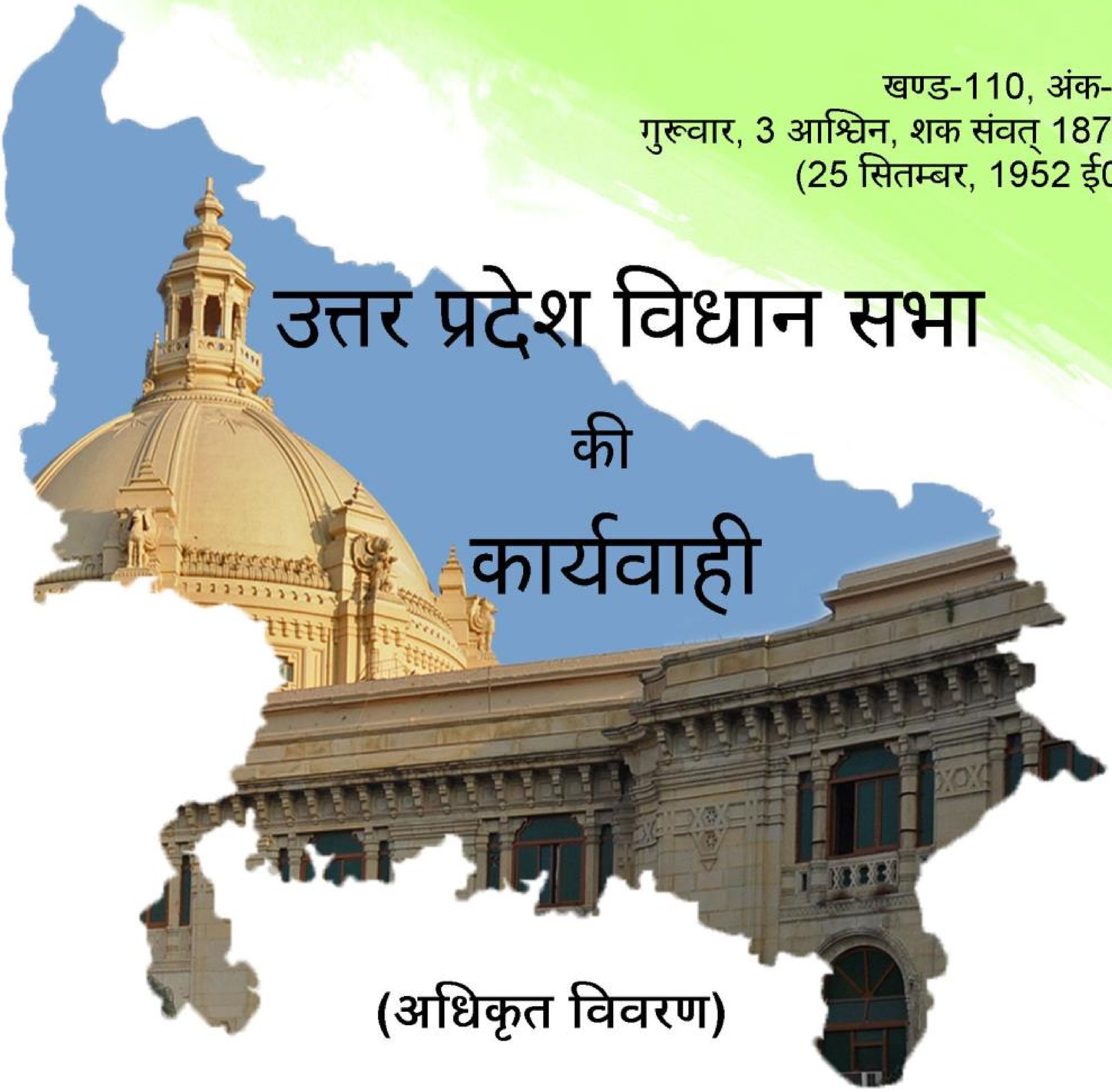

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 110 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २५ सितम्बर, १९५२

विधान सभा की बैठक, सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६२)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्त स्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुर रऊफ खां, श्री
अमरेश चन्द्र पान्डेय, श्री
अमृत नाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवध शरण वर्मा, श्री
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
ईसरारुल हक़, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
एजाज रसूल, श्री
कन्हैया लाल वाल्मीकी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करण सिंह यादव, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
काली चरण टन्डन, श्री
काशी प्रसाद पान्डेय, श्री
किन्दर लाल, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृपा शंकर, श्री
कृष्ण चन्द्र गुप्त, श्री
कृष्ण चन्द्र शर्मा, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पान्डेय, श्री
केशव राम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयाली राम, श्री
खुशीराम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जू राम, श्री
गणेश चन्द्र काछी, श्री
गणेश प्रसाद जायसवाल, श्री
गणेश प्रसाद पान्डेय, श्री
गिरजा रमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरु प्रसाद पान्डेय, श्री

गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासी राम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्र भानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चित्तर सिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजी लाल जाटव, श्री
चिरंजीव लाल पालीवाल, श्री
चुन्नी लाल सगर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जुगल किशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
टीका राम, श्री
डल्ला राम, श्री
डाल चन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलसी राम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयाल दास भगत, श्री
दर्शन राम, श्री
दल बहादुर सिंह, श्री
दाऊ दयालु खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीन दयालु शर्मा, श्री
दीन दयालु शास्त्री, श्री
दीननारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देव दत्त शर्मा, श्री
देव मूर्ति राम, श्री
देव राम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारिका प्रसाद पान्डेय, श्री
धनुष धारी पान्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्द कुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवल किशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण दीन, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेक राम शर्मा, श्री
नेत्र पाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पाती राम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दन राम, श्री
पुलिन विहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभू दयाल, श्री
फजलुल हक, श्री

फतेह सिंह राणा, श्री
बद्री नारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास मिश्र, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्त लाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबू नन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबू लाल, कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मित्तल, श्री
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती दीन तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवान दीन मिश्र, श्री
भगवान दीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मदन मोहन उपाध्याय, श्री
मन्नी लाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
मही लाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरवान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुन्नू लाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्म नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रतन लाल जैन, श्री
रमेश चन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राज किशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवन्शी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
राम अनन्त पाण्डेय, श्री
राम अवध सिंह, श्री
राम किंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
राम चन्द्र विकल, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
राम दास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

राम दुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
राम नाथ तिवारी, श्री
राम नारायण त्रिपाठी, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
राम प्रसाद नौटियाल, श्री
राम प्रसाद, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राम भजन, श्री
राम रतन प्रसाद, श्री
राम राज शुक्ल, श्री
राम लखन, श्री
राम लखन मिश्र, श्री
राम लाल, श्री
राम शंकर द्विवेदी, श्री
राम शंकर रविवासी, श्री
राम सनेही भारतीय, श्री
राम सहाय शर्मा, श्री
राम सुन्दर पाण्डेय, श्री
राम सुन्दर राम, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
राम हरख यादव, श्री
राम हेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मण दत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मण राव कदम, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लतीफत हुसैन, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लाल बहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अग्रवाल, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेख राज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजय शंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वम्भर नाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु दयाल वर्मा, श्री
विष्णु शंकर दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री,
वीरेन्द्र नाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
वीरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रज विहारी मिश्र, श्री
व्रज विहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भू नाथ चतुर्वेदी, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार पाण्डेय, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिव दान सिंह, श्री
शिव नाथ काटजू, श्री
शिव नारायण, श्री
शिव पूजन राय, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल, श्री
शिव मंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिव राम पाण्डेय, श्री
शिव राम राय, श्री
शिव वक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव बचन राव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुक देव प्रसाद, श्री
शुगन चन्द, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
श्याम लाल, श्री
श्यामा चरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री

सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सत्यानन्द, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुन्दर लाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी, श्री
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्य प्रसाद अवस्थी, श्री
सेवा राम, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखपाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र बाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुना, श्री
होती लाल दास, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

बकिंघम और कर्नाटक मिल के कपड़ों का कोटा

* १—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि हमारे प्रान्त को जो बकिंघम और कर्नाटक मिल (मद्रास) का कपड़ा मिलता है वह महज ५ जिलों को ही दिया जाता है ?

यदि हां, तो और जिलों को क्यों नहीं दिया जाता है ?

अन्न मन्त्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)—बकिंघम और कर्नाटक मिल (मद्रास) का कपड़े का कोटा राज्य के केवल ५ जिलों को ही नहीं दिया जाता बल्कि राज्य के ९ जिलों को दिया जाता है जिनमें कानपुर, लखनऊ, आगरा, बनारस, इलाहाबाद, देहरादून, बरेली, झांसी और मेरठ सम्मिलित है। ये मिल अपनी ईमानदारी के लिये प्रसिद्ध हैं। अतः इन्हीं के कहने के अनुसार इनका कोटा उन्हीं व्यापारियों को दिया जाता है जो कपड़े के नियन्त्रण के पूर्व इनसे कपड़ा लेते रहे हैं।

श्री उमाशंकर—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि बकिंघम और कर्नाटक मिल का कपड़ा अच्छा तथा सस्ता होता है ?

श्री बनारसी दास—जी हां।

* २—श्री उमाशंकर—क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि उक्त मिलों के कपड़े का कोटा इस राज्य का कितना है ?

श्री बनारसी दास—उक्त मिलों का कोटा इस राज्य के लिये १०० गांठ प्रतिमाह का है, परन्तु वास्तव में केवल ८० ही गांठें आती थीं। अब यह कोटा केवल २० गांठों का ही रह गया है, क्योंकि मिलों का ८० प्रतिशत उत्पादन उनको अपने स्वेच्छानुसार व्यापारियों को बेचने के लिये छोड़ दिया गया है।

श्री उमाशंकर---क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि उक्त मिलों का जब सौ गांठ कोटा था तब ८० ही क्यों आता था ?

श्री बनारसी दास---यह तो उत्तर दिया जा चुका है कि १०० गांठ का कोटा अवश्य था लेकिन ८० ही गांठ मिलता था । कठिनाई के कारण मिलें इससे ज्यादा नहीं दे सकती थीं ।

अलीगढ़ में नये म्युनिसिपल चुनाव

*३---श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)---क्या सरकार अलीगढ़ में नये म्युनिसिपल चुनाव को स्थगित करने का इरादा रखती है ?

स्वशासन मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)---इस सम्बन्ध में सरकार ने अन्तिम रूप में अभी कुछ निर्णय नहीं किया है ।

श्री कमला सिंह---क्या सरकार यह बतलायेगी कि सरकार अलीगढ़ म्युनिसिपैलिटी को जब्त करने जा रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)---जब्त करने का सवाल कोई नहीं होता, सुपरसीड करने का होता है । लेकिन अभी कोई आखिरी फैसला नहीं है ?

लखनऊ में छूतछात अस्पताल के निकट के नाले में धोबियों का कपड़ा धोना

*४---श्रीमती सज्जन देवी महनोत (जिला गोंडा)---क्या सरकार को यह मालूम है कि बहुत से धोबी लखनऊ में उस नाले में कपड़ा धो रहे हैं जोकि छूतछात के अस्पताल के निकट हैं ?

श्री मोहन लाल गौतम---छुआछूत के अस्पताल के निकट जहां बरसात में पानी इकट्ठा हो जाने पर धोबी कपड़ा धोते हैं कोई नाला नहीं है ।

*५---श्रीमती सज्जन देवी महनोत---क्या सरकार को यह मालूम है कि शहर के गन्दे पानी का वह नाला गोमती में ले जाता है और उस छुआछूत अस्पताल की नालियों का पानी भी उसी नाले में जाता है ?

श्री मोहन लाल गौतम---प्रश्न नं० ४ में जिस नाले का जिक्र है वह असल में एक नीची जमीन है जहाँ बरसात में पानी इकट्ठा हो जाता है । वह न तो शहर के गन्दे पानी को गोमती में ले जाता है और न उसमें छुआछूत अस्पताल की नालियों का पानी ही जाता है ।

बस्ती जिले में राजकीय कृषि फार्म

*६---श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि बस्ती जिले में कोई सरकार द्वारा संचालित कृषि फार्म है ?

कृषि उपमंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)---जी नहीं ।

श्री रामकुमार शास्त्री---क्या सरकार बस्ती कृषि प्रधान जिले में सरकारी कृषि फार्म खोलने के लिये विचार कर रही है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---जब हम कोई भी नया कृषि फार्म किसी जिले में खोलेंगे तो उसमें बस्ती का बहुत खास ध्यान रखेंगे ।

तारांकित प्रश्न

*१-३---श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)---[२३ सितम्बर, १९५२ को संख्या १५--१७ के अन्तर्गत उत्तर दिये गये]।

हरिजनों के लिये मुंसिफ के पदों पर स्थानों का सुरक्षण

*४--श्री पुत्तूलाल (जिला आगरा)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में मुंसिफ के पद पर कार्य करने वाले कुल कितने मुलाजिम हैं और उनमें से कितने व्यक्ति हरिजन वर्ग के हैं ?

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)--इस समय मुंसिफ के पद पर कार्य करने वालों की कुल संख्या १३१ है जिसमें तीन व्यक्ति परिगणित जाति के हैं।

*५--श्री पुत्तूलाल--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गत वर्ष कुल कितने मुंसिफ लिये गये ? कितने स्थान हरिजनों के लिये सुरक्षित थे और कितने स्थानों की पूर्ति हरिजनों द्वारा की गई ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--१९५१ में ली गई परीक्षा के आधार पर २७ मुंसिफों की भर्त्ती की गई । परिगणित जाति के उम्मीदवारों के लिये कोई स्थान सुरक्षित घोषित नहीं किया गया । फिर भी परीक्षाफल आने पर पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा स्वीकृत परिगणित जाति के एक उम्मीवार को नियुक्त कर दिया गया है। उससे ज्यादा नियुक्ति करने में सरकार असमर्थ रही, क्योंकि कोई और ऐसा उम्मीदवार कमीशन की फेहरिस्त में नियुक्ति के योग्य नहीं था।

श्री पुत्तूलाल--क्या माननीय मुख्य मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जब प्रत्येक विभाग में १० प्रतिशत का रिजर्वेशन हरिजनों के लिये है तब उसको घोषित क्यों नहीं किया गया ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--यह जगहें अस्थायी थीं, परमानेन्ट नहीं थीं, टेम्पोरेरी थीं। इसलिये घोषित नहीं की गईं। मगर मेरा ख्याल यह है कि घोषित होनी चाहिए थीं। जब मुझे मालूम हुआ कि घोषित नहीं हुई और लिस्ट मेरे पास आई तो मैंने सबसे पहले हरिजनों को रखना चाहा। लेकिन एक ही ऐसा आदमी मिला जोकि क्वालीफाइड था और वह रख लिया गया तो घोषित न होने से कोई हानि नहीं हुई। मगर अच्छा होता अगर घोषित हो जातीं।

श्री पुत्तूलाल--क्या माननीय मुख्य मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि हरिजनों का कोटा पूरा करने के लिये वह क्या सोच रहे हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--जब एक साल कम रहते हैं तो दूसरे साल कोटे से ज्यादा हरिजनों को रखा जाता है। अगर उम्मीदवार मिलते हों और क्वालीफाइड हों तो वह रख लिये जाते हैं। इसके अलावा हरजिनों को उच्च शिक्षा के लिये हम एल० एल० बी० वगैरह के लिये काफी वजीफे देते हैं।

श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़)--क्या माननीय मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मुंसिफी की नियुक्ति के लिये जो दो साल की प्रैक्टिस होना अनिवार्य है, हरिजनों के लिये उस प्रतिबन्ध को हटाने का सरकार विचार कर रही है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--मैं चाहता हूं कि हरिजन ऊंची से ऊंची जगह पर पहुंच सकें लेकिन उनकी टांग बांध कर दौड़ में खड़ा करना उनके हित की बात नहीं है।

*६--श्री पुत्तलाल--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गत वर्ष उत्तर प्रदेश की मुंसिफी की प्रतियोगिता परीक्षा में कुल कितने परीक्षार्थी बैठे ? उनमें से हरिजन वर्ग के कुल कितने परीक्षार्थी थे ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--गत वर्ष मुंसिफी परीक्षा में कुल ४७५ परीक्षार्थी बैठे जिनमें से केवल ६ ही परिगणित जाति के थे। इन ६ में केवल दो ही उम्मीदवार इन्टरव्यू के योग्य निकले और उनमें से भी केवल एक इन्टरव्यू में उपस्थित था जिसको नियुक्त किया गया है।

सरकारी सचिवालय की चिकित्सा ब्रांच में अस्थायी असिस्टेंट सेक्रेटरी का पद निर्माण

*७---श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी की सरकारी सचिवालय की चिकित्सा ब्रान्च में अस्थायी रूप से किसी असिस्टेन्ट सेक्रेटरी के पद का निर्माण किया गया था ? यदि हां, तो कितने समय के लिये ?

*८---क्या यह सच है कि इस पद की अवधि समय-समय पर चार-चार मास के लिये बढ़ायी गई ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---१७ जनवरी से १५ मई, १९५१ तक, उसके बाद से ३० मई से ३० सितम्बर तक, १६ अक्टूबर, १९५१ से १५ फर्वरी, १९५२ तक तथा १ अप्रैल से ३१ जुलाई, १९५२ तक, मेडिकल ब्रान्च में असिस्टेन्ट सेक्रेटरी की नियुक्ति की गई। जरूरत के मुताबिक ऐसा किया गया।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या माननीय मुख्य मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि असिस्टेन्ट सेक्रेटरी की नियुक्ति समय-समय पर किस लिये की गई ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---असिस्टेंट सेक्रेटरी की नियुक्ति असिस्टेन्ट सेक्रेटरी की कमी पूरी करने के लिये की गई।

सीतापुर जिले में किसानों का चीनी मिलों पर बकाया रुपया

*९---श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कितने मन गन्ने का दाम सीतापुर जिले की प्रत्येक मिल के जिम्मे किसानों को अदा करना शेष है और यह रुपया कब तक किसानों को मिल जायगा ?

उद्योग मंत्री के सभा सचिव (श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी)---सीतापुर जिले की प्रत्येक मिल के पास १५ अगस्त, १९५२ तक निम्नलिखित गन्ने का दाम जो किसानों को अदा करना है, शेष था :

मिल का नाम	गन्ने का परिमाण (मनों में)	गन्ने का दाम (रुपया)
१---हरगांव	१९,७५,३७२	३१,७६,८९३
२---महोली	७,२१,७२८	१२,३२,६८८
३---बिसवां	४,८४,२०२	७,५९,१८७

इस बात का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है कि शेष रुपया का भुगतान काश्तकारों को शीघ्रातिशीघ्र करा दिया जाय।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या सरकार शीघ्रातिशीघ्र के बजाय कोई निश्चित अवधि नियत करने के लिये कृपा करेगी ताकि काश्तकारों को रुपया प्राप्त हो, क्योंकि गन्ने की नयी फसल भी शीघ्रातिशीघ्र आने वाली है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—कोई तारीख मुकर्रर करना तो मुश्किल है लेकिन इसका इन्तजाम किया गया है कि मिलें, जो रकम दे रही हैं, मलसन् हरगांव मिल ४० हजार रुपया दे रही है, इसी तरह से महोली और दूसरी मिलें दे रही हैं, उम्मीद यह की जाती है कि इस महीने के आखिर तक यह रकम बहुत कम रह जायेगी । हरगांव मिल की रक़म २ लाख तक रह जायेगी और इसी तरह से और मिलों की रह जायगी ।

गोरखपुर ज़िले में पाइलेट प्रोजेक्ट पर व्यय

*१०—श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले में पाइलेट प्रोजेक्ट में आज तक कितनी धनराशि व्यय की गई और क्या काम किया गया ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—अब तक २,९१,००३ रुपया व्यय हुआ है । अच्छे बीज और उन्नति कृषि विधि की व्यवस्था की गई । पशुओं की नस्ल सुधारने के लिये उत्तम पशु दिये गये । सार्वजनिक स्वास्थ्य, एन्टी मलेरिया और प्रारम्भिक शिक्षा का कार्य किया गया । सिंचाई की नहर, बांध, हरिजनों के मकान और सड़क बनाई गई । पूरा ब्योरा इसके साथ रिपोर्ट में है ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३३५ पर)

श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी—क्या सरकार कृपा करके सम्बन्धित सूची को इस सदन के सामने पढ़ने की कृपा करेगी ?

अध्यक्ष—यह बहुत लम्बी सूची है । इसमें से अगर आप कुछ पूछना चाहते हों तो पूछ सकते हैं ।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—इजाजत हो तो मैं पढ़ना पसन्द करूंगा ।

अध्यक्ष—लेकिन इसमें समय लगेगा । दूसरा सवाल वह पूछ सकते हैं ।

श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी—पायलेट क्षेत्र में जिन किसानों को उत्तम प्रकार के बीज दिये गये हैं क्या उन क्षेत्रों में ए० पी० स्कीन जारी की गई है और लोगों को लोन और तकावी दी गई या नही ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—ए० पी० स्कीम का इसमें सवाल नहीं था, पायलेट प्रोजेक्ट का सवाल था ।

श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो सड़क इस संलग्न सूची में दी गई है वह कितनी लम्बी है और कहां से कहां तक गई है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—इसकी लम्बान तो सूची में दी गई है और किस जगह से कहां तक वह तो शायद आपको ज्यादा मालूम होगा बमुकाबिले मेरे ।

श्री रामजी सहाय (जिला देवरिया)—क्या सरकार को ज्ञात है कि इस वर्ष जो जड़हन का बीज किसानों को दिया गया है उसमें फूल आने के बाद यह ज्ञात हुआ कि वह अरली पेड़ी है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—यह पायलेट प्रोजेक्ट की बात नहीं है वहां से मालूम किय जायगा कि ऐसा हुआ है या नहीं ।

*११—श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उक्त धनराशि में से कितना धन अधिकारियों के भत्ते और तनख्वाहों में खर्च किया गया ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—अधिकारियों के भत्ते और वेतन में १,२९,७५८ रुपया व्यय हुआ ।

*१२-१४—श्री रमेश वर्मा (जिला आगरा)—[९ अक्तूबर, १९५२ के लिए स्थगित किये गए ।]

*१५-१७--श्री राज वंशी (जिला देवरिया)--[२३ अक्तूबर, १९५२ के लिए स्थगित किए गए।]

बस्ती जिले की गृह-निर्माण समिति

*१८--श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिला के अन्तर्गत कोई हाउसिंग सोसाइटी है ?

सहकारिता उपमंत्री (श्री मंगला प्रसाद)--जी हां।

श्री शिवनारायण--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उस हाउसिंग सोसाइटी में सरकार का भाग है ?

श्री मंगला प्रसाद--सरकार का इसमें कोई भाग नहीं है।

*१९--श्री सुलतान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)--(अनुपस्थित)-- [देखिए आगे पृष्ठ २८२ पर]

*२०-२१--श्री इस्तफ़ा हुसैन (जिला गोरखपुर)--[२३ अक्तूबर, १९५२ लिए स्थगित किए गए।]

गवर्नमेंट हैण्डलूम स्टोर्स से बुनकरों को करघा उद्योग की उन्नति में सुविधाएं

*२२--श्री इस्तफ़ा हुसैन--क्या उद्योग मन्त्री बतलायेंगे कि गवर्नमेंट हैंडलूम स्टोर्स से बुनकरों को करघा उद्योग की उन्नति में क्या-क्या सुविधायें मिलती हैं ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--गवर्नमेंट हैन्डलूम उत्पादन केन्द्रों से बुनकरों को करघा उद्योग उन्नति में निम्नलिखित सुविधायें मिलती हैं :--

(१) सूत वितरण करके सामूहिक उत्पादन करवाना। बुनाई के रूप आर्थिक आय प्रदान करना।

(२) इम्प्रूव्ड एलायन्स एवं सस्ती कलों का आविष्कार करना।

(३) वर्तमान रुचि के अनुकूल नमूने बनाना। उत्पादन के स्तर को निश्चय करना तथा इनके हेतु क्रियात्मक शिक्षा देना।

(४) तैयार माल की बिक्री का प्रबन्ध करना।

श्री इस्तफ़ा हुसैन--क्या सरकार को मालूम है कि हैंडलूम स्टोर जो सरकार का है उसमें जो माल तैयार किया जाता है उसकी शरह प्राइवेट लोगों के यहां बनाये गये माल से कम दी जाती है ?

श्री हुकुम सिंह--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री इस्तफ़ा हुसैन--क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि वह एम्प्रूव्ड इम्प्लीमेंट और मशीन कौन हैं जो स्टोर के जरिये से ईजाद की गई हैं ?

श्री हुकुम सिंह--हैंडलूम।

श्री इस्तफ़ा हुसैन--मैं कल और मशीन जानना चाहता हूं।

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--बनारस के इन्स्टीटयूट ने जो फलश और लोनों की मशीन बनाई थी वह उनको दी गई है और कुछ साड़ियों के नमूने बनाये गये थे वह दिये गये हैं। बार्डर के नमूने भी कुछ निकले हैं वह दिये गये हैं जो ८, ९ हैं। इस साल १५९ नमूने कुल मिलाकर निकाले गये जो और जगहों पर भी सिखलाये जा रहे हैं। कुल २ हजार ऐसे नमूने और मशीनें अभी तक इसके जरिये से तकसीम हुयी हैं।

श्री इस्तफ़ा हुसैन---क्या सरकार कृपा करके बतावेगी कि उसको मालूम है या नहीं कि गवर्नमेंट हैन्डलूम स्टोर्स में काफी तादाद में बैण्डज १ लाख के करीब पड़ी हुई हैं जिनकी निकासी अभी नहीं हुई है ?

श्री हुकुम सिंह---इसकी कोई नोटिस नहीं है।

इटावा जिले में भुइयांपुर गांव को नियोजित ढंग पर बसाने के लिए सरकार द्वारा दी गई धनराशि

*२३---श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इटावा जिले में भुइयांपुर गांव, तहसील औरैया को नियोजित ढंग पर बसाने के लिए सरकार ने कितना रुपया दिया और यह रुपया किस योजना के अन्तर्गत दिया गया ? क्या सरकार को पता है कि यह गांव अभी नहीं बन पाया ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---सत्तर हजार रुपया (७०,००० रु०) दिया गया। इसमें से बीस हजार हरिजनों के मकानों के वास्ते था और पचास हजार सभी ग्रामवासियों के मकानों के पुनः निर्माण के लिये बिना ब्याज तकावी के रूप में था। हां, निर्माण का काम आधे से ज्यादा हो चुका है, बाकी चल रहा है।

श्री गजेन्द्र सिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि निर्माण कार्य कब से शुरू हुआ है और कब तक समाप्त हो जायगा ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---जब बाढ़ आई थी तब यह रुपया दिया गया था और उसके बाद कुछ मकान बह गये थे तो इसलिये कि नये मकान बन जायं वहां गांव की कोआपरेटिव को २० हजार रुपया दिया गया था और ५० हजार मकानों के लिये दिया गया था और कुछ अर्सा हुआ १८ मकान बन गये थे और १८ अभी पूरे नहीं बने हैं।

श्री गजेन्द्र सिंह---मैं जानना चाहता हूं कि कौन से सन् में वह दी गई थी ?

अध्यक्ष---सन् मालूम होता तो उत्तर मिल जाता, लेकिन उन्होंने बाढ़ का समय बतला दिया है।

श्री गजेन्द्र सिंह---यह तकावी कब से वसूल की जायगी और अभी कोई किस्त वसूल की गई या नहीं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---तकावी दस साल में बिना सूद वसूल की जायगी, मुझे जहां तक मालूम है अभी कोई वसूली नहीं हुई है लेकिन यकीनन मैं नहीं कह सकता।

श्री गजेन्द्र सिंह---क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि जो रुपया सरकार से दिया गया है वह दूसरे कामों में खर्च हो गया है और निर्माण कार्य में इस वजह से देर हो रही है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---रुपया वहां की कोआपरेटिव सोसाइटी को दिया गया था और अगर उसने दूसरे काम में व्यय किया तो गलत बात की।

इटावा जिले में महेवा पाइलेट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत रमपुरा ग्राम में हैदराबाद हाउस का निर्माण

*२४---श्री गजेन्द्र सिंह---क्या सरकार को ज्ञात है कि इटावा जिले में महेवा पाइलेट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत रमपुरा ग्राम में हैदराबाद हाउस बनवाया गया था ? यदि हां, तो इसके बनाने में कितना रुपया खर्च हुआ ? क्या सरकार को पता है कि बनने के १५ दिन के बाद यह मकान गिर गया ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---जी हां। खर्च का ठीक ब्योरा मालिक मकान के पास होगा। सरकार का कुछ खर्च नहीं हुआ। जबकि मकान बन ही रहा था मूसलाधार वर्षा के कारण उसकी छत गिर गई।

श्री गजेन्द्र सिंह---क्या मंत्री जी कृपा करके बतावेंगे कि उस गांव में हैदराबाद हाउस बनाने की क्या आवश्यकता थी ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---यह वहां के मालिक मकान बतावेंगे जो इसको बना रहे थे

आगरे में जूते का व्यवसाय

*२५---श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)---क्या सरकार को विदित है कि आगरे में जूते का व्यवसाय विशृंखलित हो जाने के कारण हजारों कारीगर एक अर्से से बेकार हैं ? क्या सरकार उनकी सहायता करने की कोई योजना बनायेगी ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री---जी हां, परन्तु बेकार कारीगरों की ठीक संख्या का पता नहीं है। इस व्यवसाय की उन्नति तथा कारीगरों को बेकारी से बचाने के लिये सरकार यथाशक्ति प्रयत्न कर रही है। कारीगरों की समितियां बनाई जा रही हैं जिनको अनुदान और ऋण देने का प्रबन्ध किया गया है। ऐसी तीन समितियां बन चुकी हैं जिनको २७,००० रुपया दिया जा चुका है। इन समितियों ने पिछले साल डेढ़ लाख रुपये से अधिक के मूल्य के जूते बनाये। सरकार ने आगरे में क्वालिटी मार्किंग योजना भी चालू कर दी है जिसकी देखभाल में पिछले वर्ष साढ़े तीन लाख रुपये से अधिक का माल बना था।

श्री देवकीनन्दन विभव---क्या मंत्री जी यह बतावेंगे कि क्वालिटी मार्किंग स्कीम में जो माल बना वह आगरे की प्रोडक्ट का कितने परसेंट था?

श्री हुकुम सिंह---ठीक औसत नहीं बतलाया जा सकता, लेकिन वह बहुत कम था।

श्री देवकीनन्दन विभव---क्या मंत्री जी को मालूम है कि यह माल एक फीसदी से भी कम था और यह योजना आगरे में कोई सफलता प्राप्त नहीं कर रही है ?

श्री हुकुम सिंह---मैं नहीं कह सकता कि वह एक प्रतिशत से कम था लेकिन धीरे-धीरे तरक्की होगी। एक दफा बिगड़ जाने के बाद एक दम से अच्छा नहीं हो सकता।

श्री देवकीनन्दन विभव---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि मई या जून के महीने में जो लेदर सुपरिन्टेंडेंट आगरा गये थे उन्होंने कोई रिपोर्ट पेश की थी और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हुकुम सिंह---वे गये थे और उन्होंने तहकीकात की है, लेकिन अभी रिपोर्ट गवर्नमेंट में आयी नहीं है। आने पर उस पर विचार किया जायगा।

*२६---श्री देवकीनन्दन विभव---क्या उद्योग मन्त्री को यह विदित है कि उत्तर प्रदेश के सब से बड़े गृह उद्योग आगरे के जूते के व्यवसाय से कोई ७५,००० कारीगर और उसके आश्रित लोग बेकार हो गये हैं और उनमें से बहुतसे छोड़ कर पाकिस्तान या दूसरे प्रदेशों को चले जा रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार इस परिस्थिति का सामना करने के लिए क्या सोच रही है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री---जी हां, परन्तु बेकार कारीगरों की तथा आगरा छोड़ कर जाने वालों की ठीक संख्या का पता नहीं है। इस व्यवसाय की उन्नति तथा कारीगरों को बेकारी से बचाने के लिये सरकार यथाशक्ति प्रयत्न कर रही है। कारीगरों की समितियां बनाई जा रही हैं जिनको ऋण तथा अनुदान देने का प्रबन्ध किया गया है। सरकार ने आगरे में क्वालिटी मार्किंग योजना भी चालू कर दी है।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)---क्या सरकार को यह भी मालूम है कि बेकारी का कारण एक यह भी है कि बहुत सा चमड़ा इस प्रान्त का बर्बाद हो जाता है ?

श्री हुकुम सिंह---यह नहीं मालूम है सरकार को।

श्री देवकीनन्दन विभव---क्या माननीय मंत्री जी को यह विदित है कि आगरे के जूते के लिये एशिया में काफी मार्केट है, लेकिन मारकेटिंग की व्यवस्था न होने की वजह से वहां माल नहीं जा रहा है ?

श्री हुकुम सिंह--हां, लेकिन माल जरा गड़बड़ बन रहा है, इसकी वजह से बड़ी दिक्कत

श्री हरदयाल सिंह पिपल--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आगरे में अब तक जूते के कारीगरों की कितनी समितियां बन गयी हैं ?

श्री हुकुम सिंह--इसका जवाब तो पिछले सवाल में दिया जा चुका है ।

श्री पातीराम (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सरकार आगरे में अपनी तरफ से जूते का कारखाना चालू करने के लिये कोई विचार रखती है ?

श्री हुकुम सिंह--अपनी तरफ से जूते का कोई कारखाना सरकार नहीं खोलना चाहती है ।

आगरे का कालीन उद्योग

*२७--श्री देवकीनन्दन विभव--क्या उद्योग मन्त्री को मालूम है कि आगरा से एक बड़े तादाद में कालीन हिन्दुस्तान से बाहर जाते थे ? क्या सरकार इस उद्योग को उन्नत करने के लिए कोई प्रयत्न कर रही है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--(अ) जी हां ।

(ब) जी हां, इस उद्योग की उन्नति करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

परिगणित जातियों में से मुन्सिफों की नियुक्ति

*२८--श्री पातीराम--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि १९४९-५० और १९५१ ई० में कितने मुंसिफ परिगणित जातियों में से चुने गये हैं और कितनी जगहें उनके लिए सुरक्षित थीं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--

परीक्षा का वर्ष	नियुक्ति किये गये परिगणित जाति के मुंसिफों की संख्या	परिगणित जाति के उम्मीदवारों के लिये सुरक्षित स्थान	टिप्पणी
१९४९	कोई नहीं	कुल १८ रिक्त स्थानों में से २	परिगणित जाति का कोई भी उम्मीदवार नियुक्ति के लिये निर्धारित योग्यता के स्तर तक नहीं पहुंच सका । दोनों जगहें आगामी वर्ष में पूर्ति के लिये छोड़ दी गईं ।
१९५०	१	कुल १० रिक्त स्थानों में से ३ जिनमें से २ पिछले वर्ष के थे	परिगणित जाति के केवल एक ही उम्मीदवार ने नियुक्ति के लिये आवश्यक योग्यता प्राप्त की ।
१९५१	१	कोई नहीं	परिगणित जाति के केवल एक उम्मीदवार ने नियुक्त के लिये आवश्यक योग्यता प्राप्त की । भर्ती अस्थायी तौर से की गई है ।

श्री पातीराम--क्या सरकार नियुक्तियों के संबंध में बतलाये गये इस वर्ष के कोटे को अगले वर्ष पूरा करने का विचार रखती है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--हां ।

*२९--३०--श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)-(अनुपस्थित)--[देखिए आगे पृष्ठ २८२ व २८३ पर]

*३१--श्री शिवराम राय (जिला आजमगढ़)--[२३ अक्तूबर, १९५२ के लिये स्थगित किया गया।]

*३२--श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)-(अनुपस्थित)--[देखिए आगे पृष्ठ २८३ पर]

सामूहिक विकास योजना के अन्तर्गत लिए गए शिक्षार्थियों में हरिजन तथा पिछड़ी जातियों के कर्मचारियों की संख्या

*३३--श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि भारतीय अमेरिकन टेक्निकल सहयोग के अन्तर्गत होने वाली सामूहिक विकास योजना के अन्तर्गत इस प्रान्त से कितने शिक्षार्थी विभिन्न योजना विभागों से लिये गए हैं और उनकी संख्या प्रत्येक विभाग से क्या है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--भारतीय अमेरिकन टेक्निकल सहयोग के अन्तर्गत होने वाली विकास योजना के शिक्षण एवं प्रसार केन्द्र बक्शी के तालाब के प्रथम शिक्षण शिविर में इस प्रान्त के विभिन्न विकास विभागों से निम्न प्रकार से शिक्षार्थी लिये गये :-

१--गन्ना विकास विभाग	.. ६
२--कृषि विभाग	.. १०
३--पंचायतराज विभाग	.. ९
४--शिक्षा विभाग	.. ८
५--प्रान्तीय रक्षा दल	.. २
६--स्वास्थ्य विभाग	.. २

*३४--श्री गंगा प्रसाद--क्या यह सत्य है कि इस योजना के अन्तर्गत कोई भी हरिजन या पिछड़ी हुई जाति का व्यक्ति नहीं लिया गया ? यदि नहीं लिया गया तो क्यों ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--जी हाँ। इस शिविर का चुनाव केवल विभिन्न विकास वैभागिक कर्मचारियों से सीमित रखा गया था और वहाँ हरिजन अथवा अन्य पिछड़ी जातियों के कर्मचारी उपलब्ध नहीं थे ।

श्री गंगा प्रसाद--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिन विभागों में हरिजनों की संख्या कम है या हरिजन बिल्कुल नहीं हैं, वहाँ उनकी पूर्ति करेगी ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--बराबर यह ध्यान रखा जाता है कि नियमों के अनुसार जहाँ तक हो सके हरिजनों की नियुक्ति अधिक से अधिक हो।

सहसवान, जिला बदायूं में मुंसिफ के पद का रिक्त होना

*३५--श्री मुश्ताक अली खां (जिला बदायूं)--क्या यह सच है कि सहसवान, जिला बदायूं में मुंसिफ दो वर्ष से नहीं हैं ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--हाँ। ३० नवम्बर, १९४९ से मुंसिफ सहसवान, जिला बदायूं का पद कार्य की कमी के कारण रिक्त रखा गया है। सहसवान में इतना काम ही नहीं है, जोकि एक अफसर को पूर्णरूप से व्यस्त रख सके।

*३६-३८--श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)-- [११ नवम्बर, १९५२ के लिये संख्या १--३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गए।]

*३९-४१--श्री झारखंडे राय--[२३ अक्तूबर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

सरकारी कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग

*४२--श्री भगवानदीन मिश्र (जिला बहराइच)--क्या यह सत्य है कि डाइरेक्टर, पंचायत राज ने एक आदेश जारी किया है कि विभाग का सारा कार्य अब अंग्रेजी में किया जाया करे? यदि हाँ, तो क्यों?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--जी नहीं।

श्री राम कुमार शास्त्री--क्या माननीय मुख्य मंत्री महोदय कृपा करके बतलायेंगे कि पंचायत राज डाइरेक्टर महोदय अच्छी तरह से हिन्दी जानते हैं?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--जी हाँ। जानते हैं और पंचायत राज में करीब-करीब सब काम हिन्दी में ही होता है।

श्री भगवानदीन मिश्र--क्या सरकार को ज्ञात है कि सचिवालय से प्रायः सभी आज्ञायें अभी तक विभागों के लिये अंग्रेजी में ही भेजी जाती हैं।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--जी नहीं। यह तो पूरे तौर से सही नहीं है, परन्तु काफी आज्ञायें अंग्रेजी में जाती हैं?

श्री राम नरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि वह कोई ऐसा आदेश जारी करेगी जिससे सरकारी अफसरान आपस में या गैरसरकारी लोगों से हिन्दी में बातचीत किया करें?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--यह तो पहले सदस्यों के लिये इस सदन को शायद बनाना पड़े।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वह सरकारी अफसरान को कोई ऐसी हिदायत देने जा रहे हैं कि आज्ञायें ऐसी हिन्दी में लिखी जायं जिसके लिये लोगों को डिक्शनरियाँ न ढूंढ़नी पड़ें?

श्री गोविंद वल्लभ पन्त--मैं चाहता हूं कि हिन्दी सरल हो और ऐसी हो कि जो सबकी समझ में यथासंभव आ सके। हम हिन्दी के मानी कहते हैं जो हमारे सूबे की भाषा है। वह ऐसी हो कि यथासंभव आसान हो जिसमें दिक्कत न हो।

श्री भगवानदीन मिश्र--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि यह सत्य है कि श्री खेरा साहब योजना अधिकारी नियुक्त किये गये हैं, जिनके अधीन पंचायत राज विभाग भी है?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--जी हाँ।

*४३--श्री भगवानदीन मिश्र--क्या सरकार को ज्ञात है कि उसने सदन के समक्ष रखकर यह संकल्प कराया था कि सरकारी सारा कार्य एक वर्ष के अन्दर हिन्दी में किया जाया करेगा? यदि हाँ, तो उस संकल्प को स्वीकृत हुए कितना समय बीत गया?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--जी हाँ। इस अधिनियम को स्वीकृत हुए १० महीने हो गए।

श्री भगवानदीन मिश्र--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इस दस महीने की अवधि में हिन्दी किस अनुपात से प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में चालू कर दी गयी है?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--इस सवाल के बारे में कई मर्तबे सवाल हुए और पूरा जवाब देने की कोशिश की गयी और जिन माननीय सदस्य ने यह सवाल पूछा है उनकी तरफ से कई दफा प्रश्न पूछे गये हैं। कोशिश इस बात की की गयी है कि अंग्रेजी की जगह हिन्दी से काम लिया जाय। उसमें काफी हद तक या कुछ हद तक तरक्की भी हुई है।

अब सरकार ने यह तय कर लिया है कि सभी विभागों में चाहे वे जिलों के हों, चाहे कमिश्नरियाँ हों, चाहे और विभाग हों, उन सब में हिन्दी के जरिये काम होगा सिवा इसके कि जो आदमी हिन्दी नहीं जानते हैं उनको समय दिया जायगा जिसमें वे पूरी तरह से हिन्दी सीख कर अपना काम कर सकें। लेकिन इसकी अवधि अब एक साल से अधिक नहीं होगी। इसके भीतर जो नहीं सीख सकेगा फिर उसको अपने काम के लिये अपने को अयोग्य समझना पड़ेगा और इसके अलावा कुछ विभाग ऐसे हैं जिसमें विधान के अनुसार अंग्रेजी में काम करना जरूरी है उनमें विधान के अनुसार काम किया जायगा। जो टाइपराइटर वगैरह हिन्दी के न होने की वजह से अंग्रेजी में काम करना पड़ता है वह उस तरह से होगा। परन्तु इस बात की कोशिश हो गयी है कि सभी विभागों में यथासंभव हिन्दी से ही काम किया जायगा।

श्री बसन्त लाल (जिला जालौन)--क्या माननीय मुख्य मंत्री कृपा करके बतलायेंगे कि वह जो आदेश दिया गया है एक साल की अवधि के लिये वह किस तारीख को एक साल पूरा होगा ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--जिस तारीख को आदेश दिया जायगा उससे १२ महीने या ३६५ दिन पीछे।

* * * *

कौंसिल आफ फिजिकल कल्चर, उत्तर प्रदेश का भविष्य

*१९--**श्री सुल्तान आलम खां** (अनुपस्थित)--क्या कौंसिल आफ फिजिकल कल्चर इस वक्त इस प्रदेश में कायम है ? यदि नहीं, तो कब से कायम नहीं है और क्या सरकार उसे फिर से स्थापित करने का विचार रखती है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--कौंसिल आफ फिजिकल कल्चर का काम हाल ही में प्रान्तीय रक्षा दल से मिला दिया गया है। इस कारण कौंसिल का भविष्य अनिश्चित है, उस पर सरकार विचार कर रही है।

* * * *

आजमगढ़ जिले के बड़े गांव में करघे

*२९--**श्री भारखण्डे राय** (अनुपस्थित)--क्या सरकार बतायेगी कि आजमगढ़ जिले के बड़े गाँव क्षेत्र में कुल कितने करघे हैं और उनमें कितने चालू और कितने बेकार पड़े हैं ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--बड़े गाँव क्षेत्र में करघों की कुल संख्या ४५८ है जिनमें से २६७ चालू हैं और १९१ बन्द हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय उद्योग मंत्री को ज्ञात है कि १९१ करघे क्यों बन्द हैं ?

श्री हुकुम सिंह--मैटेरियल की कमी की वजह से।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या यह सत्य है कि करघे के बनाये हुए कपड़ों की खपत उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही है ?

नोट--(१) तारांकित प्रश्न १९ श्री रणंजय सिंह ने पूछा।
(२) तारांकित प्रश्न २९ व ३० श्री राम सुन्दर पांडेय ने पूछे।

श्री हुकुम सिंह--यह तो ठीक बात नहीं मालूम होती।

*३०--श्री झारखन्डे राय (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इस क्षेत्र के कितने आदमियों और परिवारों का जीविकोपार्जन केवल करघे और बुनकरी से ही होता है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--२७४ परिवार जिनमें लगभग २,००० आदमी हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय-- २७४ परिवारों में रहने वाले २,००० आदमियों की गुजर किस प्रकार हो रही है ?

श्री हुकुम सिंह--क्योंकि २६७ करघे चल रहे हैं।

* * * *

१९४९-५० में शुगर मिलों को सेस में दी गई छूट

*३२--श्री गेंदा सिंह (अनुपस्थित)--पिछले तीन वर्षों में प्रदेश के मिलों में पेरी हुई ईख पर किस मिल को कितनी छूट सेस में दी गई ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--सन् १९४९-५० सीजन में शुगर मिलों को सेस में जो छूट दी गई थी उसका ब्योरा संलग्न तालिका में दिया गया है। सन् १९५०-५१ तथा सन् १९५१-५२ सीजनों में किसी भी मिल को सेस में छूट नहीं दी गई थी।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३३७ पर)

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--क्या सरकार इस छूट में कोई तब्दीली करने जा रही है ?

श्री हुकुम सिंह--नहीं।

* * * *

अतारांकित प्रश्न

वन विभाग में फारेस्ट रेंजरों की नियुक्ति व पुष्टि

१--श्री इस्तफा हुसैन--क्या उत्तर प्रदेश वन विभाग में ये नियम है कि जब फारेस्ट रेंजर की नियुक्ति होती है तो उनमें एक निश्चित प्रतिशत डिप्टी फारेस्ट रेंजर को तरक्की देकर पूर्ति की जाती है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--जी हाँ।

२--श्री इस्तफा हुसैन--यदि हाँ, तो क्या सरकार यह बतायेगी कि सन् १९४७ ई० से आज तक कितने डिप्टी फारेस्ट रेंजरों की तरक्की देकर फारेस्ट रेंजर के रूप में पुष्ट किया गया ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--१३ डिप्टी रेन्जरों को रेंजर के पद पर लिया जा चुका है और ८ लिये जाने वाले हैं ?

३--श्री इस्तफा हुसैन--इस समय उत्तर प्रदेश वन विभाग में कितने ऐसे डिप्टी फारेस्टर रेंजर हैं जो अफोशियेटिंग फारेस्ट रेंजर हैं और कितने-कितने समय से ह ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--छब्बीस। इन सब का अफोशियेटिंग समय एक सूची में दिखलाया है जो मेज पर रक्खी है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३३९ पर)

४--श्री इस्तफा हुसैन--क्या उपयुक्त अफोशियेटिंग फारेस्ट रेंजर पुष्ट किये जायेंगे ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--स्थायी पदों के लिये चुने जाने पर ये पुष्ट किये जा सकेंगे।

नोट--तारांकित प्रश्न ३२ श्री जगन्नाथ मल्ल ने पूछा।

डिवीजनल फारेस्ट आफिस के हेड असिस्टेण्ट की तरक्की के विषय में नियम

५—श्री इस्तफा हुसैन—क्या उत्तर प्रदेश वन विभाग में यह नियम है कि डिवीजनल फारेस्ट आफिस का हेड क्लर्क तरक्की करके कन्सरवेटर के दफ्तर का हेड असिस्टेंट नहीं हो सकता, अगर उसकी उम्र ५० वर्ष हो चुकी है ? यदि हाँ, तो क्यों और कब से है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—जी हाँ । सरकारी कार्यक्रम में सुविधा के दृष्टिकोण हेड असिस्टेन्ट के पद में बारबार बदली को रोकने के लिये यह नियम बनाये गये थे और १९३९ ई० से लागू हैं ।

पुस्तकालय समिति के शेष पांच सदस्यों के नामों की घोषणा

अध्यक्ष—पुस्तकालय कमेटी में मैं सूचना दे चुका हूं कि २५ सदस्य नियुक्त होने थे उनमें से २० के नाम मैंने यहाँ घोषित कर दिये हैं ? ५ नामों की और घोषणा करना है । वे ये हैं —

१—श्री जुगल किशोर
२—श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव
३—श्रीमती विद्यावती राठौर
४—श्री केदार नाथ
५—श्री रणंजय सिंह

उत्तर प्रदेश अभ्यस्त अपराधी प्रतिबन्ध विधेयक, १९५२

खंड २ (क्रमागत)*

श्री रामेश्वर प्रसाद (जिला रायबरेली)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (१) (ग) के बाद का स्पष्टीकरण न निकाला जाय और उसकी प्रथम पंक्ति में शब्द व अंक "धारा ११०" तथा शब्द "के" के बीच शब्द व अंक "या १०९" रख दिये जायं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने प्रस्ताव के समर्थन में आगे बोलते हुए और यह विश्वास करते हुए कि इस सदन में इस विषय पर कि अपने राज्य में जुर्म को दबाया जाय दो रायें नहीं हैं । हर उचित तरीके से जुर्म को कम किया जाय इस सदन की पूरी सम्मति है जैसा कि होना भी चाहिये । साथ ही यह भी ध्यान में रखते हुये कि यह सदन कानून का घर समझा जाता है और उसके उद्देश्य माननीय सदस्य कानून के पंडित जाने जाते हैं । ऐसी स्थिति में इन दो धाराओं का जो क्रिमिनल प्रोसीजर ऐक्ट की ११० और १०९ हैं उनके लिये माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि ये दो धारायें ऐसी हैं कि किसी भी हैबीचुअल अफेंडेंज ऐक्ट का शीर्षक उसका नामकरण अथवा काम करने की विधि इनसे मिलती-जुलती है ।

मैं इसके लिये आप की आज्ञा से केवल इस ऐक्ट को पढ़ देना चाहता हूं जिससे यह चीज साफ हो जायगी और हमारा पूर्ण विश्वास है कि कोई माननीय सदस्य फिर डिस-एग्री करने के लिये तैयार नहीं होंगे । जहाँ तक पहले खंड यानी ११० धारा के समर्थन का सवाल है । इसमें लिखा हुआ है क्रिमिनल प्रोसीजर ऐक्ट में—

"Whenever a Presidency Magistrate, District Magistrate or a Sub-Divisional Magistrate or a Magistrate of the First Class specially empowered in this behalf by the Provincial Government, receives information that any person within the local limits of his jurisdiction

---

*२४ सितम्बर, १९५२ की कार्यवाही में छपा है ।

(*a*) is habitually receiving stolen property knowing the same to have been stolen;"

मैंने गलती से "बी" पढ़ दिया है अब "ए" पढ़ता हूं

"is by habit a robber, house-breaker, thief or forger or habitually protects or harbours thieves or aids in the concealment or disposal of stolen property or

(*d*) habitually commits or attempts to commit or abets the commission of an offence extortion, cheating or mischief or any offence punish-able under Chapter XII or the Indian Penal Code or under section ....."

अध्यक्ष--माननीय सदस्य, जितनी जरूरत हो उतना हिस्सा उसमें से पढ़ें । आप पूरे का पूरा पढ़ रहे हैं ।

श्री रामेश्वर प्रसाद--माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पढ़ने का मतलब यह है कि इसी दफा के पढ़ने से माननीय सदस्यगण टेक अप कर लेंगे कि यह होना चाहिये कि नहीं । जब तक मैं पूरी धारा को न पढ़ दूं

अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि पूरी धारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप का मतलब यह है कि हैबिचुअल है या नहीं । इतना हिस्सा उसमें से पढ़ दीजिये लेकिन पूरे डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री रामेश्वर प्रसाद--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों के सामने यह ऐक्ट नहीं होगा।

अध्यक्ष--मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं । आप कृपा करके उतना हिस्सा पढ़िये जितने की आवश्यकता है ।

श्री रामेश्वर प्रसाद--तो यह तीन-चार बातें मैंने पढ़ दीं और आगे मुझे इजाजत नहीं मिली । फिर भी इतना काफी हो जाता है । इस धारा की प्रत्येक लाइन में जहाँ से वह शुरू होता है एक "हैबिट वर्ड" पर इमफैसिस किया गया है कि जो बार बार चोरी करता हो, डकैती करता हो और कोई जुर्म करता हो वह ११० के अन्दर पाबन्द किया जायगा । एक साल तक सदाचारी रहने के लिये उसका अमानत-मुचलिका ले करके उसको छोड़ दिया जाता है । जो "हैबिट वर्ड" इस सेक्शन में लाया गया है महज उसी से जाहिर हो जाता है कि जब हैबिचुअल अफेंडर ऐक्ट बनाया जा रहा है जिस की मंशा यह है कि इस ऐक्ट के जरिये से स्टेट के अन्दर अगर कोई आदमी बारबार हैबिचुअली क्राइम करता हो उसको हम पाबन्द करें तो कोई रीजन ऐसा नहीं रह जाता कि इस धारा के अन्दर जो आदमी बन्द कर दिया गया हो वह इसमें न रखा जाय। उसका रखना नितान्त आवश्यक है, क्योंकि कोई भी ऐसा सोचने का स्थान नहीं रह जाता है कि जब इस धारा के सब-सेक्शन में दिया हुआ है कि हैबिट से ऐसा करता हो तो जब हैबिट पर इम्फैसिस है और हैबिट को मेन चीज ले करके इस बिल की इमारत को बनाया जा रहा है, तो इस धारा को अलग कर देना अच्छा नहीं मालूम होता है । साथ ही में एक व्यावहारिक रूप माननीय मंत्री जी से अर्ज कर दूं । उनको इसका बहुत बड़ा अनुभव है कि ११० में सजा कराना बहुत मुश्किल होता है । अगर कोई आदमी होशियारी से बारबार कोई अफेंस करता हो, परन्तु वह न चोरी करता हो और न कोई ऐसा स्पेसिफिक जुर्म करता हो जिसमें उसका ट्रायल हो सके या कोई चार्ज लगाया जा सके। वह तो ऐसा होता है कि जो जुर्म का पिटारा होता है जो बारबार तरह तरह के जुर्म करता है और अपनी ताकत से और अपने आतंक से उनके छिपाने की कोशिश करता है और हर तरह से वह जुर्म करता है, तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे मुलजिम को सजा दिलाना ठीक है। माननीय मंत्री जी के पास रिपोर्ट्स आती है और देखते हैं कि ११० के मुलजिम जबकि हमारे यहाँ जनतंत्र है उसको सजा दिलाना बड़ा मुश्किल है । पहले पुलिस ने ११० में किसी मुलजिम

[श्री रामेश्वर प्रसाद]

का चालान किया तो सफाई नहीं हो सकती थी, क्योंकि डिक्टेटरशिप का मामला था लेकिन अब तो जनतंत्र है और हर आदमी अपने विचार रखने के लिये स्वतंत्र है। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे मुलजिम को सजा दिलाना नितांत मुश्किल होता है। एक आदमी पर मुकद्दमा चलाया जाता है और सैकड़ों आदमी उसकी सफाई देने के लिये तैयार हो जाते हैं। पुलिस की कुछ हिम्मत नहीं पड़ती है, क्योंकि लोग गलत सफाई देने के लिये तैयार हो जाते हैं और पार्टीबंदी में तो ऐसा होता है कि सही मुलजिम तक की लोग सफाई देने के लिये तैयार हो जाते हैं लेकिन जनतंत्र की महिमा से उसे रोका नहीं जा सकता है। अगर कहें कि आप गलत सफाई क्यों देते हैं तो पुलिस अफसर का मरण हो जाय। ऐसी परिस्थिति में मुलजिम को सजा दिलाना बहुत मुश्किल होता है और एक मुलजिम को सजा दिलाने में स्टेट का हजारों रुपया खर्च हो जाता है। किसी खास जुर्म में तो सजा दिलाना आसान है। लेकिन ११० में सिर्फ सफाई और गवाह का कम्पटीशन का सवाल हो जाता है और बड़ी दिक्कत होती है और स्टेट को अपनी शक्ति लगा देनी पड़ती है और अपना रुपया खर्च करना पड़ता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह दफा ऐसी है जो जुर्म करने का आदी हो यानी उसकी हैबिट जुर्म करने की हो। इसका मुलजिम कत्ल और डकैती के मुलजिम से भी ज्यादा सख्त जुर्म करने वाला होता है, क्योंकि ११० का मुलजिम कत्ल करके भी छिप सकता है, डकैती करके छिप सकता है और यह ग्राउन्ड दिखाया जाता है कि यह कत्ल है, यह चोरी है, डकैती है, जहाँ तक दफा है सब कोशिश की जाती है तब अगर कहीं कोर्ट क्वीसीन्स हो जाती है तब कहीं जाकर उसको सजा देती है। ऐसी परिस्थिति में इसको अलग कर देना मैं समझता हूं कि उचित नहीं होगा। मुझे मंत्री जी से मिलने का मौका नहीं मिला वर्ना वहीं वह मान जाते और इसको यहाँ लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन मुझे विश्वास है कि मंत्री जी जरूर इसको मान लेंगे।

अब रहा इसके दूसरे हिस्से का सवाल तो वह भी मैंने इसलिये रख दिया है कि १०९ इसी का भाई बालून होता है। इसके अन्दर अगर देखें तो यह भी मिलती-जुलती दफा है। इसलिये मैंने जरूरी समझा कि अगर ११० को रखा जाय तो १०९ को भी रख लिया जाय। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इसमें यह दिया हुआ है कि—

"Whenever a Presidency Magistrate, District Magistrate or Magistrate of the First Class receives information that any person is taking precautions to conceal himself within the local limits of such Magistrate and that there is reason to believe that such person is taking such precautions with a view to committing any offence or that there is within such limits a person who has no ostensible means of subsistence or who cannot be... "

ऐसी हालत में जो दो-एक बातें बतलाई गईं उससे मैं समझता हूं कि इस ओर माननीय सदस्यों का भी ध्यान गया होगा कि इसमें यह है कि ऐसा मुलजिम जो डकैती करके, चोरी करके, बदमाशी कर के, छिप रहे या भाग जाय, लखनऊ क्या कानपुर भाग जाय या कहीं भी जाकर छिप सकता है और बड़े-बड़े जुर्म कर सकता है।

तो इस १०९ दफा में जो दिया हुआ है वह कम अहमियत नहीं रखती है। ऐसी हालत में जहाँ तक मेरी बुद्धि काम करती है, क्योंकि मैं ला पढ़ा हुआ नहीं हूं। मैंने इसको पढ़ कर यह बात निकाल ली, जो मैंने आपके सामने पेश की और मेरा खयाल है कि जो अन्य माननीय सदस्य ला पढ़े हुए हैं वे भी इसके समर्थन में अपनी राय जाहिर करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में मैं माननीय मंत्री जी से यह नम्र निवेदन करूंगा कि वह इस पर सोचने का कष्ट करेंगे और वह जो जुर्म रोकने के लिये हैबिचुअल आफेन्डर्स ऐक्ट बनाने जा रहे हैं उसमें ये १०९ और ११० दो दफायें भी सम्मिलित कर लेंगे। इस ऐक्ट में यह प्रतिबन्ध लगाया गया है कि जिस शख्स ने चोरी, डकैती या कत्ल किया हो और तीन

बार सजा पाई हो उस पर यह ऐक्ट लागू किया जायगा, तो ऐसी हालत में ये जो धारायें मैंने पढ़ी है इसमें ये सभी जुर्म आ जाते हैं।

अध्यक्ष—माननीय सदस्य ने फिर से दोहराना शुरू कर दिया।

श्री रामेश्वर प्रसाद—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ध्यान रखूंगा। मैं समझता हूं कि धारा १०९ और ११० के अन्तर्गत सभी किस्म के जुर्म आ जाते हैं और जब बहुत सी दफायें इस ऐक्ट के मातहत मुजरिम पर लागू की जा सकती हैं, तो इस ऐक्ट में इनको शामिल कर लेना मैं उचित समझता हूं। मैं समझता हूं कि बिना किसी रिआयत के और पब्लिक इंटरेस्ट में मेरे संशोधन को माननीय मंत्री स्वीकार करेंगे। मैंने धारा १०९ और ११० का स्पष्टीकरण इसीलिये कर भी दिया है। अब मैं ज्यादा समय भवन का नहीं लेना चाहता, क्योंकि और सदस्य भी इस पर बोलेंगे लेकिन मैं इतना बता देना चाहता हूं कि मेरा संशोधन वैसा नहीं है जैसा कि माननीय उपाध्याय जी सोशलिस्ट पार्टी के नेता ने मुझको चैलेन्ज दिया कि हम लोग तो वापिस ले लेते हैं लेकिन मैं जवाब दे देना चाहता हूं कि सवाल वापस लेने का नहीं है इसके लिये यह विस्तृत रूप से पार्टी गवर्नमेंट किस उसूल पर चलती है उसका अध्ययन करें तो वह ऐसी बात इस सदन के सामने पेश नहीं करेंगे।

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने एक नया रास्ता अख्तियार कर लिया है। जबकि इस बिल को नर्म करने की कोशिश की जा रही है, वह इसको कड़ा करना चाहते हैं। मूल बिल में धारा ११० का जिक्र था और सिलेक्ट कमेटी ने उसको निकाल दिया और मैं समझता हूं कि निकाल कर ठीक किया। आम तौर से सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि धारा ११० के अन्तर्गत किस तरह से चालान किये जाते हैं और मैं समझता हूं कि सभी लोग इस बात से सहमत होंगे कि सिलेक्ट कमेटी ने ठीक किया कि ११० को निकाल दिया। १०९ का दाखिल करना तो और भी भयानक हो सकता है। जो लोग राजनैतिक आन्दोलनों में शरीक होते हैं वे जानते हैं कि अच्छे-अच्छे वर्कर्स को १०९ के मातहत चालान कर दिया जाता है। वर्कर्स जो किसी पार्टी के होते हैं, जो सारा समय पब्लिक काम के लिये देते हैं और पार्टीज उनको पे करती हैं तो उनके लिये यह साबित करना मुश्किल हो जायगा कि उनकी जीविका उपार्जन के क्या साधन हैं। मैं समझता हूं कि इसकी बहस में पड़ना सदन का समय नष्ट करना है और सभी सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि १०९ और ११० का रखना किसी तरह उचित नहीं है। माननीय सदस्य स्वयं इस पर आगे बोलने का प्रयत्न न करेंगे।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय रामेश्वर प्रसाद जी ने यहां पेश किया है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे आज इस बात को जानकर बहुत दुख हुआ। शायद वह जो यहां पर बड़ी-बड़ी किताब लाये थे उनको दिखाना चाहते थे कि वह क्रिमिनल प्रोसीजर को अच्छी तरह से समझते हैं या शायद वह यह चाहते थे कि वह बहुत प्रोग्रेसिव हैं। इसमें जो ११० रखा गया है उसके साथ जो १०९ था उसको बड़ी मुश्किल से निकाला गया था। अब वह चाहते हैं कि इसको इसमें और रख दिया जाय वह सुनकर उनके मुंह से मुझे बड़ा दुख हुआ। मुझे अब कुछ दिन उनके पास जाकर कुछ सीखने की जरूरत होगी, क्योंकि पार्लियामेंटरी प्रोसीजर को वह अच्छी तरह से जानते हैं और यह उन्होंने मुझसे कहा था और वह पार्टी गवर्नमेंट की बात भी कहते हैं। पार्टी मीटिंग में वह इस बात को कह सकते थे और यहां भी कह सकते हैं। मैं यह नहीं कहता कि वह यहां पर इस बात को न कहें। वह कह सकते हैं उनको यह अधिकार है। परन्तु शायद वह पार्टी मीटिंग में इसलिये नहीं बोले कि उनका नाम अखबारों में छपेगा नहीं और अगर वह यहां पर बोलेंगे तो उनका नाम अखबारों में निकल जायगा कि साहब खूब बोले हरिजनों के लिये। अगर वह इस गर्ज से बोलते हैं तो मुझे इस बात पर ऐतराज है।

अध्यक्ष—माननीय सदस्य कुछ आक्षेप कर रहे हैं। किसी के मोटिव को मेरे खयाल से रीड नहीं करना चाहिये।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—माननीय रामेश्वर प्रसाद जी जो बहुत प्रोग्रेसिव बनते हैं और हर एक चीज का दावा करते हैं और हमारे चैलेंज को भी स्वीकार करते हैं वह अगर इस बात को पहले कह देते तो यहां पर सदन का समय बच जाता। यहां पर इस प्रकार के संशोधन को पेश करना उचित नहीं मालूम होता है। अगर कल ही यह बिल पास हो जाता, तो सदन का रुपया जो एक दिन में करीब ५ हजार रुपया खर्च होता है वह बच जाता। आज जब हम लोग फिर बैठ रहे हैं तो आज के खर्च का सवाल नहीं है, वह तो हो चुका लेकिन यह मैं फिर भी उनसे कहूंगा कि जिस शान के साथ और सुन्दरता के साथ यह बिल सेलेक्ट कमेटी से आया है ऐसा कोई बिल आज तक सेलेक्ट कमेटी से नहीं आया है। मैं और माननीय मंत्रियों से भी प्रार्थना करता हूं कि जिस प्रकार से माननीय गृह मंत्री ने इस बिल के अन्दर हम लोगों को एकोमोडेट करने की कोशिश की है और कितने भी संशोधन हम लोग लाये उनको स्वीकार किया है वह सराहनीय है। इस प्रकार का कोई भी बिल अभी तक सेलेक्ट कमेटी से नहीं आया है। इसलिये मैं यह समझता था कि यह बिल बहुत जल्द सदन में पास हो जायगा और किसी को भी विरोध न होगा। अब मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि अब और संशोधन में सदन का समय नष्ट न करें और इस बिल को स्वीकार करें और जल्दी पास कर दें ताकि और जो महत्वपूर्ण रूल्स वगैरह आये हैं उनके ऊपर विचार किया जा सके। उनसे मेरी इतनी ही प्रार्थना है कि और संशोधन न पेश किये जायं और मैं इस संशोधन का सख्त विरोध करता हूं।

श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)—यह जो प्रस्ताव लाया गया है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले इस प्रस्ताव के बारे में मुझे यह कहना है कि १०९ और ११० क्रिमिनल प्रोसीजर की धारायें हैं। इसके अन्दर मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी करता है और फिर आर्डर देता है। वह व्यक्ति जो इसके अन्दर बाउन्ड डाउन किया जाय कि वह एक साल तक नेकचलन रहे और साथ ही अगर वह नेकचलन नहीं रहता है या कोई आफेंस करता है तो जब वह जमानत के लिये जायगा वह कैंसिल हो जायगी। यह आफेंस है या आर्डर है, यह दफा ३८० या ३७९ के अनुसार अगर कोई जुर्म करता है तो उसकी इंक्वायरी होगी और उसके होने के बाद उसको सजा दी जाती है और उसमें जो सजा होती है वह सजा अगर एक साल तक की होती है और वह किसी दूसरे मामले में या अभियोग में नहीं होती है बल्कि उसको यह आर्डर नेकचलनी के लिये आर्डर होता है कि अगर एक साल के अन्दर तुम जमानत दे दोगे तो छोड़ दिये जाओगे, तो ऐसी हालत में जब कि यह इंक्वायरी है और सेन्टेंस नहीं है तो वह चीज जो कि कानून के जरिये या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कानून है उसको इस लेजिस्लेचर्स के जरिये हम यह चाहें कि उस आर्डर को हम सेंटेंस बना दें, तो यह नामुनासिब होगा और वह हमारी सीमा के बाहर है। इसलिये वह आर्डर जो ११० का है उसको सेंटेंस करार न दिया जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय श्री रामेश्वर प्रसाद के संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अगर वह ध्यानपूर्वक देखें तो उन्होंने जो संशोधन यहां रखा है वह कल जो भावना यहां व्यक्त की गयी थी उसके बिल्कुल विरुद्ध जाता है। वैसे तो जब इस पर विचार किया गया था और अगर इसके शिड्यूल की धाराओं को पढ़ा जाय तो सोच-समझकर और इंडियन पैनल कोड से देख कर सब चीजें इसमें रखी गयी हैं। इसके अलावा, स्पष्टीकरण में लिखा है कि "११० के अधीन किसी

व्यक्ति को सदाचार से रहने के लिये जमानत देने की आज्ञा के संबंध में।" जब जमानत देने और सदाचार में रहने का प्रतिबन्ध है और जब तक वह उसको नहीं तोड़ता और जब तक उसकी जमानत जब्त नहीं होती तब तक के लिये यह काफी है और उसी में उसको सजा हो सकती है। अगर वह इसको तोड़ता है तो उस को इंडियन पेनल कोड की दफाओं के अनुसार सजा हो जायगी और वह अभ्यस्त अपराधी की कैटेगरी में आ जायगा। उन्होंने जो कहा कि वह भाग जायगा तो यह स्पष्ट है कि अगर वह ऐसा करेगा तो स्वयं उसको सेन्टेन्स मिल जायगी। इसलिये इस संशोधन पर जोर देने की जरूरत नहीं है। मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री रामेश्वर प्रसाद--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे .....।

अध्यक्ष--अगर वापस लेना है तब तो आप इतना कह दीजिए और अगर व्याख्यान देने के बाद वापस लेना चाहते हैं तो उचित न होगा।

श्री रामेश्वर प्रसाद--जो दो एक बातें मुझे खटकी हैं उनका जवाब देना है। अगर बाद में वापस लेना मुनासिब समझूंगा तो वापस ले लूंगा।

मुझे कहना यह है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि क्योंकि मेरे इस संशोधन का विरोध एक प्रगतिशील कही जाने वाली पार्टी की तरफ से किया गया। वह बार-बार यहां कहा करते हैं कि जुर्म बढ़ रहा है उसको कम करना चाहिये, लेकिन इसके बावजूद भी वह विरोध अगर करते हैं ऐसी चीज का तो जरा सोचने की बात है। दूसरे कमला सिंह जी ने कहा कि श्री रामेश्वर प्रसाद जी ने यह नहीं देखा कि नेकचलनी के लिये जमानत नहीं होती है। मैं तो इससे भी सख्त करना चाहता हूं और साथ में उनको सेंटेंस भी दिलाना चाहता हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि नेकचलनी की गारन्टी एक साल से लेने के अलावा अगर दफा ११० और १०९ में पाबन्दी कर दी जाती है तो यही पाबन्दी एक सेन्टेंस के रूप में मान ली जाय। इस स्पष्टीकरण में है कि वह भी सजा काउन्ट कर ली जाय और अगर जुर्म ११० में और १०९ में करे तो उसको हैबिचुअल आफेंडर की केटेगरी में ला दिया जाय।

दूसरी बात यह है कि जहां तक मेरे संशोधन का सवाल है मैंने पूरी कोशिश उसको रखने की की। मैं उसको सदन के सामने लाने का प्रयत्न भी न करता यदि मेरी माननीय मंत्री जी से मुलाकात हो जाती और वैसा करना मैं ज्यादा उचित समझता। अब मैं किसी समय यदि कोई कठिनाई उपस्थित हुई तो जोर डालूंगा अथवा संशोधन के रूप में उपस्थित करूंगा। इस समय तो मैं यही समझता हूं कि माननीय मंत्री जी का ही समर्थन किया जाय। अतः और ज्यादा समय को बरबाद न करके मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (१) (घ) की पंक्ति १ में शब्द "प्रतिबन्ध" के स्थान पर शब्द "प्रतिरोध" रख दिया जाय तथा विधेयक में जहां जहां शब्द "प्रतिबन्ध" इस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, वहां वहां उसके स्थान पर शब्द "प्रतिरोध" रखा जाय।

श्रीमान् जी "प्रतिबन्ध" और "प्रतिरोध" इन दोनों शब्दों में कोई विशेष अन्तर नहीं है। यह शब्द "प्रतिबन्ध" इस अधिनियम में भी और दूसरे अधिनियमों में भी जो बन रहे हैं, "प्राविजो" के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार "प्रतिबन्ध" के लिये एक निश्चित अर्थ दे दिया गया है। इसलिये इस स्थान पर जबकि हमें उसी अर्थ का दूसरा शब्द मिल सकता है तो उसका उपयोग ठीक नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि यहां पर रेस्ट्रिक्शन के लिये "प्रतिबन्ध" के स्थान पर शब्द "प्रतिरोध" रख दिया जाय।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, जयराम वर्मा जी ने जो हमारा ध्यान इस बात पर दिलाया है कि "प्रतिबन्ध" का प्रयोग "प्रतिरोध" के स्थान में होता आया है इसलिये इस स्थान पर "प्रतिरोध" रखा जाय तो अधिक उपयुक्त होगा। यह दिक्कत हमें भी दिखाई देती है। अतः मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं।

अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा। यानी प्रतिबन्ध के पश्चात् "रेस्ट्रिक्शन" की जगह "प्रतिरोध" रख दिया जाय तो ठीक होगा। यानी जहां-जहां शब्द "प्रतिबन्ध" रैस्ट्रिक्शन की जगह प्रयुक्त हुआ है, के स्थान पर शब्द "प्रतिरोध" रख दिया जाय इस प्रकार हो जायगा।

श्री जयराम वर्मा—श्रीमन्, मैंने अपने संशोधन में कुछ और शब्द रखे थे वे छपने से रह गये हैं। मैंने रखा था "जहां-जहां शब्द "प्रतिबन्ध" इस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है" इससे उसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है।

अध्यक्ष—ठीक है, मैं इसे ठीक किये देता हूं।

प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (१) (घ) की पंक्ति १ में शब्द "प्रतिबंध" के स्थान पर शब्द "प्रतिरोध" रख दिया जाय तथा विधेयक में जहां-जहां शब्द "प्रतिबन्ध" इस अर्थ में (यानी रेस्ट्रिक्शन के) प्रयुक्त हुआ है उसके स्थान पर शब्द "प्रतिरोध" रखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कमला सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (१) (घ) के अन्त में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं—

"यदि वह व्यक्ति १८ वर्ष से कम उम्र का न हो।"

अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप इस तरह का संशोधन एक दफा पेश कर चुके हैं।

श्री कमला सिंह—लेकिन यह दूसरी चीज है, वह दूसरी चीज है।

अध्यक्ष—ठीक है।

श्री कमला सिंह—प्रतिबन्ध आज्ञा का जो डेफिनिशन है वह धारा ३ में उल्लिखित है। मैं धारा ३ को पढ़ देता हूं।

"प्रतिबन्ध आज्ञा लिखित रूप में होगी और उसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को निम्नलिखित में से एक या अधिक कार्य करने के लिये कहा जा सकता है, अर्थात् जो कि नीचे दिया हुआ है।"

यह जो विधेयक लाया गया है उसमें हर जगह किसी भी व्यक्ति को जो १८ वर्ष से कम उम्र वाला है बरी कर दिया गया है जैसा कि मैंने प्रतिबन्ध आज्ञा का तात्पर्य धारा ३ में समझा कि जब तक नाबालिग है या १८ वर्ष से कम के हैं इसके अन्दर से निकाल दिये जायेंगे। इसका मतलब यह होगा कि १८ वर्ष से कम के लोग भी उसमें शामिल होंगे और उनको भी यह आज्ञा दी जा सकती है। ऐसी हालत में जो उद्देश्य इस विधेयक का है वह सब खत्म हो जायगा। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से इस्तदुआ करूंगा कि वे हमारे संशोधन को मान लें।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो उद्देश्य है, मैं समझता हूं कि उससे सभी लोग सहमत हैं। लेकिन वे धारा ४ के उपनियम (२) (क) को देखें तो उसमें स्पष्ट है कि वही आदमी जो नोटिस के हिसाब पर १८ वर्ष से कम उम्र का था नोटिस का प्रतिवाद कर सकता है। इससे अधिक उम्र के जो होंगे उन्हीं पर प्रतिबन्ध आज्ञा लागू होगी, बाकी किसी पर नहीं लागू होगी। इसलिये यहां पर यह अनावश्यक है।

श्री कमला सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, इंगलैन्ड का जो हेल्सबरीज ला है उसमें अभ्यस्त अपराधी का जो डेफिनिशन दिया हुआ है उसे मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं--

"A person cannot be convicted of being a habitual criminal unless it is proved that after attaining the age of sixteen he has been at least three times convicted of one of the specified crimes prior to the conviction for the crime charged in the indictment, and that he is leading persistently a dishonest or criminal life, or that on such a previous conviction he has been found to be a habitual criminal and sentenced to preventive detention."

[कोई व्यक्ति अभ्यस्त अपराधी के रूप में अभिशस्त नहीं किया जा सकता जब तक कि यह सिद्ध न हो जाय कि दावे में जिस अपराध का आरोप लगाया गया है उसके लिये अभिशस्त के पूर्व, सोलह वर्ष की आयु प्राप्त करने के उपरान्त वह निर्धारित अपराधों में से किसी के फलस्वरूप कम से कम तीन बार अभिशस्त हो चुका है और वह लगातार बेईमानी का व अपराधपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा है या इसी प्रकार की भूतपूर्व अभिशस्त के समय वह अभ्यस्त अपराधी पाया गया है और उसके प्रति निवारणात्मक आसेध का आदेश दिया गया है।]

उसमें भी यह चीज दी हुई है कि वह तीन बार तक सजायाफ्ता रह चुका है। उसमें १६ साल है, इसमें १८ साल रख दिया गया है और साथ ही साथ उसमें यह चीज भी है कि--

"He is leading persistently a deformed or criminal life."

[वह लगातार विकृत या अपराधपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा है।]

यह चीज इसमें एवायड कर दी गयी है। मैं ३३७ के मुताल्लिक जो रूलिंग किंग बेंच की है उसे पढ़े देता हूं।

"Where the three convictions alone are relied upon as proving that the accused is a habitual criminal, additional grounds need not be specified."

[जहां पर अभियुक्त को अभ्यस्त अपराधी सिद्ध करने के लिये तीन अभिशस्तियों को यथेष्ट समझा जाता है वहां अतिरिक्त कारणों को अभिदिष्ट करने की आवश्यकता नहीं।]

तो इसमें यह दिया हुआ है कि वह तीन बार इस कंडीशन को तोड़ दे तो कोई व्यक्ति हैबिचुअल आफेंडर हो सकता है। ऐसी हालत में दूसरा जो ग्राउन्ड है उस पर स्पेसिफाई नहीं होना चाहिये। लेकिन जहां तक इस विधेयक का सवाल है, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि धारा ४ (२) में यह आया है कि उसकी उपधारा (१) के अन्तर्गत जिस व्यक्ति के विरुद्ध नोटिस जारी किया गया है वह निम्नलिखित में से किसी आधार पर, नोटिस का प्रतिवाद contest कर सकता है--

किंग्स बेंच की जैसी रूलिंग है उसको अगर निगाह में रखें तो उस वक्त आपको यह अधिकार नहीं है कि आप उसको टेस्ट करने के लिये छोड़ दें। आपका जो विधेयक है उसमें और इंगलैन्ड के ला में यह फर्क है। हमारे लीगल रिमेम्ब्रेंसर साहब ने बड़ी होशियारी से इस ऐक्ट को बनाया है और उन्होंने होशियारी इसमें की है कि बर्डेन आफ प्रूफ प्रासीक्यूशन के ऊपर न होकर मुलजिम के कंधों पर रहे। अगर वहां के कानून को देखें तो अगर कोई व्यक्ति जब मुलजिम

[श्री कमला सिंह]

होगा तो उस वक्त प्रासीक्यूशन के लिये फोर्स किया गया है कि वह :

शहादत दें कि वह १८ वर्ष का आदमी है और इस विधेयक से वह बरी किया गया है। तो यह लाजिमी है कि बर्डेन आफ प्रूफ प्रासीक्यूशन पर हो कि वह यह साबित करे कि वह मुलजिम १८ वर्ष से कम नहीं है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है :—

"In some cases the age of the accused must be proved"

[कुछ प्रकरणों में अभियुक्त की आयु को सिद्ध करना आवश्यक है।]

दूसरी रूलिंग यह भी है कि यह बर्डेन जो है वह प्रासीक्यूशन पर होगा। अब रूलिंग में दिया हुआ है :—

"When the accused is of an appearance which makes it doubtful whether he may have been under sixteen at the date of the first-conviction, some evidence as to age is necessary."

[जब अभियुक्त का चेहरा ऐसा हो कि जिससे यह बात सन्देहास्पद हो कि प्रथम अभिशस्ति की तारीख पर वह सोलह वर्ष से कम का रहा होगा या नहीं, आयु के विषय में कुछ साक्ष्य आवश्यक हो जाता है।]

उस दिन हमारे मंत्री जी ने यह कह कर बहका दिया था कि ऐक्यूज्ड इस बात का सबूत देगा कि वह १८ वर्ष से कम का है, यह नहीं हो सकता। आपको सबूत करना होगा, वह १८ वर्ष से ऊपर का है। यह बर्डेन आप पर लाई करता है और साथ ही आपने जो दफा ४२ में उसूल दिया है उसको मानते हैं तो आपकी डेफिनीशन हैबिचुअल आफेंडर्स की रद्द हो जाती है। इसलिये यह आवश्यक है कि आप इसको साबित करें कि वह १८ वर्ष से कम का नहीं है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, इतनी बात तो मैं माननीय सदस्य की मानता हूं कि हमारे लीगल रिमेम्बरेंसर ने इस कानून को बहुत होशियारी से बनाया है और यह तो तारीफ की बात है। प्रवर समिति में भी इसके हर एक पहलू पर अच्छी तरह से गौर कर लिया गया है। माननीय सदस्य को बहुत ध्यान से सुनने के बाद भी मैं उनके तात्पर्य को ठीक तरह से नहीं समझ पाया। कम से कम मेरा विश्वास है कि धारा ४ में जितनी बातें लिखी हैं उससे सारी बातें हल हो जाती हैं जिस पर माननीय सदस्य का ध्यान है और इसलिये मैं इस संशोधन को न मानने के लिये मजबूर हूं।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (१) (घ) के अन्त में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं—

"यदि वह व्यक्ति १८ वर्ष से कम उम्र का न हो"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

प्रतिबन्ध आज्ञा

३—(१) प्रतिबन्ध आज्ञा लिखित रूप में होगी और उसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को निम्नलिखित में से एक या अधिक कार्य करने के लिये कहा जा सकता है, अर्थात्

(क) किसी जिले में निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर ही अपनी गतिविधि (movements) को सीमित रखना,

(ख) ऐसे प्राधिकारी (authority) को और ऐसी रीति से, जो कि नियत की जाय, अपने निवास-स्थान और उसमें किये गये तथा किये जाने वाले प्रत्येक परिवर्तन की या वहां से प्रत्येक अनुपस्थिति या अभिप्रेत (intended) अनुपस्थिति की सूचना देना,

(ग) आज्ञा में निर्दिष्ट समय तथा स्थान पर और रीति से अपने आपको उपस्थित (to report himself) करना।

(२) आज्ञा में अन्य ऐसे विवरण भी होंगे जो नियत किये जायें।

(३) कोई भी प्रतिबन्ध आज्ञा उसके जारी होने के दिनांक के तीन वर्ष के पश्चात् सप्रभाव न रहेगी।

श्री जयराम वर्मा--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उप-खंड (१) (क) की पंक्ति १ में शब्द "में" तथा शब्द "निर्दिष्ट" के बीच शब्द "किसी" बढ़ा दिया जाय।

यहां जिस तरह से इसमें भाषा लिखी हुई है वह है "किसी जिले में निर्दिष्ट क्षेत्र" जबकि किसी जिले का कोई निर्दिष्ट क्षेत्र होना चाहिये था, किसी जिले में किसी निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर" ऐसा होना उचित मालूम पड़ता है। मैं समझता हूं कि यह स्वीकार कर लिया जायगा।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अध्यक्ष महोदय, यह तो संशोधन ठीक मालूम पड़ता है। अंग्रेजी में "एनी स्पेसिफाइड" लिखा गया है। मैं समझता हूं कि यह संशोधन ठीक है और मैं इसे स्वीकार करता हूं।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) (क) की पंक्ति १ में शब्द "में" तथा शब्द "निर्दिष्ट" के बीच शब्द "किसी" बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (१) (ग) की पंक्ति १ में शब्द "आज्ञा में निर्दिष्ट समय तथा स्थान पर और रीति से" के स्थान पर शब्द "ऐसे समय तथा स्थान पर और ऐसी रीति से जो निर्दिष्ट की जाय" रख दिये जायं।

श्रीमान् जी, इस संशोधन में केवल शब्दों का हेरफेर किया गया है। पद योजना बदली गयी है। इस विधेयक में ये शब्द "आज्ञा में निर्दिष्ट" जो प्रयुक्त हुए हैं, उद्देश्य तो यही मालूम होता है कि समय, स्थान और रीति, इन तीनों शब्दों को क्वालिफाई करें। लेकिन जिस तरह से इन शब्दों का प्रयोग किया गया है उससे यह स्पष्ट नहीं है कि यह रीति को भी क्वालिफाई करता है। इसलिये यह आवश्यक है कि यह 'रीति' को भी स्पष्ट रूप से क्वालिफाई कर सके। इसकी शब्द योजना बदली जाय और इस शब्द की पुनरावृति न हो, इसलिये इस तरह से मैंने इन शब्दों को रख दिया है। शब्द कोई बढ़ाये नहीं गये हैं। सिर्फ हेरफेर किया गया है जिससे वह 'समय' 'स्थान' और 'रीति' को स्पष्ट रूप से क्वालिफाई कर सके।

मैं समझता हूं कि यह संशोधन भी स्वीकार कर लिया जायगा।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अध्यक्ष महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि इससे कुछ भाषा अधिक सुन्दर हो गयी। इसलिये मैं इसको स्वीकार किये लेता हूं।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) (ग) की पंक्ति १ में शब्द "आज्ञा में निर्दिष्ट समय तथा स्थान पर और रीति से" के स्थान पर शब्द "ऐसे समय तथा स्थान पर और ऐसी रीति से जो निर्दिष्ट की जाय" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (३) में शब्द "आज्ञा" के बाद अर्द्धविराम " , " लगा दिया जाय।

यह मिलाजुला है। इस संशोधन से अलग हो जायगा।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं जानता हूं कि कानून में तो कामा इत्यादि का कोई बहुत बड़ा महत्व होता नहीं। लेकिन यदि माननीय सदस्य का यह संशोधन रखा जाय तो मुझको ऐसा लगता है कि सिलिटरी की दृष्टि से "पश्चात्" शब्द के बाद भी अल्पविराम लगाना पड़ेगा; कोई भी प्रतिबन्ध आज्ञा "कामा", उसके जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष के पश्चात् "कामा . . . . . .

अध्यक्ष---यह अनावश्यक है।

श्री राजाराम शर्मा---मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

निरोध आज्ञा प्राप्त करने की सूचना।

४---(१) यदि सूचना मिलने पर जिला मैजिस्ट्रेट को संतोष हो जाय कि कोई व्यक्ति, जो उस जिले में साधारणतः रहता हो, अभ्यस्त अपराधी है और उसके विरुद्ध प्रतिबन्ध आज्ञा दी जानी चाहिये तो वह नोटिस द्वारा ऐसे व्यक्ति को ऐसे समय और स्थान पर, जो कि नोटिस में निर्दिष्ट किया जाय, उपस्थित होकर आज्ञा प्राप्त करने का आदेश दे सकता है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम में इससे पूर्व लिखी हुई किसी बात से जिला मैजिस्ट्रेट के लिये यह अपेक्षित नहीं होगा कि वह लगाये जाने वाले प्रतिबन्धों को नोटिस में निर्दिष्ट कर दे।

(२) उपधारा (१) के अन्तर्गत जिस व्यक्ति के विरुद्ध नोटिस जारी किया गया हो वह निम्नलिखित में से किसी आधार पर, नोटिस का प्रतिवाद (contest) कर सकता है, अर्थात्:

(क) कि वह नोटिस के दिनांक पर १८ वर्ष से कम उम्र का था,

(ख) कि उसे दिये गये कारावास के अंतिम दंड की अवधि की समाप्ति के दिनांक और नोटिस के दिनांक के बीच तीन वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है,

(ग) कि वह अभ्यस्त अपराधी (habitual offender) नहीं है।

श्री कमला सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (१) के अन्त में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं--

परन्तु नोटिस में प्रतिबन्ध आज्ञा देने के आधार "व्यक्त होने चाहिये।"

इसके पहिले कि मैं इसके बारे में कुछ कहूं, मैं इस सदन में धारा ४ की उपधारा (१) पढ़ देना चाहता हूं। "यदि सूचना मिलने पर जिला मैजिस्ट्रेट को संतोष हो जाय कि कोई व्यक्ति, जो उस जिले में साधारणतः रहता हो, अभ्यस्त अपराधी है और उसके विरुद्ध प्रतिबन्ध आज्ञा दी जानी चाहिये तो वह नोटिस द्वारा ऐसे व्यक्ति को ऐसे समय और स्थान पर, जो कि नोटिस में निर्दिष्ट किया जाय, उपस्थित होकर आज्ञा प्राप्त करने का आदेश दे सकता है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम में इससे पूर्व लिखी हुई किसी भी बात से जिला मैजिस्ट्रेट के लिये यह अपेक्षित नहीं होगा कि वह लगाये जाने वाले प्रतिबन्धों को नोटिस में

निर्दिष्ट कर दे।" तो जहाँ तक कि इस विधेयक का ताल्लुक है, उसका मंशा यह है कि धारा ३ में जो आर्डर्स हैं प्रतिबन्ध आज्ञा के वह धारा ४ में जो नोटिस दी जाती है उसमें उसका लिखना जरूरी नहीं समझा गया है। मैं भी सहमत हूं कि नोटिस में जो प्रतिबन्ध आज्ञा अभियुक्त को दी जायगी उसका लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि मैजिस्ट्रेट को यह डिस्क्रिशन है कि धारा ३ (क), (ख), (ग), में आज्ञा दी गयी है उनमें किसी एक को या तीनों दी जा सकती है या किसी दो को भी दिया जा सकता है इससे तो सहमत हूं। लेकिन चीज यह है कि जब वह व्यक्ति मैजिस्ट्रेट के सामने आयेगा अगर कोई भी चीज उस नोटिस में नहीं दी गयी है कि प्रीवियस तीन कनविक्शन के अलावा और क्या बातें उसके खिलाफ कही गयी हैं या और क्या उसने बुरा काम किया है जिसके लिये वह नोटिस भेजा गया है, तो ऐसी हालत में उस अभियुक्त को यह मौका नहीं मिलेगा कि वह अपने डिफेंस को प्लीड कर सके या यह जान सके कि उसके ऊपर क्या-क्या चार्जेज लगाये गये हैं। यदि हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा २४२ को पढ़ें जो समंस केस के मुताल्लिक है, क्योंकि इस विधेयक के जरिये जो ट्रायल होगा वह समंस ट्रायल होगा, तो उसमें यह है :

"When the accused appears or is brought before the Magistrate, the particulars of the offence of which he is accused shall be stated to him and he shall be asked if he has any cause to show why he should not be convicted; but it shall not be necessary to frame a formal charge"

सिर्फ इतना इसमें दिया गया है कि फार्मल चार्ज नहीं लगाया जायगा, लेकिन मैजिस्ट्रेट के लिये यह लाजमी होगा कि वह जितने चार्जेज उसके ऊपर लगाये गये हैं वह उनको बदल दें। जहाँ तक धारा ४ की बात है, इसमें जो डेफिनिशन है हैबिचुअल आफेंडर की उसमें ३ बार का प्रीवियस कनविक्शन ही जरूरी है और तीन बार का प्रीवियस कनविक्शन होने के बाद उसको हैबिचुअल आफेंडर करार दिया जाता है। अगर जितने आदमी तीन बार के प्रीवियस कनविक्ट इस प्रान्त में हैं सबके खिलाफ हम नोटिस दे देंगे तो बहुत ही हेरास्मेंट लोगों को होगा। इसलिये यह जरूरी होता है कि इन तीन प्रीवियस कनविक्शन के अलावा और भी बातें जो उसके खिलाफ हों, वह सब हम मेंशन करें और वह बातें ऐसी ही हो सकती हैं कि तीन कनविक्शंस के बाद वह कैसी लाइफ बिताता रहा हो, जैसे "लीडिंग ए परसिस्टेंट क्रिमिनल लाइफ" या ऐसी कोई चीज हो। तो जिस आधार पर उसको नोटिस दिया जा रहा हो वह चीज भी नोटिस के अन्दर देना बहुत ही आवश्यक है।

जहाँ तक वारंट ट्रायल का सवाल है, वारन्ट ट्रायल में कोई भी मुल्जिम जब आता है, उसके खिलाफ पूरी शहादत दी जाती है, शहादत सुनने के बाद उसके खिलाफ चार्ज लगाया जाता है, चार्ज लगाने के बाद उसको गवाहों से जिरह करने का मौका दिया जाता है, उसके बाद वह डिफेंस पेश कर सकता है। ऐसी हालत में जब एक साल से तीन साल का कंविक्शन होने जा रहा है, यदि हम उसको इतनी भी लिबर्टी न दें कि उसको यह बतलाया जाय कि उसके खिलाफ क्या-क्या चार्जेज हैं जिनको वह मीट कर सके, तो मैं समझता हूं कि वह न्यायसंगत बात नहीं होगी।

साथ ही साथ हमें यह भी देखना है कि वह मुल्जिम जो मैजिस्ट्रेट के सामने लाया जायगा वह ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो अनपढ़ हो, गरीब हो, जिसकी कोई सहायता करने वाला न हो, यह भी हो सकता है कि उसकी कोई पैरवी करने वाला न हो। ऐसी हालत में इस स्वतंत्र भारत में हम यह चाहते हैं कि कोई भी मुल्जिम जो किसी नोटिस के जरिये किसी अदालत के सामने बुलाया जाय उसको पूरा मौका इस बात को देखने का दिया जाय कि जो उसके खिलाफ चार्जेज लगाये गये हैं वे निराधार तो नहीं हैं। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि यह जो मेरा संशोधन है यह मान लिया जाय।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अध्यक्ष महोदय, जिन बातों का जिक्र माननीय सदस्य ने अभी किया, प्रवर समिति के सामने भी वे चीजें थीं लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि माननीय सदस्य इस कानून का जो एक मूल आधार है उससे बहुत दूर जा रहे हैं। अपने संशोधन को पेश करते समय उन्होंने स्वतंत्र भारत का जिक्र किया, गरीब आदमियों के दुख का जिक्र किया, उन सब बातों का खयाल हमें करना चाहिये लेकिन एक बात और भी ध्यान में रखनी चाहिये। अभी थोड़े दिन हुए जब हमने बजट पर बहस की और दूसरे मौकों पर भी इस बात का चर्चा होता है कि हमारे प्रदेश में क्राइम बढ़ रहे हैं। इस बात का चर्चा होता है कि क्राइम को रोकना चाहिये। यदि एक आदमी ने अपराध किया है तो वह पकड़ा जायगा और उसको सजा होगी। यहाँ पर जो मुल्जिम शब्द का लोग दुरुपयोग करते हैं या यह कहते हैं कि उसके सामने क्या-क्या चार्जेज हैं, उसको सजा होगी, ये सारे अल्फाज गलत हैं। वह मुल्जिम नहीं है। यहाँ मुल्जिम का शब्द ठीक नहीं है, चार्जेज का शब्द ठीक नहीं है, सजा का शब्द ठीक नहीं है। ये तीनों अल्फाज गलत हैं। एक आदमी है जिसने एक प्रकार के अपराध किये हैं परन्तु इत्तिफाक से वह जेल के बाहर है, अब हमारे सामने सवाल यह आता है कि किसी वजह से उसके रहन-सहन की बाबत मैजिस्ट्रेट को इत्तिला मिली है और वह यह समझता है कि बिला पाबन्दी उसका समाज में रहना ठीक नहीं है तो फिर क्या किया जाय? जिस दिन वह जुर्म कर लेगा वह मुल्जिम हो जायगा और उसको सजा मिलेगी। उससे पहिले अगर बहुत से काम करता है और बहुत से लोगों के साथ असोसिएट करके उनको तरह-तरह के अपराध करने के लिये सलाह देता है परन्तु वह किसी खास दफा की पकड़ में नहीं आता है, तो सवाल यह पैदा होता है कि किसी तरह से यह किया जाय कि आगे चल करके वह अपराध न करे और दूसरों को अपराध के रास्ते पर न लगाये। ऐसी हालत में मैजिस्ट्रेट के लिये यह असंभव होगा कि वह चार्जेज या कुछ खास दफाओं का ब्यौरा दे सके। टू शो काज की कार्यवाही अगर इसमें भी होगी तो फिर वकीलों की जगह आ जायगी। एक एक जगह ऐसे सैकड़ों आदमी निकल आयेंगे और फिर सारा समय वकीलों की बहस में निकल जायगा और जो क्राइम को रोकने की बात है वह रुक जायगी इसलिये यह जो संशोधन पेश किया गया है यह जो इस कानून की मंशा है, जो कानून का मुख्य उद्देश्य है, जो इस कानून की रूह है, उसके विरुद्ध है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इसकी ओर ध्यान देंगे और इसको प्रेस नहीं करेंगे। कम से कम मैं मजबूर हूं कि मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री कमला सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी की बातें सब सुनी हैं लेकिन जो बातें माननीय मंत्री जी बतला रहे हैं उनमें तीन इम्पार्टेन्ट चीजें हैं। पहली तो यह है कि क्राइम बढ़ रहे हैं और उनको रोकने के लिये आप कह रहे हैं कि यह जरूरी है कि विधेयक जैसा है उसको वैसा ही पास किया जाय।

मुझे यह अर्ज करना है कि जहां तक क्राइम बढ़ने का ताल्लुक है हम भी चाहते हैं क्राइम को रोका जाय। लेकिन क्राइम के रोकने का तरीका यह नहीं है जो अख्तियार किया जा रहा है। इसका तरीका यह है कि अगर कोई आदमी एक दफा आफेन्स करता है दुबारा करता है, तीसरी बार करता है और चौथी बार करता है तो उसको डिफरेन्ट पनिशमेंट दिया जाना चाहिये। इसलिये इंडियन पैनल कोर्ड में धारा ७५ बनाई गई है। इसमें जितनी चाहें, सजा दे सकते हैं और इसके साथ-साथ और भी कानूनी अख्तियार दिया है। धारा ५६५ में आप उसको ५ वर्ष तक पाबंद कर सकते हैं। उसके मूवमेंट पर जो आप प्रतिबन्ध लागू करने जा रहे हैं इसमें तो आप तीन वर्ष के लिये ही कर रहे हैं लेकिन उसमें आप ५ वर्ष तक कर सकते हैं। लेकिन यह विधेयक उन आदमियों को कंफाइनमेंट में रखने जा रहा है जिन्होंने जुर्म कुछ भी नहीं किया है और अगर जुर्म किया है तो जैसा

कि विधेयक में है वह ऐसा है जैसा कि ३ (ए) में दिया है कि मैजिस्ट्रेट जब आर्डर देगा कि "(क) किसी जिले में निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर ही अपनी गतिविधि को सीमित रखना" जिसके लिये कहा गया है कि वह इधर-उधर हो जाय तो यह ब्रीच आफ आर्डर होगा।

फिर दूसरा यह होगा कि "(ख) ऐसे पदाधिकारी को और ऐसी रीति से जो नियत की जाय, अपने निवासस्थान और उसमें किये गये तथा किये जाने वाले प्रत्येक परिवर्तन की या वहां से प्रत्येक अनुपस्थिति या अभिप्रेत अनुपस्थिति की सूचना देना।" सिर्फ इंफारमेशन का ताल्लुक है। सोचिये आप, एक आदमी है जो अपनी गैरहाजिरी की इत्तिला नहीं दे रहा है उसके लिये आप क्या करने जा रहे हैं? १२ महीने से लेकर ३ साल तक का कंफाइनमेंट करने जा रहे हैं। मैं नहीं समझता सकता कि कोई भी आदमी इसको स्वीकार करेगा और खासकर अब जबकि भारत स्वतंत्र हो गया है। हमने इंगलैंड का ला भी पढ़ा है, इस प्रांत का भी पढ़ा है तथा दूसरे प्रांतों का भी पढ़ा है। बम्बई में जो हैबीचुअल आफेन्डर्स का कानून है तो उसमें देखते हैं कि अभ्यस्त अपराधियों के लिये जितनी धारायें रखी गई हैं वह सब धारा ११० से ही चलती हैं। यदि मैजिस्ट्रेट देखता है कि वह व्यक्ति जिसके खिलाफ धारा ११० की प्रोसीडिंग्स हो रही है तो यह जरूरी है कि उसके खिलाफ भी प्रतिबन्ध की आज्ञा जारी कर दे। ऐसी हालत में ११० के साथ पनिशमेंट दिया जाता है। नतीजा यह होता है कि ११० में सजा दी जाय और प्रतिबंध आज्ञा भी जारी की गई है तो दोनों साथ-साथ रहती है। इसका मंशा यह है कि अगर वह ११० में एक साल के लिये आता है तो रेस्ट्रिक्शन तीन साल के लिये रख सकते हैं। एक साल वह जेल में रहेगा तो तीन साल तक रेस्ट्रिक्शन रख सकते हैं और दोनों सजायें साथ-साथ रन करेंगी। ऐसा ही इंगलैन्ड में बताया जाता है। इंगलैन्ड में जो डिटेंशन आफ हैबीचुअल कंविक्ट्स है उसमें दिया हुआ है कि--

"Detention of Habitual Criminals: Where a person is convicted on indictment of a crime commited after the passing of this act, and subsequently the offender admits that he is or is found by the jury to be a habitual criminal, and the court passes a sentence of penal servitude, the court, if of opinion that by reason of his criminal habits and mod of life, it is expeditent for the protection of the public that the offender should be kept in detention for a lengthend period of years, may pass a further sentence ordering that on the determination of the sentene of penal servitude he be detained for such period not exceeding ten nor less than five years, as the court may determine, and such detention is hereinaftr referred to as preventive detention, and a person on whom such a sentence is passed shall, whilst undergoing both the sentence of penal servitude and the sentece of preventive detention, be deemed for the purposes of the forfeiture Act 1870, and for all other purposes, to be a person convicted of felony."

इस तरह हम देखते हैं कि इसमें भी अगर कोई मेजर जुर्म है और उसके लिये कोई बात होती है तो उसके साथ-साथ कोर्ट अगर यह देखती है कि वह मुलजिम जो लाया गया है, वह प्लीड करता है कि गिल्टी हैं या हैबीचुअल आफेन्डर हैं, इंगलैन्ड में जरूरी बात होती है कि कोई हैबीचुअल आफेन्डर है या नहीं। अगर हैबीचुअल आफेन्डर जूरी की जगह डिक्लेयर कर दिया गया इन दो हालतों में या तो वह खुद गिल्टी प्लीड करे या जूरी साबित करे और ऐसी हालत में कोर्ट यह समझती है कि उसका फर्दर डिटेंशन जरूरी है तो उसके खिलाफ डिटेंशन आर्डर जारी होगा। लेकिन यह भी इस सेक्शन में दिखाया गया है "इन एडीशन टु दैट प्रीवियस सेन्टेंस" दोनों सेन्टेंसेज हैं, कान्करेंट रन करती हैं तो ऐसी हालत में मैं इस सरकार का ध्यान इधर आकर्षित करना चाहता हूं कि पहले यह चालाकी की गई है हमारे लीगल रिमेम्ब्रेंसर साहब ने शुरू से आखिर

[श्री कमला सिंह]

तक चालाकी ही चालाकी की है। पहले तो यह जो असेम्बली है उसको अधिकार ही नहीं है ऐसे कानून को लाने का, क्योंकि कंफाइनमेंट के मानी डिटेन्शन के हैं किसी स्टैंडर्ड डिक्शनरी को ले लीजिये हर एक में कन्फाइनमेंट का मतलब डिटेन्शन से होगा और अगर डिटेन्शन पर आते हैं तो कांस्टीट्यूशन के अनुच्छेद, २२ (४) के मुताबिक आप इस विधेयक को ला ही नहीं सकते। माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपकी आज्ञा से अनुच्छेद २२ (४) को पढ़ देता हूं--

"No law providing for preventive detention shall authorise detention of a person for a longer period than three months."

[निवारक निरोध उपबन्धित करने वाली कोई विधि किसी व्यक्ति को तीन महीने से अधिक कालावधि के लिये निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत . . . . . न करेगी . . . . . "]।

आप इस विधेयक के जरिये जो काम करने जा रहे हैं वह यह है कि आप एक व्यक्ति को एक साल से तीन साल तक डिटेंशन के अन्दर रखने जा रहे हैं। लेकिन आपकी पावर क्या है और आप क्या करने जा रहे हैं ? इस चीज को आपको देखना है। इसके जरिये उन व्यक्तियों का वहिष्कार किया जा रहा है और आप उनको अपील तक का मौका नहीं देना चाहते।

अध्यक्ष---आपके संशोधन से इसका सम्बन्ध नहीं है। पूरे ऐक्ट से इसका मतलब है।

श्री कमला सिंह--माननीय मंत्री जी ने जो कहा है उसका प्रतिरोध मैं कर रहा हूं। मंत्री जी ने यह प्वाइंट उठाया, इसलिये जवाब देना उचित समझता हूं।

अध्यक्ष---आप अब संशोधन पर आ जाइये।

श्री कमला सिंह--तो जहां तक संशोधन का ताल्लुक है, उसके अन्दर हमें यह देखना है कि नोटिस जो आप दे रहे हैं मुलजिम के साथ आप इससे न्याय क्या कर रहे हैं। आप उस व्यक्ति को अपील तक का राइट नहीं दे रहे हैं। सिर्फ तीन चीजें आप उसके सामने रख रहे हैं कि वह १८ बरस का हो या तीन साल की अवधि बीत चुकी हो या हैबिचुअल आफेन्डर न हो। आपकी डेफिनीशन के अन्दर जो हैबिचुअल आफेन्डर का जाल बिछा हुआ है उसके अन्दर वह आ जायगा और उसके अन्दर से वह नहीं निकल सकता। नतीजा यह होगा कि इस विधेयक के जरिये आप देखेंगे कि एक ऐसा बेगुनाह आदमी फंसने जा रहा है जिसका कोई कसूर नहीं है सिवा इसके कि उसने कोर्ट को नोटिस नहीं दिया। ऐसी हालत में मैं माननीय मंत्री से यह प्रार्थना करूंगा कि वह खुद इस चीज पर सोच लें और इस सदन के माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे भी इस चीज पर अच्छी तरह से विचार कर लें। अगर हमारे सामने ऐसे व्यक्ति को लाया जाता जिसकी सजा का सवाल होता किसी ने जुर्म किया होता तो मैं कहता कि उसको फांसी पर लटका दिया जाय, मैं कोई एतराज न करता।

लेकिन आप के सामने उसके मामूली जुर्म का सवाल है कि उसको नोटिस की इत्तिला न दें। उसकी मूवमेन्ट को एक धारा के जरिये से बाहर निकाल दी गई है और इस तरह से उसकी मूवमेन्ट को रिस्ट्रिक्ट करने की अवहेलना करना है और साथ ही रिपोर्ट करने के लिये तो आपका आर्डर है और मौके पर उसने ऐसा नहीं किया तो उसको तीन साल तक के लिये सजा होती है . . . . . ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं, ऐसी कोई चीज इसके अन्दर हम नहीं कर रहे हैं और न इसके अन्दर ही दिया हुआ है।

श्री कमला सिंह--यह इसमें दिया हुआ है कि धारा १३ (१) में यदि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई प्रतिबन्ध आज्ञा जारी की गयी हो और ऐसी आज्ञा सप्रभाव हो ऐसी आज्ञा या नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा तो धारा १४ के अन्तर्गत उसके विरुद्ध की जाने वाली अन्य किसी कार्यवाही के अतिरिक्त उसे निम्नलिखित दंड मिल सकता है--

(क) पहली बार अभिशस्त (convict) होने पर कारावास दंड, जो ६ मास तक हो सकता है और

(ख) दूसरी बार अथवा बाद को अभिशस्त होने पर बस्ती में १२ महीने के लिये या इससे अधिक अवधि के लिये, जो तीन वर्ष से अधिक की न होगी और जिसे मैजिस्ट्रेट निश्चित करे आसेध (confinement)।

२— कोड में किसी भी बात के होते हुये कोई भी प्रथम श्रेणी का मैजिस्ट्रेट उपधारा (१) के अधीन बस्ती में आसेध का दंड दे सकता है, जिसकी अवधि तीन वर्ष से अधिक की न होगी ।

और अगर माननीय मंत्री जी इसको क्लियर कर देंगे तो मैं मान लूंगा । यह मसला तो ऐसा है कि जिसको आप दंड देने जा रहे हैं उसको अपने डिफेन्स का मौका अवश्य मिलना चाहिये। उसके साथ आपको दया करना चाहिये। अदालत से जो नोटिस भेजा जाय उसमें कम से कम उसको यह जरूर बतलाया जावे कि किस लिये वह अदालत के सामने आ रहा है। एक प्रतिबन्ध आज्ञा आप उसके लिये जारी करें तो उसको जरूर यह बतलाना चाहिये। इसके साथ ही यह बात है कि मैजिस्ट्रेट बिला किसी खयाल के रखे हुये एक व्यक्ति की ट्रायल करने जा रहा है और एक व्यक्ति को प्रतिबन्ध आज्ञा दी जा रही है तो उसको इसका मौका मिलना चाहिये। इसमें तो यह लीगल रिमेम्बरेंसर की चालाकी की वजह से रह गया है....

अध्यक्ष—माननीय सदस्य 'चालाकी' शब्द का कई बार प्रयोग कर चुके हैं। जो यहां पर अपनी सफाई देने के लिये नहीं है, उनके लिये इस प्रकार के शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिये।

श्री कमला सिंह —मैं इसको वापस लेता हूं और इन सब बातों को भवन के सामने रखता हुआ मैं अपने प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मुझे और कुछ निवेदन नहीं करना है।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (१) के अन्त में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं।

"परन्तु नोटिस में प्रतिबन्ध आज्ञा देने के आधार व्यक्त होने चाहिये।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री राजाराम शर्मा—मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (२) की पंक्ति २ में शब्द "किया गया" के स्थान पर शब्द "की गयी" रखा जाय। यह केवल शाब्दिक संशोधन है और इस विधेयक में कई जगह पर यह आया है। नोटिस दी गयी होता है न कि नोटिस दिया गया। मुझे आशा है कि यह स्वीकार किया जायगा।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मालूम तो यही होता है कि आम तौर पर लोग नोटिस दिया गया बोलते हैं, इस कारण यह उचित नहीं मालूम होता है ।

श्री राजाराम शर्मा—मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री कमला सिंह—श्रीमान्जी, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (२) की पंक्ति ३ में से शब्द "किसी" के बाद शब्द "या अन्य" बढ़ा दिये जायं।

जहां तक व्यक्ति के सरकम्सटेन्सेज का सवाल है वह मैं पहले बता चुका हूं। सिर्फ एक बात बतलाना चाहता हूं कि ऐसी हालत में जब कि डेफीनिशन कन्फाइन्ड है कि जो तीन बार आफेन्स कर चुका हो वही हैबिचुअल आफेन्डर है तो दूसरा इसके अलावा इसके अन्दर नहीं आ सकता है।

दूसरी चीज यह है कि यदि आप इस बात को लाना चाहते हैं तो हमें उस बारे में भी कहना है कि यह जो ३ सरकमस्टेन्सेज हैं वह काफी नहीं हैं, मसलन मान लीजिये कि कोई

[श्री कमला सिंह]

भी आदमी अगर अंधा हो तो उससे कोई भी उम्मीद नहीं कर सकता कि वह किसी प्रकार की कोई चोरी करेगा या जो पंगु है चल नहीं सकता, तो उसको ४ आदमी ले जायंगे कि चलो तुम कत्ल करो या चोरी करो। ऐसे आदमियों से क्या आप आशा करते हैं कि वह भी अपराधी हो सकते हैं? बुड्ढे भी ऐसे हो सकते हैं हम को भी ६०-७० वर्ष की उम्र तक जाना हो सकता है। जैसे कि बिल के खंड ४ के उपखंड (२) में क,ख,ग लिखे हैं अगर इतना ही उचित समझते हैं तो उनके लिये मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा इस सदन को आगाह करना चाहता हूं और मंत्री जी से भी कहूंगा कि हमें उन लोगों का भी खयाल करना है जो निर्दोष और बेगुनाह हैं। यह ऐसे लोग हैं, जिनके बारे में नहीं कहा जा सकता कि वह किसी प्रकार का जुर्म कर सकें। इसी में ल्यूनेटिक्स आदि भी आते हैं।

साथ ही साथ आपने इस बिल के साथ धारा ७ भी जोड़ी है और बतलाया है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जब प्रतिबन्धक आज्ञा देगा तो इन चीजों का खयाल करेगा, प्रतिबन्ध आज्ञा देते समय जिला मैजिस्ट्रेट निम्नलिखित बातों पर विचार करेगा:

(१) उन अपराधों का प्रकार, जिनके लिये अभ्यस्त अपराधी अभिशस्त हुआ था और वे परिस्थितियां, जिनमें वे अपराध किये गये हों,

(२) अभ्यस्त अपराधी का वर्तमान काम या पेशा,

(३) उस क्षेत्र की उपयुक्तता जिसमें उसकी गतिविधि सीमित की जाने वाली हो, और

(४) ऐसी रीति, परिस्थितियां तथा शर्तें, जिनके अनुसार राज्य सरकार ऐसे अभ्यस्त अपराधी के, जिसके विरुद्ध धारा ६ की उपधारा (२) के अन्तर्गत प्रतिबन्ध आज्ञा जारी की गई हो, रोजगार की व्यवस्था करेगी। जैसा कि यहां बहुत से मेम्बरों ने मुझ से कहा कि इसमें तो रोजगार की व्यवस्था की गई है। मैं समझता हूं कि हमें इस चीज पर खुश नहीं होना चाहिये। हमें देखना यह चाहिये कि जब यह बिल सदन के बाहर जायगा और जनता पर लागू होगा तो जनता क्या कहेगी। अगर आप खंड ५ की उपधारा (२) को देखें तो उसमें आप हमें सीमित कर रहे हैं कि हम ३ ही चीजों पर कन्टेस्ट कर सकते हैं और प्रतिवाद कर सकते हैं। इसके लिये धारा ७ की चीजें कैसे आयेंगी? यह पहला बिल है जिसमें सारा बार प्रासीक्यूशन पर न फेंक कर एक्यूज्ड पर फेंका जा रहा है। मैं दो-तीन बातों को आज फिर दोहरा देना चाहता हूं क्योंकि कल मंत्री जी यहां नहीं थे। एक चीज यहां कल १८ साल की उम्र के बारे में आई थी। उसके बारे में मैं बतलाना चाहता हूं कि जब कोई बाल का आदमी मरता है तो थाने में एक रजिस्टर में पैदायश और फौती लिखी जाती है और वह सब रिकार्ड वहां के रिकार्ड रूम में रहते हैं और वह प्रीजर्व रखा गया है। सरकार के पास सिविल सर्जन हैं, मेडिकल आफीसर्स हैं, हर जिले में सरकारी अस्पताल हैं। वह उनके जरिये उसकी उम्र का पता लगा सकती है, लेकिन वह उसका बर्डेन उस व्यक्ति के ऊपर फेंक रही है।

अध्यक्ष---इस समय यह असंगत है।

श्री कमला सिंह---इसके लिये मैंने पहले ही आपकी आज्ञा मांग ली थी कि कल माननीय मंत्री यहां उपस्थित नहीं थे। अस्तु मैंने यह बतलाया कि अंधे, पंगु या वृद्ध तथा किसी बीमारी के ग्रस्त लोग अथवा ल्यूनेटिक जो ऐसे लोग हैं उनको इससे एक्जेम्प्ट कर दिया जाय। इसकी व्यवस्था इसमें नहीं की गई है। इसलिये मैं चाहता हूं कि वह संशोधन जो मैंने उपस्थित किया है माननीय मंत्री जी को रीजनेबिल लगेगा और वह उसे स्वीकार कर लेंगे।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अध्यक्ष महोदय, यह बात तो नहीं मानी जा सकती कि किसी बीमारी से ग्रस्त हुआ कोई आदमी अपराध नहीं कर सकता। जिन्होंने अपराधियों की सूची देखी

है वे जानते हैं कि ऐसे टी० बी० के लोग मौजूद हैं, जिन्होंने खून किया है। हां, ऐसे केसेज हो सकते हैं जिनके बारे में विचार किया जा सकता है। आगे चलकर २७-२८ नम्बर पर जो संशोधन हैं उन पर सरकार विचार कर रही है, इसलिये मुझे आशा है कि जो बात माननीय सदस्य के ध्यान में है वह किसी न किसी प्रकार से आ ही जायगी। संभव है कोई रास्ता निकल आये।

श्री कमला सिंह—जैसा कि माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि वे ऐसी बातों पर विचार कर रहे हैं। उम्मीद है कि वे मेरी बात को मान लेंगे इसलिये वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया है, यदि आप उचित समझें तो यह संशोधन इंटरवेल के बाद ले लिया जाय।

(इस समय १ बजकर १० मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करूंगा कि मेरा संशोधन नं० २७ और २८ कुछ समय के बाद लिया जाय।

उपाध्यक्ष—इस वक्त खंड ४ चल रहा है तो आप उसी के मुताल्लिक बोलें।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इंटरवेल से पहले भी अध्यक्ष महोदय से इसके लिये प्रार्थना की थी और उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया था कि नं० २७ और २८ पर हम कुछ विचार कर रहे हैं। तो इन दोनों संशोधनों के लिये यदि आप उचित समझें तो कुछ और समय दे दें और जब तक हम इस संबंध में विचार कर रहे हैं तब तक और संशोधनों को आप ले लें।

(खंड ४ पर थोड़ी देर के लिये विचार स्थगित किया गया।)

खन्ड ५

उपस्थिति के लिये बाध्य करने की प्रक्रिया

५— उस स्थिति में जब किसी ऐसे व्यक्ति का, जिसके विरुद्ध धारा ४ की उपधारा (१) के अधीन नोटिस जारी किया जा चुका हो, पता न चल रहा हो अथवा वह नोटिस न लेता हो अथवा नोटिस उचित रीति से तामील हो जाने के पश्चात् वह संबद्ध जिला मैजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित न होता हो तो जिला मैजिस्ट्रेट कोड के अध्याय ६ (Chapter VI) के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही करेगा मानो उक्त नोटिस उक्त कोड के अधीन जारी किया गया वारंट था।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग मान लिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खन्ड ६

सूचना (नोटिस) की सुनवाई और आज्ञा की तामील

६—(१) यदि संबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गई आपत्तियों पर, यदि कोई हों, और ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह उचित समझे जिला मैजिस्ट्रेट को यह ज्ञात हो कि वह नोटिस के दिनांक पर १८ वर्ष से कम उम्र का हो अथवा जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है तीन वर्ष से अधिक की अवधि व्यतीत हो चुकी है अथवा वह अभ्यस्त अपराधी (habitual offender) नहीं है तो वह उक्त नोटिस को उत्सर्जित (discharge) कर देगा, और यदि ऐसा व्यक्ति धारा ५ के अधीन की गई किसी भी कार्यवाही के अनुसार अभिरक्षा (custody) में हो तो उसे तुरन्त मुक्त कर देने का निदेश करेगा।

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन नोटिस निरस्त न किया जाय तो जिला मैजिस्ट्रेट उसके विरुद्ध प्रतिबन्ध आज्ञा दे देगा।

श्री कमला सिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि मेरे संशोधन नं० २६ को माननीय मंत्री जी ने मान लेने का वचन दिया है, इसलिये मैं संशोधन नं० ३१ को प्रेस करने की आवश्यकता नहीं समझता हूं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यहां पर कुछ भ्रम है। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह नहीं कहा था कि संशोधन नं० २६ मान लिया जायगा बल्कि मैंने यह कहा कि उनकी जो विश (इच्छा) है उसे मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा।

श्री कमला सिंह---मेरा मतलब भी वही है।

श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्न संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं :---

> "खंड ६ के उपखंड (१) की पंक्ति ६ के शब्द "चर" के स्थान पर शब्द "कर" तथा पंक्ति ८ में शब्द "निदेश" के स्थान पर शब्द "निर्देश" रख दिये जायं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यह तो गल्ती से छप गया है। "चर" की जगह "कर" ही होना चाहिये।

उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (१) की पंक्ति ६ के शब्द "चर" के स्थान पर शब्द "कर" तथा पंक्ति ८ में शब्द "निदेश" के स्थान पर शब्द "निर्देश" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(संशोधित खंड ६ पर आगे चल कर मत लिये गये।)

खंड ७

निरोध आज्ञा देते समय विचारणीय तथ्य।

७---प्रतिबन्ध आज्ञा देते समय जिला मैजिस्ट्रेट निम्नलिखित बातों पर विचार करेगा :---

(१) उन अपराधों का प्रकार जिनके लिये अभ्यस्त अपराधी अभियुक्त (convict) हुआ था और वे परिस्थितियां जिनमें वे अपराध किये गये हों,

(२) अभ्यस्त अपराधी का वर्तमान काम या पेशा,

(३) उस क्षेत्र की उपयुक्तता जिसमें उसका गतिविधि सीमित की जाने वाली हो, और

(४) ऐसी शर्तें, परिस्थितियां तथा शर्तें, जिनके अनुसार राज्य सरकार, ऐसे अभ्यस्त अपराधी के, जिसके विरुद्ध धारा ६ की उपधारा (२) के अन्तर्गत प्रतिबन्ध आज्ञा जारी की गई हो, रोजगार की व्यवस्था करेगी।

उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ७ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ८

निरोध आज्ञा का संशोधन

८---(१) जिला मैजिस्ट्रेट अपने द्वारा दी गई प्रतिबन्ध आज्ञा में समय समय पर परिवर्तन या संशोधन कर सकता है, और अभ्यस्त अपराधी का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर, किसी अन्य जिले के जिला मैजिस्ट्रेट की सहमति से उसको ऐसे अन्य जिले में अपना निवासस्थान परिवर्तित कर लेने की अनुज्ञा दे सकता है।

(२) उस स्थिति में जब किसी अभ्यस्त अपराधी को उपधारा (१) के अधीन किसी अन्य जिले में अपना निवासस्थान परिवर्तित करने की अनुज्ञा दी गयी हो, तो ऐसे अन्य जिले का जिला मैजिस्ट्रेट प्रतिबन्ध आज्ञा को परिवर्तित या संशोधित, जैसा भी वह आवश्यक समझे, कर सकता है, किन्तु ऐसे सभी परिवर्तन या संशोधन निवासस्थान में परिवर्तित किये जाने के समय से ही सप्रभाव होंगे न कि उससे पूर्व।

श्री देवकीनन्दन विभव--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ के उपखंड (१) की पंक्ति ३ में शब्द "होने पर" के स्थान पर शब्द "होने या स्वयं" रख दिये जायं।

इसका आशय यही है कि यदि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट चाहे तो भी इस पर आज्ञा दे सके।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उपाध्यक्ष महोदय, यह जो मूल पेश किया गया था उसमें यह चीज थी, लेकिन उसको प्रवर समिति ने बदला यह समझ कर कि अगर कोई नागरिक किसी जिले से दूसरे जिले में इसलिये कि उसको प्रतिरोध में लाया गया है ट्रांसफर कर दिया जाय तो एक तो उसका प्रतिरोध हो और फिर उसको दूसरे जिले में हटाया जाय अगर यह अधिकार जिला मैजिस्ट्रेट को न दिया जाय तो अच्छा है। यही प्रवर समिति की भी इच्छा थी और मैं समझता हूं कि अब माननीय सदस्य की भी यही भावना बन गयी है कि ऐसा अधिकार उनके हाथ में नहीं होना चाहिये।

श्री देवकीनन्दन विभव--मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ९

अभ्यस्त अपराधी का प्रव्रजन (migration)।

९--यदि कोई अभ्यस्त अपराधी, जिसके विरुद्ध धारा ६ के अधीन प्रतिबन्ध आज्ञा दी गयी हो, धारा ८ की उपधारा (१) के अधीन दी गयी किसी आज्ञा के अनुसार अपना निवासस्थान किसी अन्य जिले में परिवर्तित करे तो ऐसे अभ्यस्त अपराधी के संबंध में अन्य जिले के जिला मजिस्ट्रेट को वही अधिकार प्राप्त होंगे जो उस जिला मैजिस्ट्रेट को थे, जिसने आरंभिक आज्ञा दी थी।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १०

पुनर्विलोकन (review)।

१०--जिला मजिस्ट्रेट नियत रीति से और नियत विरामों (intervals) पर ऐसे सभी अभ्यस्त अपराधियों के मामलों का दो अफसरों की सहायता से पुनर्विलोकन (review) कर सकता है। जिन पर धारा ६ के अधीन प्रतिबन्ध आज्ञा तामील की गयी हो, इस बात के निश्चय करने के लिये कि उन पर लगाये गये प्रतिबन्धों का हटाया जाना वांछनीय है या नहीं;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि पहला पुनर्विलोकन प्रतिबन्ध आज्ञा के दिनांक से तीन मास के भीतर ही होगा।

श्री देवकीनन्दन विभव--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड १० के बाद निम्नलिखित उपखंड (२) रख दिया जाय:

"(२) राज्य सरकार ऐसे किसी भी निर्णय के कागजात, स्वयं या अभ्यस्त अपराधी की प्रार्थना पर मांग सकती है और उचित आज्ञा दे सकती है।"

[श्री देवकीनन्दन विभव]

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन का आशय यह है कि कभी कभी ऐसा होता है और चाहे ऐसे केसेज थोड़े से ही हों लेकिन हो सकते हैं ऐसे केसेज जिनमें निरपराध लोग जो हैं उनको भी ऐसी आज्ञा हो जाय और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से ठीक आज्ञा न मिले। उसमें ज्यादा मोसोडीज वगैरा: का काम नहीं पड़ेगा अगर राज्य सरकार उचित समझे तो वह कागज मंगा सकती है और उस निर्णय को देख सकती है और यदि वह यह देखे कि अभ्यस्त अपराधी के साथ कोई अन्याय हुआ है तो उस पर आज्ञा दे सकती है। यही मेरा आशय है और मैं समझता हूं कि यह संशोधन इतना इन्नोसेंट है कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार कर लेंगे।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का उद्देश्य बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त है और ऐसी शिकायत बराबर हो सकती है। लेकिन मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि इस संशोधन की आवश्यकता नहीं है इसलिये कि यह गवर्नमेंट की इनहेरेंट पावर्स हैं वह जब चाहे किसी अपराधी के कागजात मंगा सकते हैं और गवर्नमेंट बराबर इसको करती रहती है। इस कानून विशेष में इस चीज को लिख देने से एक और दिक्कत भी पैदा हो सकती है। इसलिये कि बहुत से कानून हैं जिनके अन्दर यह चीज नहीं लिखी गई है।

लेकिन गवर्नमेंट बराबर कागज मंगवाती और देखती रहती है। अगर इस कानून में यह लिख दिया जायगा तो दूसरे कानूनों में दिक्कत पड़ जायगी। यह सवाल पैदा हो जायगा कि इसमें लिखा नहीं है इसलिये गवर्नमेंट को पावर नहीं है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि गवर्नमेंट बराबर करती है और करेगी भी। इसलिये यह अनावश्यक है।

श्री देवकीनन्दन विभव---मैं इसे वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १० इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ११

सुधारक बस्तियों (reformatory settlements) आदि की स्थापना।

११---(१) राज्य सरकार अभ्यस्त अपराधियों (habitual offenders) को सुधारने के लिये औद्योगिक, कृषिक या अन्य बस्तियां (industrial, agricultural or other settlements) स्थापित कर सकती है और उन्हें बनाये रख सकती है।

(२) राज्य सरकार किसी भी ऐसी बस्ती को जिसका प्रबन्ध निजी व्यक्तियों के हाथ में हो, अभ्यस्त अपराधियों की भर्ती के लिये उपयुक्त (fit) प्रमाणित कर सकती है।

उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ११ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १२

निरोध आज्ञा आदि या बस्ती में ठहरने की अवधि का बढ़ाया जाना

१२---(१) यदि ऐसी अवधि की समाप्ति के पूर्व, जिसके लिये धारा ६ के अधीन प्रतिबन्ध आज्ञा दी गयी हो, किसी भी समय जिला मैजिस्ट्रेट का यह मत हो कि उक्त अवधि का बढ़ाया जाना आवश्यक है, तो वह सम्बद्ध व्यक्ति को इसके विरुद्ध कारण बताने का अवसर देने के बाद, उसे समय समय पर इतना बढ़ा सकता है कि कुल अवधि का योग तीन वर्ष से अधिक न हो।

(२) उपधारा (१) के अधीन कार्यवाही दो अफसरों की सहायता से होगी।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड १२ का उपखंड (२) निकाल दिया जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, धारा १० और १२ के अन्तर्गत जो कार्यवाही होगी उसमें दिया गया है कि जिला मैजिस्ट्रेट या जो कोई भी इक्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जिसको अधिकार भी दिया गया हो वह असेसरों की सहायता से, उनकी राय से यह कार्यवाही करेगा। जहां तक अवधि बढ़ाने का सवाल या जो प्रतिबन्ध उसके ऊपर लगाया गया है धारा ६ के अन्तर्गत उसके रेव्यु का संबंध है। यह जहां तक असेसरों की सहायता और राय का संबंध है मैं समझता हूं कि यह बहुत पुरानी चीज है। किसी जमाने में तो असेसरों की नियुक्तियां करने के लिये कोई जस्टीफिकेशन हुआ करता था। लेकिन जब हमीं लोगों में से अधिकारी हैं, हमीं लोगों में से जिला मैजिस्ट्रेट हैं, हमारे समाज के ही वे लोग हैं और वह हमारी भाषा को अच्छी तरह से समझते हैं तो असेसरों का प्राविजन करना मैं समझता हूं असंगत है। किसी जमाने में जैसा कि अभी तक चला आता है .....।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अध्यक्ष महोदय, इस समय उनका ३७ नं० का संशोधन पेश है और वह बोल रहे हैं ३९ पर।

श्री वीरेन्द्रपति यादव--मैं खंड १२ के उपखंड (२) पर बोल रहा हूं, जिसमें लिखा है, "उपधारा" (१) के अधीन कार्यवाही दो असेसरों की सहायता से होगी। मैं समझता हूं कि यह ठीक है। तो किसी जमाने में जैसा कि अभी तक चला आता है असेसरों की सहायता या राय लेना ठीक था। हम देखते हैं कि इन असेसरों की जो प्रथा अभी चली आ रही है उसके खिलाफ एक आन्दोलन चल रहा है। अभी हम लोगों ने जुडीशियल इन्क्वायरी कमेटी रिपोर्ट देखी। उसमें सदस्यों ने सर्वसम्मति से इस चीज को माना है कि यह प्रथा असंगत है। यह किसी जमाने में ठीक थी।

जब कि अंग्रेज जज हुआ करते थे और सेशंस में बैठा करते थे। वे हमारे समाज की प्रथाओं और हमारी आदतों को नहीं समझते थे और जब सबूत उनके सामने आते थे तो भाषा को इंटरप्रेट नहीं कर सकते थे। उनको सहायता के लिये असेसर्स थे। लेकिन मैं समझता हूं कि जो यह असेसरों का प्राविजन इस विधेयक में किया गया है, उसका कुछ उद्देश्य यही मालूम होता है कि जनता को विश्वास हो कि जिला मैजिस्ट्रेट या सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट या जो भी मैजिस्ट्रेट हो वह उनकी राय से काम करेगा। लेकिन असेसरों का कानून के इतिहास में क्या हाल रहा है हम अच्छी तरह से जानते हैं। इसके ऊपर काफी टिप्पणियां हुई हैं। कानूनी दृष्टि से भी सेशन्स अदालतों में आमतौर से असेसर्स सोया या ऊंघा करते हैं।

और आखिरी बार जब राय ली या पूछी जाती है, जब सेशंस जज असेसरों से राय पूछते हैं तो उनको ऐटरेंडम कहना पड़ता है कि जुर्म साबित हुआ या नहीं हुआ, हालांकि जो शहादत तीन-चार दिन तक चलती रही उसको उन्होंने समझा भी नहीं कि क्या हुआ। तो मैं समझता हूं कि यहां पर हम जिला मैजिस्ट्रेटों का विश्वास करते हैं, हम सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट, एक्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेटों में विश्वास करते हैं कि वे कार्यवाही ठीक ही करेंगे, यह हो सकता है कि इंसान से गलती हो सकती है। चैप्टर में यह भी दिया हुआ है कि असेसर्स की योग्यताएं क्या होंगी उसके लिये वहां पर सरकार प्राविजन रखेगी, लेकिन जैसी कि हालत अब तक सेशंस कोर्ट में रही है वही हालत उन असेसर्स की हमारे एक्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के सामने रहेगी और बल्कि उनसे बुरी हालत रहेगी। तो यहां पर असेसर्स का प्राविजन करना मैं समझता हूं पब्लिक एक्सचेकर पर बोझा डालना है, रुपये का अपव्यय करना है। सेशन्स कोर्ट में तो खैर कोई जस्टिफिकेशन हो सकता है, क्योंकि ३-३, ४-४ दिन तक लोग वहां पर शहादत देते हैं, लेकिन जो कानून बनने जा रहा है उसके अन्तर्गत कार्यवाई में समझता हूं अधिक नहीं होगी, घंटे-डेढ़ घंटे में समाप्त हो सकती है। यह राय उस वक्त ठीक हो सकती थी जब ये असेसर्स पंचों के रूप में, आर्बिट्रेटर्स के रूप में

[श्री कमला सिंह]

रखे जाते और जिला मैजिस्ट्रेटों के ऊपर उनकी राय बाध्य होती। पर जिस प्रकार यह असेसर्स का प्राविजन किया जा रहा है वह बेकार है और उनके एक जिला मैजिस्ट्रेट के सामने कोई मौका नहीं रहेगा।

श्री कमला सिंह—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर। आपने अभी बतलाया है कि असेसर्स की राय लेने की जरूरत नहीं है और असेसर वर्ड इसमें से निकाल दिया जाय, जैसा कि आपने लास्ट में कहा है। तो इसके सुतालिक १२(क) में दिया हुआ है, तीसरी पंक्ति में "आज्ञा देने के पूर्व प्रत्येक असेसर से अपनी राय मौखिक रूप से प्रकट करने के लिये कहेगा और इस प्रयोजन से ऐसे प्रश्न पूछ सकता है जो उनकी राय मालूम करने के लिये आवश्यक हों।" तो "असेसर" शब्द पहले आ चुका है और उसकी राय लेने के लिये एक नियम आप मान चुके हैं तो फिर "असेसर" का शब्द कैसे निकाला जा सकता है?

श्री वीरेन्द्रपति यादव—माननीय उपाध्यक्ष, हमारे मित्र ने यह आपत्ति उठाई कि उसकी आवश्यकता नहीं है। जो "सहायता" शब्द १२ के उपखंड में दिया गया है वह आरम्भिक रूप में है और उसमें तो सहायता ली जायगी। जहां तक मेरे इस संशोधन का उद्देश्य है वह यह है कि यह असेसर्स का प्राविजन न किया जाय। उनके रखने से केवल सार्वजनिक रुपये का अपव्यय होगा। इसलिये आशा है कि यह संशोधन स्वीकार किया जायगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वीरेन्द्रपति यादव के संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे आश्चर्य हुआ जबकि मैंने यादव जी की यह उक्ति सुनी कि वह इसलिये हटने चाहियें कि वह अंग्रेजी जमाने से चले आ रहे हैं, और जिला मैजिस्ट्रेट तो अपने हैं। तो क्या असेसर्स विदेश के हैं? उनका यह आर्गुमेंट समझ में नहीं आया। उन्होंने यह भी उक्ति की कि अंग्रेज उन्हें इसलिये रखा करते थे कि वह यहां के रीति-रिवाज नहीं पहिचानते थे। तो यदि जिला मैजिस्ट्रेट साम्राज्यवादी मनोवृत्ति से ओत-प्रोत थे तो कम से कम असेसर्स तो नहीं थे। तो जो बात जिला मैजिस्ट्रेट के लिये लागू होती है वही बात असेसर्स के लिये भी लागू होती है।

इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी चीज यह है कि धारा १० पर माननीय यादव जी ने कोई आपत्ति नहीं उठाई और न कोई संशोधन रखा। धारा १० इस प्रकार है कि 'जिला मैजिस्ट्रेट नियत रीति से और नियत विराम्भों पर ऐसे सभी अभ्यस्त अपराधियों के मामलों का दो असेसरों की सहायता से पुनर्विलोकन कर सकता है...'। इसमें दो असेसर्स होंगे, इसको माननीय यादव जी कबूल कर चुके हैं।

उन्होंने न इसका विरोध किया और न समर्थन किया। जब धारा १० को आप स्वीकार कर चुके हैं तो धारा १२ (१) में, जब उसका रिफ्यु आता है, आप कैसे कह सकते हैं कि असेसरों की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में असेसर तो अभ्यस्त अपराधियों के पक्ष में रेस्ट्रिक्शन्स को कम करने के लिये हैं। एक आदमी के बजाय तीन आदमी अपनी राय दिला सकेंगे। यह तो अभ्यस्त अपराधियों के हक में कंसेशन है। जैसी भी हालत हो तीन आदमियों की राय का होना अत्यन्त आवश्यक है और जब धारा दस में आप इस चीज को मान चुके हैं तो फिर यह संशोधन बिलकुल सुपरफ्लुअस और अनावश्यक हो जाता है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री नारायणदत्त जी ने जो बात कही उसके बाद मैं समझता हूं कि मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है और मैं यह आशा कर रहा हूं कि माननीय सदस्य, जिन्होंने इसको पेश किया है, वे स्वयं इस बात से सहमत होंगे कि असेसरों का रहना, जो उसमें सेटअप, अब है उसमें आवश्यक है।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र तिवारी जी ने कहा कि हम लोग जो धारा १० में प्राविजन असेसरों के संबंध में किया गया है, उसको मान चुके हैं। मैं इसको मानता हूं, लेकिन मेरी दृष्टि धारा १० पर नहीं पहुंची। मेरी मंशा यह थी कि इस कानून के अन्तर्गत असेसर शब्द जहां कहीं आये हैं वे सब जगह से निकाल

दिय जायं। खैर, मुझे इस सम्बन्ध में अधिक नहीं कहना है, क्योंकि हमारे मंत्री जी विशेषज्ञ हैं और अच्छी तरह से जानकारी रखते हैं और हम लोगों की राय की अपेक्षा उनकी राय ज्यादा माने रखती है। इसलिये मैं उनकी राय की कदर करता हूं और इस संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री जयपालसिंह (जिला सहारनपुर)---मैं एक वैधानिक प्रश्न उठाना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, दफा १२ में प्रतिबन्ध आज्ञा आदि या बस्ती में ठहरने की अवधि का बढ़ाया जाना दिया गया है। मैं पूरी धारा को पढ़कर सुना दूं।

"यदि ऐसी अवधि की समाप्ति के पूर्व, जिसके लिये धारा ६ के अधीन प्रतिबन्ध आज्ञा दी गयी हो, किसी भी समय जिला मैजिस्ट्रेट का यह मत हो कि उक्त अवधि का बढ़ाया जाना आवश्यक है, तो वह सम्बद्ध व्यक्ति को इसके विरुद्ध कारण बताने का अवसर देने के बाद, उसे समय-समय पर इतना बढ़ा सकता है कि कुल अवधि का योग तीन वर्ष से अधिक न हो।"

मेरा यहां पर कहने का जो तात्पर्य है, वह यह है कि उसको तीन वर्ष से अधिक सेटिलमेंट में रखेंगे और यह कांस्टिट्यूशन आफ इंडिया की धारा २२ के अनुसार गलत है। इसके सिलसिले में मैं यह कह देना चाहता हूं कि यह ऐक्ट रेस्ट्रिक्शन्स रखने के लिये बनाया गया है। रेस्ट्रिक्शन्स कई प्रकार के हो सकते हैं। एक ऐसा रेस्ट्रिक्शन हो सकता है कि एक आदमी के ऊपर यह रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया कि वह गांव की बाउंडरी के बाहर नहीं निकल सकेगा। वह गांव की बाउंडरी के अन्दर सब लोगों के साथ मिल जुल करके समाज के साथ अच्छी तरह जिन्दगी व्यतीत करे। एक यह रेस्ट्रिक्शन हो सकता है कि वह थाने की बाउंडरी के अन्दर अच्छी तरह से रहे। एक रेस्ट्रिक्शन जिले के अन्दर रहने का हो सकता है। एक रेस्ट्रिक्शन यह है कि किसी को चहार दीवारों के अन्दर रखा जाय, यानी एक बस्ती के अन्दर रखा जाय जिसको सेटिलमेंट कहा गया है और जिसको पुलिस गार्ड करेगी। इस प्रकार अगर पुलिस के जरिये वह इस तरह से रखा जाता है तो वह डिटेंशन है और डिटेंशन वर्ड के माने डिक्शनरी के अनुसार कंफाइनमेंट के हैं। और रेस्ट्रिक्शन के माने हैं कंफाइनमेंट और कंफाइनमेंट के माने हैं इम्प्रीजनमेंट। अगर डिक्शनरी देखी जाय तो स्पष्ट है कि रेस्ट्रिक्शन भी कंफाइनमेंट है और इम्प्रीजनमेंट भी कनफाइनमेंट है। ऐसी बस्तियों में लोगों को रखना, जहां पर वह दूसरे सभ्य लोगों से हिल-मिल नहीं सकते तो डिटेंशन है। इसलिये कान्स्टीट्यूशन आफ इंडिया के आर्टीकिल २२ (४) के अनुसार यह है कि--

"No law providing for preventive detention shall authorize the detention of a person for a longer period than three months unless——

(a) an advisory Board consisting of persons who are, or have been, or are qualifisd to be appointed as, Judges of a High Court has reported before the expiration of the said period of three months that there is in its opinion sufficient cause for such detention:

Provided that nothing in this sub-clause shall autorize the detention of any person beyond the maximum period prescribed by any law made by Parliament under sub--clause (*b*) of clause (7);

Parliament may by law prescribe——

(a) the circumstances under which, and the class or classes of cases in which, a person may be detained for a period longer than three months under any law providing for preventive detention without obtaining the opinion of an Advisory Board in accordance with the provisions of sub-clause (a) of clause (4);

(b) the maximum period for which any person may in any class or classes of cases be detained under any law providing for preventive detention;

[निवारक निरोध उपबन्धित करने वाली कोई विधि किसी व्यक्ति को तीन महीने से अधिक कालावधि के लिये निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत तब तक न करेगी जब तक कि---

[श्री जयपाल सिंह]

(क) ऐसे व्यक्तियों से, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, रह चुके हैं अथवा नियुक्त होने की अर्हता रखते हैं, मिलकर बनी मंत्रणामण्डली ने तीन महीने की उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्रतिवेदित नहीं किया है कि ऐसे विरोध के लिये उसकी राय में पर्याप्त कारण है :

परन्तु इस उपखण्ड की कोई बात किसी व्यक्ति के, उस अधिकतम कालावधि से आगे, निरोध को प्राधिकृत न करेगी जो खंड (७) के उपखण्ड (ख) के अधीन संसद-निर्मित किसी विधि द्वारा विहित की गयी है ;

संसद विधियों द्वारा विहित कर सकेगी कि—

(क) किन परिस्थितियों के अधीन तथा किस प्रकार या प्रकारों के मामलों में किसी व्यक्ति को निवारक निरोध को उपबन्धित करने वाली किसी विधि के अधीन तीन महीने से अधिक कालावधि के लिये खंड (४) के उपखंड (क) के उपबन्धों के अनुसार मंत्रणा-मण्डली की राय प्राप्त किये बिना निरुद्ध किया जा सकेगा;

(ख) किस प्रकार या प्रकारों के मामलों में कितनी अधिकतम कालावधि के लिये कोई व्यक्ति निवारक निरोध उपबन्धित करने वाली किसी विधि के अधीन निरुद्ध किया जा सकेगा;]

इसके सिलसिले में यह कहा है कि इस आर्टीकिल के अंतर्गत कार्य करने का अधिकार पार्लियामेंट को है, स्टेट असेम्बली को नहीं है। इसलिये मुझे भय है, डर है कि अगर यह मामला हाई कोर्ट में गया तो अल्ट्रावायर्स हो जायगा।

मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि जहां पर रेस्ट्रिक्शन शब्द इस्तेमाल किया गया है वह हैबीचुअल आफेन्डर्स रेस्ट्रिक्शन ऐक्ट में आया है और वह संविधान के आर्टीकिल १९(५) के अनुसार लाया गया है। इसमें यह कहा है कि—

"Nothing in sub-clauses (d), (e) and (f) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so for as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, reasonable restrictions on the exercise of any of the rights conferred by the said sub-clauses either in the interests of the general public or for the protection of the interests of any Scheduled Tribe.

[उक्त खण्ड के उपखंड (घ), (ङ) और (च) की कोई बात उक्त उपखंडों द्वारा दिये गये अधिकारों के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों के अथवा किसी अनुसूचित आदिम जाति के हितों के संरक्षण के लिये युक्तियुक्त निर्बन्धन, जहां तक कोई वर्तमान विधि लगाती हो, वहां तक उसके प्रवर्तन का प्रभाव, अथवा वैसे निर्बन्धन लगाने वाली कोई विधि बनाने में राज्य के लिये रुकावट न डालेगी।]

इस तरह से रेस्ट्रिक्शन के माने साफ हैं कि प्रतिबंध जो लगाया जाता है, वह गांवों में रहने के लिये पब्लिक इंटरेस्ट के लिये लगा दिया गया और बाकी सब सभ्य समाज के साथ हिल-मिल कर रहते हैं और ईमानदारी के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। अगर तीन महीनों से अधिक दिन के लिये सैटिलमेंट में रखा जाय या ऐसी बस्ती में रखा जाय जहां पुलिस गार्ड करे और डिटेंशन पर दिया जाय, तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि डिटेंशन के माने रेस्ट्रिक्शन हैं और रेस्ट्रिक्शन के माने डिटेंशन हैं और दोनों के माने कनफाइनमेंट है और फिर कनफाइनमेंट के माने इम्प्रिजनमेंट हैं। इस तरह से अगर तीन महीने से अधिक किसी व्यक्ति के ऊपर प्रतिबंध लगा कर सेटिलमेंट में या किसी बस्ती में रखा गया जो पुलिस द्वारा गार्ड की जायगी तो यह आर्टीकिल २२ के अनुसार अवैध होगा।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने संविधान का अध्ययन तो किया और मैं देखता हूं कि उन्होंने कई डिक्शनरियों का भी अध्ययन किया, परन्तु

मैं यह जरूर निवेदन करूंगा कि उनका अध्ययन कुछ कच्चा सा रह गया। यह सही है कि डिक्शनरी में एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। डिटेन्शन, कंफाइनमेंट और रेस्ट्रिक्शन बहुत से शब्द होते होंगे, लेकिन व्यवहार में उनका एक ही अर्थ नहीं होता। आज ही इसका प्रमाण मिला। प्रतिबन्ध और प्रतिरोध दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है लेकिन कानून में इनका अलग-अलग अर्थ होगा। केवल डिक्शनरी से इसका काम नहीं चलता।

संविधान की धारा का भी जिक्र किया गया कि गवर्नमेंट आगे चल कर पब्लिक इंट्रेस्ट में रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है तो पब्लिक इंट्रेस्ट में कुछ बाधा नहीं पड़ती। सबसे बड़ी अन्धेर की बात यह है कि बार-बार सेटिलमेंट की बात कही गई, लेकिन सेक्शन १२ में सेटिलमेंट का जिक्र नहीं आता। सेक्शन १३ में सेटिलमेंट की बात आती है। तो जब सेटिलमेंट का सवाल आये तब वह आपत्ति उठाई जा सकती है और उस वक्त मैं बतला दूंगा कि इससे कोई दिक्कत पैदा नहीं होगी। यहां तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आज्ञा देता है किसी खास शहर, कस्बे या गांव में रहने के लिये, सेटिलमेंट का सवाल तो आगे चल कर पैदा होता है। लिहाजा इससे कांस्टीट्यूशन का कोई ब्रीच नहीं होता।

श्री कमला सिंह--माननीय जयपाल सिंह ने जो प्वाइंट आफ आर्डर रेज किया है, उसका मैं विरोध करता हूं। कांस्टीट्यूशन की धारा २२ जो है उसकी उपधारा (५) अगर आप पढ़ें। उसमें यह दिया हुआ है "व्हेन एनी पर्सन इज रिटेंड" यह जो कहा गया है कि कोई आदमी बस्ती में रक्खा जाय, तो बस्ती में रहने के लिये यह दफा ४ तो एप्लाई ही नहीं करती, इसके लिये हमें दफा ५ पर रिलाई करना पड़ेगा, उसमें यह दिया हुआ है --

"Where any person is detained in pursuance of an order made under any law providing for preventive detention the authority making the order shall, as soon as may be, communicate such order, the grounds of which the order has been made and shall afford the earliest opportunity of making a representation against the order."

[निवारक निरोध उपबन्धित करने वाली किसी विधि के अधीन दिये गये आदेश के अनुसरण में जब कोई व्यक्ति निरुद्ध किया जाता है तब आदेश देने वाला प्राधिकारी यथाशक्य शीघ्र उस व्यक्ति को, जिन आधारों पर वह आदेश दिया गया है, उनको बतायेगा तथा उस आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिये उसे शीघ्रातिशीघ्र अवसर देगा।]

हमें यह देखना है कि कोई भी शख्स आर्डर आफ डिटेंशन के अन्दर रक्खा गया है और वह कन्फाइनमेंट के अन्दर है तो उस वक्त उसकी सजा बढ़ाई जा सकती है या नहीं। अब धारा १२ उसके लिये लागू होती या नहीं, इसको मैं सदन के सामने पढ़ देना चाहता हूं--"यदि ऐसी अवधि की समाप्ति के पूर्व, जिसके लिये धारा ६ के अधीन प्रतिबन्ध आज्ञा दी गई हो, यानी वह डिटेन्शन जारी है और वह खत्म नहीं हुआ है। किसी भी समय जिला मैजिस्ट्रेट का यह मत हो कि उक्त अवधि का बढ़ाया जाना आवश्यक है, तो वह सम्बद्ध व्यक्ति को इसके विरुद्ध कारण बताने का अवसर देने के बाद, उसे समय-समय पर इतना बढ़ा सकता है कि कुल अवधि का योग तीन वर्ष से अधिक न हो।" ऐसी हालत में उसको मौका दिया गया है कि उसका जो डिटेंशन बढ़ाया जा रहा है, वह कारण बता कर अपने को डिफेंड कर सके। तो ऐसी हालत में इससे कांस्टीट्यूशन का बिल्कुल ब्रीच नहीं है बल्कि यह धारा ५ जो है उसका सेफगार्ड करती है और इस तरीके पर १२(१) जो है, वह अवैध नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जयपाल सिंह जी ने जो यह प्वाइंट आफ आर्डर हमारे सामने उठाया है, यदि वह शुरू में ही जबकि बिल प्रस्तुत हुआ था, उस वक्त उठा दिये होते तो इस पर वाद-विवाद की सहूलियत होती। लेकिन अब संशोधन के बीच में १२ वीं धारा पर हम लोग आ गये और उपाध्यक्ष महोदय, आपने उसको उठाने की आज्ञा दे दी है, तो इसमें कांस्टीट्यूशन की धारा २२ वीं को कोट किया गया है।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

उसमें यह कहा गया है कि कोई भी सरकार या सदन प्रदेश का या केन्द्र का हो वह कन्फाइनमेंट या सेटिलमेंट के बारे में कोई भी कानून ऐसा नहीं बना सकता, जिसकी अवधि तीन मास से अधिक होगी। तो इसमें जहां पर शब्द "डिटेंड" आया है वहां पर कन्फाइनमेंट शब्द पर बड़ा जोर दिया है और मेरी समझ में तो यह आता है कि प्रिवेन्टिव डिटेंशन ऐक्ट जो है उससे यह सम्बन्ध रखता है और कन्फाइनमेंट या सेटिलमेंट का जहां तक सवाल है इस विधेयक में धारा ३(१) में उसकी परिभाषा इस प्रकार है" और इस बात को 'क' में साफ कर दिया गया है। उसमें यह है कि —

(क) किसी जिले में निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर ही अपनी गतिविधि (movement) को सीमित रखना।

इसका मतलब यह होता है कि निर्दिष्ट क्षेत्र तो बहुत बड़ा क्षेत्र हो सकता है। उसको डिटेन्शन नहीं कहा जा सकता है। अगर कन्फाइनमेंट को डिटेन्शन मान लिया जाय तो इसका क्षेत्र इतना हो जायगा कि जो बहुत बढ़ जायगा और आगे इस बात को और भी साफ कर दिया गया है।

(ख) ऐसे प्राधिकारी (authority) को और ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, अपने निवासस्थान और उसमें किये गये तथा किये जाने वाले प्रत्येक परिवर्तन की या वहां से प्रत्येक अनुपस्थिति या अभिप्रेत (intended) अनुपस्थिति की सूचना देगा,

तो इस तरह से पेनल कोड में भी दिया हुआ है कि अगर वह नहीं जायगा तो खबर करके जायेगा। इस प्रकार के नियम और ऐक्ट के अन्दर भी मौजूद है कि जहां पर कन्फाइनमेंट किया गया है। जैसा कि जयपाल सिंह जी ने कहा धारा ५ के मुताबिक भी यह खरा उतरता है। रीजनेबिल रिस्ट्रिक्शन कोई भी स्टेट लागू कर सकती है, यह संविधान की धारा के अनुसार ठीक है। इसलिये मैं यह समझता हूं कि जयपाल सिंह जी ने जो कहा वह बिल्कुल एक लचर बात है।

श्री जयपाल सिंह—जहां तक इस धारा का संबंध है, उसमें मेरी आपत्ति यह है कि गांव के अन्दर रीजनेबिल रिस्ट्रिक्शन लगाना, जहां पर एक सभ्य समाज रहता है मुझे कुछ जंचता नहीं है। अगर सब वहां पर अपराधी रहते तो कुछ रीजनेबिल कहा जा सकता था, लेकिन गांव में उस पर प्रतिबन्ध लगाना सही नहीं मालूम होता है। आप उनको वहां पर कन्फाइन कर रहे हैं और पुलिस की हिरासत में कर रहे हैं तो इससे यह बिल्कुल साफ है कि उनको डिटेन कर रहे हैं। जितने कैदी रहते हैं वह भी वार्ड में रहते हैं। पिछले लड़ाई के दिनों में तारों की दीवार के अन्दर बन्द किया गया था। उनकी चारों तरफ से पुलिस बन्द करती थी। वह डिटेन किये गये थे, यह बिल्कुल साफ बात है। रीजनेबिल रिस्ट्रिक्शन के साथ गांव में रखा जा सकता है, लेकिन अगर उनको सलाखों के साथ रखा जाय तो इसके मायने बिल्कुल साफ हैं कि वह डिटेंशन है।

उपाध्यक्ष—मैं यह समझता हूं कि इस विधेयक के खण्ड १२ में यह आपत्ति यदि प्रारम्भ में ही उठाई जाती तो सदन इसके ऊपर अधिक विस्तार से विचार कर सकता था। फिर भी दोनों पक्षों ने जो कुछ अपनी राय यहां पर दी है उसको देखते हुये मैं यह समझता हूं कि यह खण्ड विधान की किसी भी धारा के विरुद्ध नहीं है। आवश्यकता होने पर इस विषय पर अन्तिम निर्णय देना अदालत का काम होगा। जब यह भवन के सामने आ गया है। अतः मैं यह समझता हूं कि यह आपत्ति जो इस समय प्रस्तुत हुई है, वैधानिक नहीं है। अतः मैं इसके ऊपर मतदान का मत लेना काफी समझता हूं।

प्रश्न यह है कि खंड १२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खन्ड १२-क

असेसरों की राय

१२-क--(१) जिला मैजिस्ट्रेट धारा १० के अधीन प्रतिबन्ध को हटाने या उसमें अन्य प्रकार संशोधन करने या उसे जारी रखने की अथवा धारा १२ के अधीन अवधि बढ़ाने की आज्ञा देने से पूर्व प्रत्येक असेसर से अपनी राय मौखिक रूप से प्रकट करने के लिए कहेगा और इस प्रयोजन से ऐसे प्रश्न पूछ सकता है जो उनकी राय मालूम करने के लिए आवश्यक हों। ऐसे सब प्रश्न और उनके उत्तर अभिलिखित किये जायेंगे।

(२) इसके बाद जिला मैजिस्ट्रेट अपनी आज्ञा देगा किन्तु ऐसा करने में वह असेसरों की राय मानने के लिए बाध्य नहीं होगा।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १२-क इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १२-ख

असेसरों की योग्यता और नियुक्ति।

१२-ख--असेसर ऐसी योग्यता के होंगे और ऐसी रीति से चुने और नियुक्त किये जायेंगे, जो नियत की जाय।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १२-ख इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १३

निरोधाज्ञा या नियमों के भंग किये जाने पर दण्ड।

१३--(१) "यदि कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध प्रतिबन्ध आज्ञा जारी की गयी हो और ऐसी आज्ञा सप्रभाव हो, ऐसी आज्ञा या नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा तो धारा १४ के अधीन इसके विरुद्ध की जाने वाली अन्य कार्यवाही के अतिरिक्त उसे बस्ती में बारह मास के लिए या ऐसे, समय के लिए, जो तीन वर्ष से अधिक न हो, और जिसे मैजिस्ट्रेट निश्चित करे, आसेध (confinement) का दण्ड दिया जा सकता है।"

(२) कोड में किसी भी बात के होते हुए, कोई भी प्रथम श्रेणी का मैजिस्ट्रेट उपधारा (१) के अधीन बस्ती में तीन वर्ष तक के आसेध का दण्ड दे सकता है।

श्री कमला सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १३ के उपखंड (१) की पंक्ति ४ के शब्द "अतिरिक्त" और शब्द "उसे" के बीच निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं --

"उसे निम्नलिखित दंड मिल सकता है :--

(क) पहली बार अभिशस्त (convict) होने पर तम्बीह देकर छोड़ा जा सकता है या ५ रुपये जुर्माना हो सकता है।

(ख) दूसरी बार अभिशस्त होने पर १५ दिन सख्त क़ैद की सजा दी जा सकती है।

(ग) तीसरी या चौथी बार अथवा बाद को अभिशस्त होने पर।"

यदि पहला संशोधन जो इस बिल में लाया गया था उसको देखा जाय तो यह साफ मालूम होगा कि क्रिमिनल ट्राइब्स ऐक्ट सन् २४ की धारा २२ (२) से लिया गया है। मैं आप की आज्ञा से धारा २२ (२) को पढ़ना चाहता हूं।

[श्री कमला सिंह]

"Whoever, being a registered member of a criminal tribe, contravenes any of the rules made under section 20 shall be punishable

(a) on first conviction with imprisonment for a term which may extent to 6 months or with fine which may extend to 200 rupees or withboth and

(b) for any such conviction with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which may extend to 500 rupees or with both."

धारा १३ (१) जो पहले बिल में लाई गई थी वह यों है कि:—

यदि कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध कोई प्रतिबन्ध आज्ञा जारी की गयी हो, और ऐसी आज्ञा सप्रभाव हो, ऐसी आज्ञा या नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा तो धारा १४ के अन्तर्गत उसके विरुद्ध की जाने वाली अन्य किसी कार्यवाही के अतिरिक्त उसे निम्नलिखित दंड मिल सकता है :—

"(क) पहली बार अभिशस्त होने पर कारावास दंड जो ६ मास तक हो सकता है, और

(ख) दूसरी बार अथवा बाद को अभिशस्त होने पर बस्ती में १२ महीने के लिये या इससे अधिक अवधि के लिये जो तीन वर्ष से अधिक की न होगी और जिसे मैजिस्ट्रेट निश्चित करे आसेध होगा।"

तो यह जो प्रतिबन्धक आज्ञा जारी की जाती है, वह आज्ञा धारा ३ (१) में दी गई है। पहले मैं अपने भाषण में इस चीज का जिक्र कर चुका हूं, इसलिये मैं फिर उसको दोहरा कर सदन का अमूल्य समय नहीं लेना चाहता। मैं केवल इतना बतलाना चाहता हूं कि एक जगह से दूसरी जगह अगर वह मूव करता है तो वह आफेन्स होगा। यही बात हो सकती है कि वह हाजिरी की इत्तला देने से भूल सकता है या बीमारी या किसी और वजह से ऐसा हो सकता है या जान-बूझकर भी इत्तला न दे तो आफेन्स में आता है।

यही चीज है, जिस प्रतिबंधात्मक आज्ञा का वह उल्लंघन करता है। अब हमारे सामने यह आता है कि ऐसे आफेंस के लिये सजा क्या होनी चाहिये।

जितने भी ऐक्ट हैं, अगर आप उनको देखें तो आपको मालूम होगा कि दुनिया के किसी भी देश में ऐसा ऐक्ट नहीं बना, जैसा कि १९२४ का क्रिमिनल ट्राइब्स ऐक्ट है। इसके मुताल्लिक मिस्टर हुंडा, जोकि सहारनपुर के एस० पी० थे, उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब्स इंक्वायरी कमेटी के सामने बयान देते हुए कहा "दुनिया में भारत का क्रिमिनल ट्राइब्स ऐक्ट सरीखा कानून नहीं मिलेगा" ऐसा आर्डर कहीं भी नहीं मिलेगा कि किसी भी आदमी को गैरहाजिरी की इत्तिला पर १ साल से ३ साल तक की कैद की सजा दी जाती हो। अंग्रेजों के ला अथवा बंबई और पंजाब के ला में ऐसी कोई धारा नहीं है, जैसी धारा ११० हमारे यहां क्रिमिनल ट्राइब्स ऐक्ट की है। इंगलैंड में जो सजा दी जाती है, उसके साथ ही साथ यह डिटेंशन की सजा भी चलती रहती है। इस तरह से वहां पर यह कोशिश की जाती है कि जब कोई प्रीवियस कनविक्शन होता है और अदालतें यह समझती हैं कि उसको अधिक सजा होनी चाहिये तो वह उतने दिन की ज्यादा सजा दे देते हैं और वह पहिली सजा के साथ-साथ चलती रहती है। लेकिन यहां जो सजा दी जा रही है वह उस वक्त दी जा रही है जब कि वह ३ अभियोगों की सजा भुगत कर बरी हो चुका है। कोई भी चीज इस विधेयक में नहीं है, जिसके जरिये से यह कहा जा सके कि ३ आफेन्सेज के बाद यह जुर्म उसके ऊपर आयद होता है, जिसकी वजह से आप डिटेंशन का आर्डर उसके ऊपर लागू करते हैं। जो अपराध की डेफिनीशन है, उसमें तीन ही प्रीवियस आफेंसेज दिये हुये हैं। जब पहिले तीन आफेन्सेज में किसी का कनविक्शन हो गया है तो फिर उसको अपराधी बनाने

के लिये क्या चीज बाकी रह जाती है। मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि ऐसे व्यक्ति को सूचना न देने के लिये जो सजा दी जाय, वह बहुत ही कम होनी चाहिये। लेकिन अगर आपको यह मालूम हो कि कोई व्यक्ति आपका अनुशासन नहीं मानता तो आप उसके साथ सख्ती का बर्ताव करें। ऐसी हालत में मैं यह जो प्रस्ताव लाया हूं उसकी पहिली चीज यह है कि अगर पहिली बार कोई इस आज्ञा का उल्लंघन करता है तो उसको तंबीह दी जानी चाहिये और तंबीह देकर उसको छोड़ देना चाहिये। आपका जो अफेंडर्स ऐक्ट है उसके अनुसार भी अगर कोई जुर्म करता है तो उसको आप बरी कर देते हैं, लेकिन यहां तो वह जुर्म भी नहीं करता है। यहां तो सिर्फ आपके डिटेंशन के आर्डर का उल्लंघन करता है। ऐसी हालत में मैं यह अनुरोध करता हूं कि पहिले आफेंस में तंबीह देना ही काफी है। सन १९४७ में जो क्रिमिनल ट्राइब्स इंक्वायरी कमेटी बैठी थी, उसने जो अपनी रिपोर्ट में बतलाया है, उसको मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं। उसमें यह लिखा है :—

The second Bill which is sponsored by Sri N.G.Ranga proposes to delete sections 11,12, 13, 14.15,17 19, and portions of section 20 and sub-section (1) of section 22

[द्वितीय बिल में, जोकि श्री एन० जी० रंग द्वारा आरब्ध किया गया है, सेक्शन ११, १२, १३, १४, १५, १७, १९ को सेक्शन २० के कुछ भागों को तथा सेक्शन २२ के सब-सेक्शन (१) को निकाल देने का प्रस्ताव है।]

क्योंकि यह जो है २२ के सब-सेक्शन २ में आता है।

२२ के सब-सेक्शन (२) के मुताबिक २०० रु० का जुर्माना किया जा सकता है।

"On conviction for the first time, with imprisonment which may extend to six months or with fine which may extend to Rs. 200/-or with both"

[प्रथम अभिशस्ति पर, कारावास द्वारा, जो छः मास तक हो सकता है, या जुर्माने जो २०० रुपये तक ही हो सकता है, या दोनों के द्वारा]

तो २०० सौ की जगह यह रिकमेन्डेशन हुआ है कि दो सौ की जगह २० रुपया कर दिया जाय और साथ ही साथ जो ६ महीने का इम्प्रिजनमेंट था, उसके मुताबिक यह रिकमेन्डेशन था कि उसको बिलकुल हटा दिया जाय। तो यह जो इस गवर्नमेंट की इन्क्वायरी कमेटी थी, जिसमें हजारों रुपया खर्च हुआ है और पुलिस के जितने एक्सपर्ट और बड़े-बड़े आफिसर्स प्राविंस के थे, उन सब के कन्सल्टेशन से यह रिकमेन्डेशन किया गया था कि अगर कोई पहली बार गलती करे, तो विधेयक के अन्दर भी चूंकि वह क्रिमिनल ट्राइब्स ऐक्ट नहीं है, उसी तरीक़े का यह दूसरा ऐक्ट है, जैसा रिस्ट्रिक्शन उस ऐक्ट के अन्दर था उसमें भी है। इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि आपके आफिसरों ने रिकमेन्डेशन किया है, जो इस प्रान्त की कमेटी बनी थी उसने रिकमेन्डेशन किया है कि इम्प्रिजनमेंट पहले आफेन्स के लिये, बिलकुल हटा दिया जाय। और इसीलिये यह जो संशोधन लाया गया है वह यह है कि पहली बार अभिशस्त होने पर तम्बीह देकर छोड़ा जा सकता है या ५ रुपये तक जुर्माना हो सकता है। दूसरी बार अभिशस्त होने पर १५ दिन शख्त कैद की सजा दी जा सकती है और तीसरी बार या चौथी बार अभिशस्त होने पर १२ महीने के लिये या इससे अधिक अवधि के लिये जो ३ वर्ष से अधिक न हों, वह सजा दी जा सकती है। अब जो हमारा मौजूदा विधेयक है वह इस प्रकार है—

"यदि कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध प्रतिबन्ध आज्ञा जारी की गई हो और ऐसी आज्ञा सप्रभाव हो, ऐसी आज्ञा या नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा तो धारा १४ के अधीन इस के विरुद्ध की जाने वाली अन्य कार्यवाही के अतिरिक्त उसे बस्ती में बारह मास के लिये या ऐसे समय के लिये, जो तीन वर्ष से अधिक न हो, और जिसे मैजिस्ट्रेट निश्चित करे, आसेध का दण्ड दिया जा सकता है।"

[श्री कमला सिंह]

तो जैसा कि यह विधेयक हमारे सामने मौजूद है इसमें पहली बार या दूसरी बार जो आज्ञा का उल्लंघन करता है, उसके लिये किसी तरह से भी आफेन्स नहीं होता है। लेकिन पहली बार भी यदि वह आज्ञा का उल्लंघन करे या किसी वजह से गलती करे तो उसे बस्ती के अन्दर जरूर रखा जायगा। तो मैं समझता हूं कि यह जो बारह मास के लिये या ऐसे समय के लिये जो तीन वर्ष से अधिक न हो, किसी आदमी को एक बस्ती के अन्दर कनफाइनमेंट करना उचित नहीं होगा। और ऐसी हालत में मैं यह अच्छी तरह जानता हूं कि हमारे माननीय पुलिस मन्त्री जो इस बात पर काफी रिजनेबिल हैं, मुझे उम्मीद है कि यह कमेटी जो इस बिल को बनी थी उसकी जो रिपोर्ट है उसका वे जरूर ख्याल करेंगे। क्योंकि यह किसी प्रोबियशन आफेन्स के लिये सजा नहीं है, बल्कि एक मामूली आर्डर का उल्लंघन के लिये सजा है। ऐसी हालत में मैं इस्तदुआ करूंगा कि माननीय मन्त्री जी हमारे इस संशोधन को अवश्य मान लेंगे।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दया एक बड़ा अच्छा गुण है, परन्तु ऐसा कहा जाता है कि मिसप्लेस्ड मर्सी यानी गलत जगह दया करना तो बहुत ही घातक हो सकता है। इस सदन के सभी माननीय सदस्य इस विधेयक को पढ़े हैं। उनकी धाराओं को दोहराने की जरूरत नहीं है। परन्तु मैं इतना निवेदन करूंगा कि श्री कमला सिंह ने जिन रिपोर्टों का जिक्र किया है, जिस कंविक्शन ऐक्ट का जिक्र किया है, उसका सारा जिक्र करना मेरी समझ में अप्रासंगिक, असंगत और इरेलिवेंट है। उन्होंने जिक्र किया कि एक कमेटी बैठी थी, लेकिन वह क्रिमिनल ट्राइब्स के लिये थी, लेकिन यहां अब क्रिमिनल ट्राइब्स का सवाल नहीं है और उनके लिये कानून नहीं बन रहा है। यदि हमारे यहां क्रिमिनल ट्राइब्स होते तो जरूर रिपोर्ट वगैरह में ख्याल कर दिया जाता, जिसको हम कर भी सकते थे, लेकिन इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। प्रोबेशनर का ख्याल किया जाता है और जाकेन्डर्स का ख्याल किया जाता है, लेकिन अपराध के मुताबिक दण्ड होना चाहिए। हर अपराध के लिये एक ही दण्ड होना चाहिए। एक अपराधी है, जिसको यह पाप है कि वह किसी ऐसे समाज में पैदा हो गया है, ऐसे कुल में पैदा हो गया है, जिसको समाज कलंकित कहता है और इस पैदा होने का दण्ड उसे यह मिलता था कि तुम फलां जगह रहो और फलां वक्त तक रहो। दुर्भाग्य से अपने पाप से नहीं, अपराध से नहीं वह ऐसे कुल में पैदा हो हो गया है, उस बेचारे का कोई कसूर नहीं है, वह उस जगह पैदा हो गया है इस वजह से उसके साथ यह सख्ती होती थी तो उसके साथ नरमी के साथ बर्ताव होना चाहिए लेकिन यहां ऐसे लोग भोले भाले नहीं हैं कि गलती से नियम टूट गये हों, उससे बहुत ही बुरे आफेन्सेज, यह नहीं कि ऐसे आफेन्सेज जैसे कि सड़क पर बाईं तरफ से चलना चाहिए था वह दाहिनी तरफ से चला गया वह भी आफेन्स हुआ, या साइकिल पर दो आदमी नहीं बैठना चाहिए, कोई बैठा तो वह भी आफेन्स हुआ या रात को बिना लाइट नहीं चलना चाहिए, यह सब आफेन्स हुए, लेकिन उसमें इस किस्म के आफेंस नहीं हैं बड़े ही गहरे—गहरे आफेंसेज हैं, उसने किये हैं जो मारल टरपीट्यूड के हैं और एक, दो नहीं, तीन—तीन बार कर चुका है इस तरह का आदमी भोलाभाला नहीं है, बच्चा नहीं है कि उसके साथ नर्मी का बर्ताव होना चाहिए। उस पर रिस्ट्रिक्शन आर्डर लगाया गया उसने रिस्ट्रिक्शन आर्डर तोड़ा है, फिर आप कहें उसके साथ दया की जाय क्योंकि उससे गलती हो गई है। यह वैसा नहीं है जैसा कि वह तो दुर्भाग्य से एक कुल में पैदा हो गया है, जोकि कारनो फाल्ट आफ हिज ओन, किसी गलती के न करने की वजह से, सिर्फ एक ऐसी जगह पैदा होने के कारण उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था और एक ऐसा आदमी है जो जान—बूझ कर ऐसे अपराध करता है इन दोनों में जमीन आसमान का अन्तर है। इस आदमी ने सोच समझ कर कानून को तोड़ा है और तोड़ेगा। उसके साथ सख्ती का दण्ड रखा गया है तो उचित है, समाज की रक्षा के लिये उचित है। इसलिये मैं कहता हूं कि मिस्प्लेस्ड मरसी होगी उन थोड़े से आदमियों के साथ इस प्रकार की दया करना समाज के साथ बिमवातवात होगा।

माननीय सदस्य के हृदय ने अधिक जोर मारा है और उसने उसके मस्तिष्क को दबा दिया है। वह अपने हृदय के बल को रोक कर जरा मस्तिष्क को बल दे और इस तर्क को स्वीकार करें कि अपराधी को उचित और सख्त दन्ड देना ही चाहिए। यदि वे अब भी इस संशोधन को रखना चाहें तो मुझे मजबूर होकर इसका विरोध करना होगा।

श्री कमला सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने जो बातें कहीं हैं उनके लिये मैं उनके सामने कुछ चीजें पेश करता हूं। मैं समझता हूं कि शायद मन्त्री जी उससे कन्विन्स हो जायंगे कि यह जो हम इस विधेयक के अन्दर संशोधन लाये यह उपयुक्त है। सबसे पहली चीज जो मैं सदन के सामने कहना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी ने बतलाया कि सी० टी० ऐक्ट में अगर यह होता तो वह उसे मान लेते। सी० टी० ऐक्ट के मुताल्लिक आपने यह भी बतलाया कि सी० टी० ऐक्ट में एक जरूरत पैदा होती है कि जो उसमें आते हैं, वह ऐसे स्थान पर पैदा होते हैं इसलिये वह लाया गया है। मैं उसको मानता हूं। लेकिन मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी से आपके द्वारा यह पूछना चाहता हूं कि यह सेटिलमेंट जो है, वह किसलिये बनाया गया है। आपका जो विधेयक है अगर उसके उद्देश्य को आप पढ़ें तो इसमें दिया हुआ है कि सार्वजनिक हित की दृष्टि से यह आवश्यक समझा गया है कि सभी अभ्यस्त अपराधियों की गतिविध का विनियमन किया जाय और उन्हें नये अपराध करने से रोका जाय यह आब्जेक्ट है। लेकिन करेंगे क्या आप? अपराधियों को सुधारने और उपयुक्त काम के लिये अवसर देने की दृष्टि से राज्य सरकार का यह प्रस्ताव है कि उन्हें जीविका के निमित्त प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से बस्तियां स्थापित की जायं।

इसका मतलब है मैं समझता हूं कि जो सेटिलमेंट या बस्तियां हैं, जिनमें क्रिमिनल ट्राईब्स को रखा जाता है, अगर ऐसे आदमियों को जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने बतलाया, ऐसे लोगों को बस्तियों में रखा जायगा तो किस ख्याल से रखा जायगा? इसलिये कि उनका सुधार हो। वह सुधार भी कैसे किया जाय? उनको जीविका का उपाय उनको बतलाया जायगा या जीविकोपार्जन के लिये उनको सहायता की जायगी। तो मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये से, मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि वह जीविकोपार्जन का इन्तजाम क्यों नहीं करते हैं? आप कन्फाइन्टमेंट में क्यों रखते हैं? आप असली मर्ज का इलाज क्यों नहीं करते हैं? इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों से साफ जाहिर है कि आप उन लोगों को बस्ती या सेटिलमेंट में इसलिये रखना चाहते हैं क्योंकि उनको वहां सुधारा जा सकता है। यदि उनके जीविकोपार्जन का इन्तजाम कर दिया जाय तो आपका फर्ज है कि आप उससे जीविकोपार्जन का उपाय कर दें न कि यह कि यह कोशिश की जाय कि उसको एक बस्ती या सेटिलमेंट में बन्द कर दिया जाय।

दूसरी चीज जो मैं इस सदन के समक्ष पेश करना चाहता हूं, वह यह है कि १८७१ में यह सी० टी० ऐक्ट बना था और १९२४ में इसका संशोधन हुआ और आज तक लागू रहा। ३१ अगस्त, १९५२ ई० को किसी तरीके पर जब सेंट्रल लेजिस्लेचर ने उसको रिपील किया तो वे बेचारे किसी तरह से छोड़े गये। मैं इस चीज को माननीय मन्त्री जी से आपके जरिये से पूछना चाहता हूं कि वह इस बात को मानते हैं कि ऐसे हार्डेड क्रिमिनल्स को अगर सेटिलमेंट में रखा जायगा, तो उनका सुधार हो जायगा और वह अच्छे नागरिक होंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग अभी चन्द दिन पहले उस सेटिलमेंट से बाहर किये गये हैं, उनको आप फिर उसमें लाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। आप यह भी बतला रहे हैं, कि जितने भी हार्डेड क्रिमिनल्स हैं, कई बार सजायाफ्ता हैं, बहुत बड़े डकैत और जो कुछ हो सकता है, सब कुछ हैं, ऐसे सेटिलमेंट में उनको रख कर देश का इतना रुपया उनको सुधारने के लिये खर्च किया गया और बस्तियां बनाई गयीं, बड़े-बड़े अफसरान रखे गये, अगर उनका सुधार न हुआ तो सेटिलमेंट रखने से फायदा क्या हुआ? जो सेटिलमेंट के बाहर निकाले गये हैं, उन पर भरोसा किया जाना चाहिए कि वे वहां से आने के बाद अच्छे नागरिक का जीवन

[श्री कमला सिंह]

व्यतीत करेंगे और साथ ही साथ मन्त्री जी को कुछ धैर्य भी रखना चाहिए। उनको एक्टीविटीज को नोट करना चाहिए। अगर निकलने के बाद अगर उनका वही रवैया जारी है तो मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि उनके लिये जितनी सख्त से सख्त कार्यवाही आप करना चाहें मुझे इसमें कोई भी इन्कार नहीं है। लेकिन मैं एक चीज और आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी ने बहुत जोर दिया है कि बहुत से बड़े-बड़े आफेन्सेज करने वाले अगर उनको रिस्ट्रिक्शन में नहीं रखा जायगा, तो समाज की बहुत बड़ी क्षति होगी। उसके लिये मैं निवेदन करूंगा कि इंडियन पैनल कोड मौजूद है, जिसके लिये ७५ धारा वहां दी हुई है। कोई भी आदमी यदि कोई भी जुर्म करता है तो डेटरेन्ट पनिशमेंट, जो कुछ हो सके दीजिए।

यदि धारा आपकी यहां ऐसी मौजूद है तो क्या वजह है कि उस आदमी के खिलाफ एक मामूली जुर्म के लिये, किसी वजह से गैरहाजिर हो जाने की वजह से या कोई भी वजह हो वह नोटिस न दे कि हम गैरहाजिर हो गये तो उसको ३ साल के लिये भेज दें। मैं भी मानता हूं कि शासन को नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन यह भी आपको हक है कि जो आदमी गैर हाजिर होता है या गैर हाजिरी की इत्तिला नहीं देता है अगर वह जुर्म करता है, अगर कोई कानून हमारे मन्त्री जी ऐसा बतला दें, कि उस अपराध के लिये वह छोड़ दिया जायगा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप जो चाहें सजा कर सकते हैं, लेकिन वह शख्स जो इस आज्ञा का उल्लंघन करता है, दूसरी जगह जाकर जुर्म करता है, उसको सजा उसमें दी जाय तो मैं समझता हूं कि पहला आफेन्स है उसके साथ तो जरूर रहम करना चाहिए। अगर यह हो कि तीन चार बार ऐसी आज्ञा का उल्लंघन करता है तो ऐसे के खिलाफ कोई दया नहीं करनी चाहिए, मैं सहमत हूं। लेकिन ऐसी हालत में तो जरूर दया की जरूरत है। इन बातों को कहते हुए मुझे उम्मीद है कि माननीय मन्त्री जी इस बात को जरूर स्वीकार करेंगे।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत ज्यादा निवेदन नहीं करना है, सिवाय इसके कि मैं फिर माननीय सदस्य से यह कहूं कि उन्होंने अब भी मेरी दरख्वास्त को नहीं माना और अपने हृदय को इस बात का मौका दिया कि वह मस्तिष्क को दबा लें। उन्होंने कहा कि जो सेटिलमेंट से लोग निकले हैं उनको काम करने का मौका दिया जाय कि वह कैसा अच्छा काम करते हैं। लेकिन यह कानून क्रिमिनल ट्राइब्स के लिये नहीं बना है, सब के लिये है। आपने कहा कि एक दफा उनको सेटिलमेंट से निकाला, दोबारा क्यों भेजा जाय। लेकिन जैसा मैंने कहा यह कानून सबके लिये है और जो लोग हैबिचुअल आफेन्डर्स होंगे उन्हीं पर लागू होगा। उनका यह तर्क मेरी समझ में नहीं आया। ऐसे भी लोग होंगे, क्रिमिनल ट्राइब्स के अतिरिक्त, जिन्होंने जुर्म कभी नहीं किया। तो मैंने मजबूरी पहले बयान कर दी और मैं इस संशोधन को मंजूर न करने के लिये विवश हूं।

उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १३ के उपखंड (१) की पंक्ति ४ के शब्द "अतिरिक्त" और शब्द "उसे" के बीच निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जांय---

"उसे निम्नलिखित दन्ड मिल सकता है :--

(क) पहली बार अभिशस्त (convict) होने पर सम्बोह देकर छोड़ा जा सकता है या ५ रुपये तक जुर्माना हो सकता है।

(ख) दूसरी बार अभिशस्त होने पर १५ दिन सख्त कैद की सजा दी जा सकती है ;

(ग) तीसरी या चौथी बार अथवा बाद की अभिशस्त होने पर"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १३ के उपखंड (१) की पंक्ति ४ में शब्द "ऐसे" तथा शब्द "समय" के बीच "अधिक" रखा जाय।

जाय। इस शब्द के रखने से वह इस प्रकार हो जायगा, "बारह मास के लिये या ऐसे अधिक के लिये जो तीन वर्ष से अधिक न हो।" मेरे ख्याल से यह शब्द "अधिक" भूल से रह गया है। इस शब्द का जो मतलब है वह वहां पर रखने से ही पूरा हो सकता है और न रखने से गलत अर्थ निकलता है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि यह स्वीकार कर लिया जाय।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैं इसे माने लेता हूं। यह भूल से नहीं रह गया है, बल्कि भाषा के ख्याल से ही हटा दिया गया है। क्योंकि दो बार "अधिक" शब्द भाषा में अच्छा नहीं मालूम होता है कि "ऐसे अधिक समय के लिये जो तीन वर्ष से अधिक न हों" और मतलब भी खप्त नहीं होता। फिर भी अगर आप समझते हैं कि इससे मतलब स्पष्ट होता है तो मैं इसे स्वीकार किये लेता हूं।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १३ के उपखंड (१) की पंक्ति ४ में शब्द "ऐसे" तथा शब्द "समय" के बीच "अधिक" रखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १४

उन अभ्यासी अपराधियों का गिरफ्तार किया जाना जो नियत सीमाओं या बस्तियों के बाहर पाये जायं।

१४--यदि कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध प्रतिबन्ध आज्ञा या धारा १३ के अधीन किसी बस्ती में आसेध की आज्ञा दी गई हो,

(क) बिना आज्ञा या प्रवेश पत्र (पास) के, जिसे नियत किया गया हो, ऐसी बस्ती या ऐसे क्षेत्र की सीमाओं के, जिसके भीतर उसकी गतिविधि सीमित की गई हो, बाहर या ऐसे स्थान में या ऐसे समय पर जिसके लिये उसके प्रवेशपत्र (पास) की शर्तों के अनुसार अनुमति न हो, पाया जाय, या

(ख) किसी बस्ती से निकल भागे या छोड़ दे तो वह बिना किसी वारन्ट के किसी पुलिस अधिकारी या बस्ती के किसी ऐसे कर्मचारी द्वारा जो राज्य सरकार की किसी सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा इस बात के लिये अधिकृत किया गया हो, गिरफ्तार किया जा सकता है और किसी प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के सम्मुख उपस्थित किया जा सकता है, जो इस अधिनियम के अनुसार उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के उद्देश्य से उसे ऐसे क्षेत्र या बस्ती में, जैसी भी स्थिति हो, हटाये जाने की आज्ञा देगा।

श्री जयपाल सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १४ के उपखंड (क) की पंक्ति २ में शब्द "बस्ती या" और शब्द "ऐसे क्षेत्र" के बीच शब्द "ग्राम या" बढ़ा दिये जायं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी मंशा इस संशोधन को लाने का यही है कि यह सिर्फ शाब्दिक है और जहां इस खंड में बस्ती शब्द आया है वहां शब्द ग्राम भी रख दिया जाय। बिना आज्ञा या प्रवेश पत्र (पास) के जिसे नियत किया गया हो, ऐसी बस्ती या ग्राम या ऐसे क्षेत्र की सीमाओं के, जिसके भीतर उसकी गति विधि सीमित की गयी हो, बाहर या ऐसे स्थान में या ऐसे समय पर जिसके लिए उसके प्रवेशपत्र (पास) की शर्तों के अनुसार अनुमति न हो, पाया जाय, या किसी बस्ती से निकल भागे।

मैं दोनों संशोधनों को एक साथ पेश कर दूं तो क्या हर्ज है?

उपाध्यक्ष--हां, माननीय सदस्य ऐसा कर सकते हैं।

श्री जयपाल सिंह--नीचे भी इसी प्रकार से है। खंड १४ के उपखंड (ख) में यह संशोधन है--खंड १४ के उपखंड (ख) की पंक्ति ८ में शब्द "बस्ती" और शब्द "में" के बीच शब्द "अथवा ग्राम" बढ़ा दिये जायं।

मेरी मंशा इस संशोधन से यह है कि यह हो सकता है कि ऐसा रेस्ट्रिक्शन गांव में रहने वाले एक ऐसे अपराधी के लिये लगाये गये हों, जो गांव में रहता हो, जहां दूसरे सभ्य समाज के व्यक्ति भी रहते हों। जिस व्यक्ति के प्रति इस तरह से रेस्ट्रिक्शन लगाये गये हों जो गांव में रहता हो या जिले के अन्दर रहता हो और सेटिलमेंट में न रहता हो, तो उसके लिये अगर ग्राम शब्द इस्तेमाल हो जाय तो बहुत ही ठीक होगा। मैं इससे ज्यादा नहीं कहना चाहता। यही मेरे दोनों संशोधनों की मंशा है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उपाध्यक्ष महोदय, यों तो जो शाब्दिक संशोधन पेश किया जाता है, उसको मैं बड़ी शान से मान लेता हूं, परन्तु मैं समझता हूं कि इस संशोधन को मानने में दिक्कत है। माननीय सदस्य स्वयं सोचें कि जो उनका अर्थ है वह भी उनके संशोधन से नहीं हल होता है। उन्होंने बस्ती और क्षेत्र के बीच में ग्राम शब्द जोड़ा है। क्षेत्र शब्द बड़ा व्यापक है। उसके अन्दर गांव, क़स्बा, नगर और शहर सभी आ जाते हैं। ग्राम कह देने से एक दिक्कत पैदा हो जायगी कि क्षेत्र क्या है। क्षेत्र के लिये अंग्रेज़ी में आप देखेंगे कि एरिया रखा गया है। एरिया शब्द बड़ा व्यापक है। ग्राम भी एरिया शब्द के भीतर है। यदि ग्राम शब्द भी रख दिया जायगा तो यह झगड़ा पड़ जायगा कि एरिया की परिभाषा क्या है जिसके अन्दर ग्राम नहीं है। इस प्रकार यह एक क़ानूनी अड़चन होगी और मैं समझता हूं कि वे स्वयं इसको मान लेंगे।

श्री जयपाल सिंह--मैं इसको वापस ले लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १५

अभ्यस्त अपराधी का स्थानान्तरण

१५--राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से जिला मैजिस्ट्रेट किसी अभ्यस्त अपराधी को एक बस्ती से हटा कर दूसरी बस्ती में भेज सकता है।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

खंड १६

प्रक्रिया

१६--कोड के अध्याय २० के उपबन्ध, जहां तक हो सके, इस अधिनियम की धारा ४, ६ और १२ के अधीन व्यवहारों (Proceedings) पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे किसी सम्मन के व्यवहारों (summons case) की स्थिति में लागू होते हैं।

श्री कमला सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १६ के स्थान पर निम्नलिखित नया खंड १६ रख दिया जाय--

"१६--जिला मैजिस्ट्रेट या इस निमित्त उसके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके विरुद्ध प्रतिबन्ध आज्ञा दी गयी हो, उंगलियों की छाप लेने की आज्ञा दे सकता है और तब ऐसे व्यक्ति को उंगलियों की छाप देनी होगी।"।

यह कोई नई धारा मैं नहीं ला रहा हूं। बल्कि जो पहले विधेयक रखा गया था, उसी में यह लिखा हुआ था, लेकिन प्रवर समिति ने रद्द कर दिया। यह बहुत इम्पोरटेंट है इसलिये

में कुछ बातें बतला देना चाहता हूं। पहली चीज यह है कि जितने एक्यूज्ड परसंस होते हैं...।

(इस समय ३ बजकर २९ मिनट पर अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

उनमें अनआइडेंटीफाईड परसन्स होते हैं। इसका मतलब उन लोगों से है, जिनका रेजीडेंस और एंटीसीडेंट्स मालूम नहीं हैं। दूसरे ट्रेस्ड परसन्स होते हैं, जिनके रेजीडेंस और एंटीसीडेंट्स का पता रहता है। अब हम इस विधेयक में देखेंगे कि ऐसे आदमियों का जिनका एंटीसीडेंट्स का पता नहीं है, उनको डिटेंशन में रखना है, तो ऐसी हालत में यह जरूरी होता है कि फिंगर प्रिंट ब्यूरों के जरिये उनको ट्रेस आउट किया जाय। हो सकता है कि वह आदमी किसी एरिया में हो और वहां से बाहर निकल जाय तो ऐसी हालत में उसके मालूम करने का एक ही उपाय है जो फिंगर प्रिंट मैनुअल में दिया हुआ है, उसके जरिये मालूम किया जा सकता है। इसके जरिये मैं चाहता हूं कि फिंगर प्रिंट मैनुअल के आदेश के मुताबिक ऐसे लोग जो अनआइडेंटीफाइड हैं, उनका पता लगाया जा सके? इस उद्देश्य से मैं इसे लाया हूं। अगर माननीय मंत्री जी इसको पसन्द करें तो ठीक है, अगर न करें तो मैं वापस लेने को तैयार हूं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अध्यक्ष महोदय, मैं उनके उद्देश्य को स्वीकार करता हूं और बहुत जरूरी है। प्रवर समिति के सामने यह चीज थी, लेकिन ऐसा सोचा गया कि इसका इस क़ानून के भीतर जिक्र न किया जाय तो अच्छा है। नियमों में सेक्शन २० में जिक्र किया गया है कि उंगली की छाप के बाबत गवर्नमेंट को अधिकार रहे। इसलिये डाइरेक्ट नहीं तो इंडायरेक्टली यह चीज आ जाती है।

श्री कमला सिंह--मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १७

न्यायालयों के अधिकार क्षेत्रों का बाधित किया जाना।

१७--निम्नलिखित के अधीन किसी कार्यवाही में दी गई आज्ञा के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकेगी :--

(क) धारा ६, या

(ख) धारा ८ की उपधारा (१) या (२), या

(ग) धारा ९, १० और १२, या

(घ) अभ्यस्त अपराधी को उस क्षेत्र में जिसके भीतर उसकी गति-विधि सीमित की गयी हो या उस बस्ती में, जहां उसे रखे जाने की आज्ञा दी गयी हो, पहुंचाने के सम्बन्ध में धारा १४ के अधीन;

और ऐसी आज्ञा अन्तिम होगी और उसके संबंध में किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जा सकेगी।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १८

नियम

१८--(१) राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(२) विशेषकर और पूर्व गत अधिकार की व्यापकता को बाधित न करते हुए ऐसे नियमों में निम्नांकित के लिए व्यवस्था की जा सकती है :--

(१) धारा ४ के अधीन नोटिस का आकार (फ़ार्म) ;

(२) ऐसे क्षेत्र जिनमें किसी अभ्यस्त अपराधी की गतिविधि सीमित की जाय और उन प्रतिबन्धों का प्रकार जिनका पालन करना ऐसे व्यक्तियों के लिए आवश्यक होगा ;

(३) छुट्टी की शर्तें और प्रवेश पत्रों (passes) का रूप, और शर्तें जिनके अधीन अभ्यस्त अपराधियों को ऐसे क्षेत्र, जिनके भीतर उनकी गति-विधि सीमित कर दी गयी हो या ऐसी बस्ती, जिसमें वे रक्खे गये हों, छोड़ने की अनुमति दी जा सकती हो ;

(४) ऐसे अभ्यस्त अपराधियों को, जिन के विरुद्ध प्रतिबन्ध आज्ञा दी गयी हो, शिनाख्त का प्रमाण पत्र (certificate of identity) देना, और परिस्थितियां जिनमें उन्हें इस प्रकार के प्रमाण पत्रों को जांच के लिए प्रस्तुत करना पड़ेगा ;

(५) बस्तियों का कार्य संचालन, प्रबन्ध, नियंत्रण तथा उनकी देख-रेख ;

(६) ऐसी बस्तियों के प्रमाणित करने की रीति और शर्तें जिनका प्रबन्ध निजी रूप से किया जाता हो ;

(७) अभ्यस्त अपराधियों को बस्ती में भरती करना, वहां से उन्हें मुक्त करना तथा इस संबंध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(८) शर्तें और परिस्थितियां जिनके अधीन अभ्यस्त अपराधी के कुटुम्ब के सदस्यों को बस्ती में उसके साथ ठहरने की अनुज्ञा दी जाय ;

(९) अनुशासन (discipline) संबंधी कार्यवाही, जो किसी बस्ती से निकल भागने का प्रयत्न करने वाले अथवा किसी अन्य प्रकार से समय विशेष पर प्रचलित नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर लागू होंगी ;

(९-क) असेसरों को बुलाना और उनकी यात्रिक तथा दैनिक भत्ता देना ;

(१०) प्रतिबन्ध आज्ञाओं का अभिलेख रखने के लिए रजिस्टर;

(११) अंगुली छाप लेने की रीति; और

(१२) ऐसे विषय जो नियत किये जायं या नियत किये जाने वाले हों।

श्री जयराम वर्मा--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १८ के उपखंड (२) का भाग (११) निकाल दिया जाय।

बात यह है कि नियम बनाने का अधिकार जो सरकार ले रही है, उसमें (११) नहीं है अंगूठे की छाप लेने की रीति का इस नियम बनाने के अधिकार लेने के पहले इस विधेयक में कहीं उल्लेख नहीं है कि कहाँ पर अंगूठे की छाप लेने की अवश्यकता पड़ेगी, कहीं इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है और इस विधेयक के प्रवर समिति में जाने से पहले एक जगह इसका उल्लेख था भी, लेकिन अब वह भी प्रवर समिति द्वारा निकाल दिया गया है। इसलिये मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि जब इसकी कहीं आवश्यकता प्रतीत नहीं हो रही है तो फिर इस तरह के नियम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

अगर ऐसा नियम बनाने की आवश्यकता हो तो इस तरह का उल्लेख कहीं भी किसी धारा के अन्दर होना चाहिये था और चूंकि इसका उल्लेख कहीं भी नहीं है, इसलिये मुझे थोड़ा सा यह असंगत मालूम होता है। इसलिये मैंने विचारार्थ यह संशोधन उपस्थित किया है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता। अभी श्री कमला सिंह जी ने इसी सिलसिले में एक संशोधन पेश किया था और मैंने और प्रवर समिति ने भी इस संबंध में महसूस किया कि ऐसी जरूरत पड़ सकती है कि अंगूठे की छाप कहीं ली जाय तो कैसे ली जाय। इसका कानून में कहीं उल्लेख नहीं है। इन बातों के लिये नियम बनाने की आवश्यकता होती है। मैं समझता हूं कि इसका विधेयक में रहना बहुत आवश्यक है और मेरा ऐसा विश्वास है कि माननीय सदस्य भी इस को स्वयं महसूस करेंगे और वह अपने संशोधन को वापस ले लेंगे।

श्री कमला सिंह--जो प्रस्ताव इस सदन के सामने पेश किया गया है, मैं उसका विरोध करता हूं। चूंकि ३ (१) (क) में लिखा हुआ है "किसी जिले में निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर ही अपनी गतिविधि को सीमित रखना"। अभी आपको बतलाया गया कि दो तरह के क्रिमिनल्स होते हैं एक ट्रेस्ड और दूसरा अनट्रेस्ड। अगर कोई आदमी अनट्रेस्ड हो और आप चाहते हैं कि इस विधेयक के अन्तर्गत उसको सजा दी जाय तो आप कैसे ट्रेस आउट करेंगे। इसका जवाब अगर श्री जयराम वर्मा जी दे दें तो उनका यह संशोधन माना जा सकता है।

अध्यक्ष--माननीय सदस्य अपना संशोधन वापस लेते हैं?

श्री जयराम वर्मा--हां, वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १९

अपवाद

१९--समय विशेष पर प्रचलित किसी विधि के अधीन प्रतिबन्ध (restriction) या अवरोध (detention) की आज्ञा देने के संबंध में किसी समर्थ प्राधिकारी के अधिकारों पर इस अधिनियम में दी हुई किसी भी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इस अधिनियम के अधीन दी गयी प्रतिबन्ध आज्ञा या बस्ती में रखने की कोई आज्ञा, जहां तक कि वह ऐसी अन्य विधि के अधीन समर्थ प्राधिकारी द्वारा दी गयी किसी आज्ञा से असंगत हो तब तक, अप्रवृत्त (inoperative) समझी जायेगी जब तक कि ऐसी दूसरी विधि के अधीन दी गयी आज्ञा सप्रभाव रहे।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुसूची

धारा २—ग देखिए

इन्डियन पीनल कोड के अन्तर्गत अपराध

धारायें

२३१ जाली सिक्के बनाना (counterfeiting coins)।

२३२ जाली भारतीय सिक्के बनाना (counterfeiting Indian coins)।

२३३ जाली सिक्के बनाने के लिये उपकरण (instrument) का निर्माण क्रय या विक्रय।

२३४ जाली भारतीय सिक्के बनाने के लिये उपकरण (instrument) का निर्माण क्रय या विक्रय।

२३५ जाली सिक्के बनाने के काम में लाने के लिये उपकरण या समाग्री को अपने कब्जे में रखना।

२३९ ऐसे सिक्के का अर्पण (delivery) जो इस जानकारी के साथ कब्जे में हो कि वह जाली है।

२४० ऐसे भारतीय सिक्के का अर्पण जो इस जानकारी के साथ कब्जे में हो कि वह जाली है।

२४२ किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी जाली सिक्के का अपने कब्जे में रखा जाना जिसे सिक्का प्राप्त होने पर यह मालूम हो गया हो कि वह जाली है।

२४३ किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा भारतीय सिक्का कब्जे में रखा जाना जिसे सिक्का प्राप्त होने पर पर यह मालूम हो गया हो कि वह जाली है।

३०२ हत्या (murder)।

३०४ दण्डनीय नर हत्या (culpable homicide) जो नर हत्या न समझी जाय।

३०७ हत्या करने का प्रयत्न (attempt to murder)।

३०८ दण्डनीय नर हत्या (culpable homicide) करने के लिये प्रयत्न।

३११ ठग होना (being a thug)।

३२६ भयावह अस्त्रों या साधनों (dangerous weapons or means) द्वारा स्वेच्छा से दुस्सह आघात (grievous hurt) पहुंचाना।

३२७ सम्पत्ति के निकर्षण (extortion) के लिये या अवैध कार्य के लिये विवश करने के प्रयोजन से स्वेच्छा से आघात पहुंचाना।

३२८ कोई अपराध करने के अभिप्राय से विष इत्यादि द्वारा आघात पहुंचाना।

३२९ सम्पत्ति के निकर्षण (extortion) के लिये या अवैध कार्य (illegal acts) के हेतु विवश करने के लिये स्वेच्छा से दुस्सह आघात पहुंचाना।

३३३ राज्य कर्मचारी को डरा धमका कर अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोकने के लिये स्वेच्छा से दुस्सह आघात (grievous hurt) पहुंचाना।

३६३ अपहरण (kidnapping)।

३६४ जान से मारने के लिये अपहरण करना या बहकाना।

३६५ रहस्यपूर्ण तथा अनुचित ढंग से किसी व्यक्ति को बन्द करने के विचार से अपहरण करना या बहकाना ।

३६९ दस वर्ष से कम वयस वाले शिशु (child) के शरीर से कोई वस्तु चुराने के अभिप्राय से उसका अपहरण (kidnapping) ।

३७६ बलात्कार (rape) ।

३७७ अप्राकृतिक अपराध (unnatural offence) ।

३८० निवास स्थान में चोरी ।

३८२ चोरी के प्रयोजन से, मृत्यु करने आघात पहुंचाने या निरोध (restraint) में रखने के लिये तैयारी करने के पश्चात् चोरी ।

३८४ निकर्षण (extortion)।

३८५ निकर्षण (extortion) के प्रयोजन से व्यक्ति विशेष को चोट (injury) का भय दिखाना ।

३८६ निकर्षण (extortion) के प्रयोजन से व्यक्ति विशेष की मृत्यु या दुस्सह आघात (grievous hurt) का भय दिखाकर निकर्षण (extortion) ।

३९२ लूटमार (robbery)।

३९३ लूटमार करने का प्रयत्न करना ।

३९४ लूटमार में स्वेच्छा से आघात पहुंचाना ।

३९५ डकैती (dacoity) ।

३९६ हत्या के साथ डकैती ।

३९७ लूटमार या डकैती, जिसमें मृत्यु या दुस्सह आघात करने का प्रयत्न किया जाय ।

३९८ घातक अस्त्र से सशस्त्र होकर लूटमार करने या डकैती का प्रयत्न ।

३९९ डकैती की तैयारी करना (preparation for commiting dacoity)।

४०० डाकुओं के गिरोह में होना ।

४०२ डकैती के प्रयोजन से एकत्रित होना ।

४११ चुराई हुई सम्पत्ति को बेईमानी से ग्रहण करना ।

४१२ डकैती में चुराई हुई सम्पत्ति को बेईमानी से ग्रहण करना ।

४३६ गृह आदि को नष्ट करने के अभिप्राय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा अपकृत्य (mischief) ।

४५७ किसी ऐसे अपराध को करने के प्रयोजन से, जिसके लिये कारावास का दन्ड दिया जा सकता हो, रात्रि में चौर्य गृहातिक्रमण (lurking house-trespass) या सेंध लगाना (house breaking) ।

४५८ चोट पहुंचाने, प्रहार करने या अनधिकार रोक लगाने (wrongful restraint) के लिये तैयारी करने के पश्चात् रात्रि में चौर्य गृहातिक्रमण या सेंध लगाना ।

४५९ चौर्य गृहातिक्रमण (lurking house-trespass) या सेंध लगाते (house breaking) समय किया गया दुस्सह आघात ।

४६० रात्रि में चौर्य गृहातिक्रमण (lurking house-trespass) या सेंध लगाने के कार्य में संयुक्त रूप से संबद्ध सभी व्यक्ति दन्डनीय हों, यदि उनमें से किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी की मृत्यु हो गयी हो या दुस्सह चोट पहुंचाई गयी हो ।

४८९-ए जाली करेन्सी नोट या बैंक नोट बनाना ।

३ पब्लिक गैम्बलिंग ऐक्ट, १८६७ (१८६७ का ऐक्ट ३)

श्री जयराम वर्मा--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूची में दी गई इन्डियन पीनल कोड की धारा ३२६ के सामने के स्तम्भ में पंक्ति २ में शब्द "दुस्सह" के स्थान पर शब्द "घोर" रखा जाय तथा अनुसूची में जहाँ जहाँ "दुस्सह" शब्द का प्रयोग हुआ है उसके स्थान पर शब्द "घोर" रखा जाय।

श्रीमान् जी, "ग्रीवस" शब्द के लिये यहाँ हिन्दी में "दुस्सह" शब्द का प्रयोग हुआ है। मैं समझता हूं कि "ग्रीवस" शब्द का सही मतलब "दुस्सह" शब्द से व्यक्त नहीं होता और "घोर" 'शब्द' "ग्रीवस" के ज्यादा निकट है। मुमकिन है "घोर" शब्द का अभी प्रयोग न हुआ हो और "ग्रीवस" शब्द के लिये हिन्दी में "दुस्सह" शब्द का ही प्रयोग होता रहा हो लेकिन इससे अर्थ ठीक नहीं निकलता।

अब हिन्दी में समान अर्थ वाला कोई विधिक शब्द रखना जरूरी है। ग्रीवस का पर्यायवाची और सही मायने में शब्द "घोर" होता है और "घोर" शब्द का रखना उपयुक्त होगा। इसलिये मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि "दुस्सह" के स्थान पर "घोर" रख दिया जाय।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अभी थोड़ी देर पहले जयराम जी से मेरी बात हुई थी मुझको तो ऐसा लगता है कि ग्रीवस के लिये सही मतलब का शब्द "दुस्सह" ही लगता है। क्योंकि दुस्सह का मतलब तो यही है कि दुखेन सहति इति दुस्सह। मुझे ग्रीवस के स्थान पर दुस्सह ही ठीक मालूम होता है और घोर शब्द तो बहुत दूर लगता है और दुस्सह उसके नजदीक लगता है। इसलिये मैं समझता हूं कि जयराम जी इसको वापस लेने की कृपा करेंगे।

श्री जयराम वर्मा--मैं इस संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री पुत्तूलाल (जिला आगरा)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूची के अन्त के शब्द "३ पब्लिक गैम्बलिंग ऐक्ट, १८६७ (१८६७ का ऐक्ट ३)" निकाल दिये जायं।

अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन पर मुझे कुछ नहीं कहना है। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यह अपराध एक छोटा सा अपराध है। जब पब्लिक गैम्बलिंग ऐक्ट पर इस सदन में विवाद हो रहा था तब इस सदन के अधिक से अधिक सदस्यों ने यह कहा था कि इसमें सजा को बढ़ा दिया जाय और इसको सख्त बनाया जाय लेकिन उस वक्त सरकार की ओर से यह कहा गया कि यह हमारा सामाजिक दोष है, एक छोटा-सा आफेंस है इसके लिये ज्यादा सजा नहीं बढ़ा सकते। जब कि उसको एक माइनर आफेंस माना गया तो फिर मेरी समझ में नहीं आता कि इस अपराध को अभ्यस्त अपराधियों के कानून में क्यों रखा गया। ऐसी हालत में मैं माननीय गृह मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि इस अपराध को अनुसूची से निकाल दिया जाय।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अध्यक्ष महोदय, गैम्बलिंग ऐक्ट की इस धारा को इसमें रखने का मतलब यह था कि जुआ चाहे अच्छी बात हो या बुरी बात हो लेकिन दूसरों को अपने घरों पर जुआ खिलाना, कुछ ऐसा ख्याल है कि बहुत बुरी चीज है। इसी वजह से इसको इसके भीतर रखा गया था। लेकिन मैं देखता हूं कि बहुत से माननीय सदस्यों की यह राय है कि इसको निकाल दिया जाय तो मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुसूची के अन्त के शब्द "३ पब्लिक गैम्बलिंग ऐक्ट, १८६७ (१८६७ का ऐक्ट ३)" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित अनुसूची इस विधेयक का अंग मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

(पीछे पृष्ठ २९४ पर छपा है)

श्री अब्दुल मुईज खां—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (२) के बाद निम्नलिखित उपखंड (३) बढ़ा दिया जाय—

"(३) कोई अन्य सूचना मिलने पर जिला मैजिस्ट्रेट उपधारा (१) के अधीन जारी किये गये नोटिस को किसी भी समय निरस्त कर सकता है, किन्तु इस उपधारा में किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह उस व्यक्ति को जिसके नाम नोटिस जारी किया गया हो, यह अधिकार देती है कि वह उपधारा (२) में उल्लिखित आधारों से भिन्न किसी आधार पर नोटिस का प्रतिवाद कर सकता है।"

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान खंड ४ के उपखंड (१) की ओर ले जाना चाहता हूं जिसमें नोटिस देते समय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दो बातें देखनी होंगी। एक तो यह कि वह व्यक्ति जिसके खिलाफ नोटिस दिया जा रहा है वह अभ्यस्त अपराधी है या नहीं और दूसरी बात यह कि उसके विरुद्ध प्रतिबन्ध आज्ञा दी जानी चाहिए या नहीं वह इसकी डिजायरेबिलिटी पर विचार करेगा कि उसके विरुद्ध ऐसी आज्ञा दी जाय या नहीं लेकिन उस समय केवल पुलिस की रिपोर्ट ही उसके सामने होगी और तस्वीर का दूसरा रुख जो उस वक्त शुरू होता है जबकि एक्यूज्ड डी० एम० के सामने आता है उस समय नहीं होगा ऐसी सूरत में जब उपखंड (२) के मुताबिक एक्यूज्ड डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने आता है तो उसको सिर्फ ३ ही आधार ऐसे दिये गये हैं जिनके ऊपर वह (contest) कर सके। पहला यह कि वह १८ साल का नहीं है, दूसरा यह कि अखिरी बार जब यह जेल से छूटा तब से ३ साल का समय पूरा हो गया और तीसरे यह कि वह हैबिचुअल आफेन्डर्स की डेफिनिशन में नहीं आता है। तो अगर किसी कारण से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पूरे तौर से सेटिसफाई हो जाता है किसी सूचना पर कि वह शख्स ३ बार जेल जा चुका है लेकिन अब उसने एक नई जिन्दगी शुरू कर दी है और ऐसा काम शुरू कर दिया है जिससे अब कोई शुबहा नहीं रह गया है कि वह अब फिर कोई अपराध करेगा, अगर वह कन्विन्स भी हो जाता है तब भी उसके हाथ बंधे हैं क्योंकि धारा ६(१) में अधिकार दिया गया है कि उस उपधारा में नोटिस को डिस्चार्ज कर सकता है किन्तु खंड ४ उपखंड (२) (क), (ख), (ग) में जो ग्राउन्ड्स हैं उन्हीं पर वह विचार कर सकता है और उन्हीं के आधार पर नोटिस को डिस्चार्ज कर सकता है उसके अलावा किसी आधार पर अगर डी० एम० सेटिसफाईड है तो वह नोटिस डिस्चार्ज नहीं कर सकता। इस सम्बन्ध में पुलिस को इससे ज्यादा अधिकार होगा। पुलिस ने किसी वजह से किसी के खिलाफ रिपोर्ट कर दी कि उसने सही जिन्दगी शुरू नहीं की है और वह अब भी अपराध कर रहा है। मैं मिसाल के तौर पर कहना चाहता हूं अगर वह व्यक्ति टी० बी० का मरीज हो गया है और घर से बाहर भी नहीं जा सकता है लेकिन फिर भी अगर पुलिस नाखुश है और रिपोर्ट उसकी कर देती है तो भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नोटिस को डिस्चार्ज नहीं कर सकेगा। इस सम्बन्ध में डी० एम० के हाथ बंधे होंगे और वह अपना डिस्क्रिशन इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। इसलिये मैं आशा करता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को डिस्क्रीशन के लिये माननीय मन्त्री जी इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, श्री अब्दुल मुईज खां ने जो संशोधन पेश किया है, मैं उसको स्वीकार करता हूं। मेरा विश्वास है कि उनके संशोधन से वह बात आ जाती है, जिसकी ओर माननीय कमला सिंह जी ने ध्यान आकर्षित किया था। पहले जैसा था उसकी भाषा ठीक ही मालूम होती थी, लेकिन फिर भी यह बात जिसकी तरफ संशोधन में ध्यान दिलाया गया है, वह जाती थी। जो तीन चीजें दी गई हैं कि वह नोटिस के दिन १८ वर्ष से कम का था और यह कि उसको

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

आखिरी सजा खत्म किये हुये ३ साल बीत चुके हैं और तीसरे यह कि वह अब अभ्यस्त अपराधी नहीं है । इनसे तो डी० एम० के हाथ बंध जाते हैं और जैसा कि उन्होंने कहा कि अगर कोई टी० बी० का मरीज है और घर से बाहर तक नहीं जा सकता है तो उसके बारे में भी डी० एम० को अपने डिसक्रिशन से अधिकार नहीं होगा कि वह उसको नोटिस आफ डिसचार्ज दे सकें ।

यह जो संशोधन पेश किया गया है, उसके जरिये से यह हो जाता है कि और जो दूसरी इनफारमेशन्स हैं वे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्टेट के सामने रखी जा सकती हैं और अगर वह कन्विन्स हो जायं तो वह उन आदमियों को नोटिस न देगा । चाहे और सब बातें हों, लेकिन उसको ऐसी हालत में नोटिस नहीं दिया जायगा । इसलिये मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं ।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (२) के बाद निम्नलिखित उपखंड (३) बढ़ा दिया जाय---

"(३) कोई अन्य सूचना मिलने पर जिला मैजिस्ट्रेट उपधारा (१) के अधीन जारी किये गये नोटिस को किसी भी समय निरस्त कर सकता है किन्तु इस उपधारा में किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह उस व्यक्ति को जिसके नाम नोटिस जारी किया गया हो, यह अधिकार देती है कि वह उपधारा (२) में उल्लिखित आधारों से भिन्न किसी आधार पर नोटिस का प्रतिवाद कर सकता है ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ६

(पीछे पृष्ठ पर छपा ३०१ है)

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ६ इस विधेयक का अंश माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खण्ड १

उत्तर प्रदेश अभ्यस्त अपराधी प्रतिबन्ध विधेयक, १९५२

उत्तर प्रदेश में अभ्यस्त अपराधियों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाने की व्यवस्था के लिये विधेयक

यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में अभ्यस्त अपराधियों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये जायं ।

इसलिये निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

प्त शीर्ष
, विस्तार
प्रारम्भ ।

१---(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश अभ्यस्त अपराधी प्रतिबन्ध अधिनियम, १९५२, होगा ।

(२) यह सारे उत्तर प्रदेश में प्रचलित होगा ।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक का अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अभ्यस्त अपराधी प्रतिबंध विधेयक, १९५२ पारित किया जाय ।

मैं इस अवसर पर प्रवर समिति के सब सदस्यों को और दूसरे माननीय सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं । यह मैं जानता हूं कि इस विधेयक के संबंध में कुछ माननीय सदस्यों के मन में कई प्रकार की शंकायें उठ रही हैं और मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि वे शंकायें बिलकुल निराधार नहीं हैं । अभी २१ अगस्त को क्रिमिनल ट्राइब्स ऐक्ट उठाया गया है, इसलिये यह समझा जा रहा है कि इस ऐक्ट के बहाने से क्रिमिनल ट्राइब्स ऐक्ट को दुबारा लाया जा रहा है और ऐसे लोग जो कल तक क्रिमिनल ट्राइब्स में गिने जाते थे, इस कानून के बन जाने से फिर सैटिलमेंट्स में बंद कर दिये जायेंगे और भिन्न भिन्न प्रतिबंध लगा दिये जायेंगे । यह सही है कि इसका क्षेत्र ज्यादा विस्तृत है और इसके भीतर वह लोग भी आते हैं, जो अब तक क्रिमिनल ट्राइब्स में गिने जाते थे तथा उसके अतिरिक्त बहुत बड़ी संख्या उन लोगों की भी आती है, जो अब तक क्रिमिनल ट्राइब्स में नहीं थे, और हैबीचुअल आफेंडर्स हैं । मैं समझता हूं कि इस लखनऊ में भी ऐसे बहुत से आदमी होंगे जो तीन बार सजा भुगत आये होंगे और हैबीचुअल आफेंडर्स की परिभाषा में आते होंगे यानी सजा पाये हुए ३ बरस से कम हुए होंगे, लेकिन न तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को और न गवर्नमेंट को ही इतनी फुरसत है जो ऐसे सब आदमियों पर प्रतिबंध लगाये । प्रवर समिति ने एक चीज और पैदा कर दी है, मैं समझता हूं उसकी ओर भी माननीय सदस्यों का ध्यान गया होगा कि जब किसी आदमी पर यह ऐक्ट लागू किया जायगा तो केवल इतना ही नहीं कि यह देखना होगा कि उस आदमी की जीविका का कोई साधन है या नहीं बल्कि गवर्नमेंट को उसकी जीविका का प्रबंध करना ही होगा । तो यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है और कहीं गवर्नमेंट लाखों आदमियों की जिम्मेदारी लेने वाली है ? यह असम्भव बात है । जब तक किसी आदमी के विरुद्ध बहुत काफी सबूत नहीं होगा तब तक किसी आदमी को प्रतिबन्ध आज्ञा के अनुसार बस्ती में रखा जाना उचित नहीं समझा जा सकता है । अगर ऐसा नहीं होगा तो बड़ी मुश्किल पड़ जायगी । कोई आदमी है, खासकर कोई क्रिमिनल ट्राइब्स का आदमी है, जो एक बार, दो बार किसी वक्त अपराध कर चुका है और फिर १० वर्ष के बाद या बीस वर्ष के बाद एक अपराध करता है तो इस तरह से पहले के दोनों अपराध जोड़ने पर तीन हो जाता है और इस तरह से वह हैबिचुअल आफेंडर गिना जा सकता है । लेकिन मैं खास तौर से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को इस तरह की हिदायत देने वाला हूं कि अगर कोई पहली बार या दूसरी बार इस तरह का अपराध करता है तो इस कानून का माने इस तरह से न लगाया जाय ।

जहां तक उन लोगों का संबंध है जो क्रिमिनल ट्राइब्स के अन्दर रह चुके हैं, उनके संबंध में मैंने प्रवर समिति में भी कहा था और फिर कह देना उचित समझता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को हम स्पष्ट शब्दों में आदेश देने वाले हैं कि केवल इसीलिये कि कोई क्रिमिनल ट्राइब्स रह चुका है और जिसने पहले अपराध किया है और सेटिलमेंट के अन्दर रह चुका है और जिसने अपनी जिन्दगी को सुधारा भी है, कोई मौका मिल जाय तो उसे ही पकड़-पकड़ कर बन्द न कर दिया जाय । बल्कि हम तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसी आयोजना कर रहे हैं, जिससे उनको कुछ शिक्षा दें, और उनका विकास करें । तो एक तरफ तो हम उनकी शिक्षा की बात सोचें, उनके विकास की बात सोचें, उनकी जीविका के साधन की बात सोचें और दूसरी तरफ उन सबको पकड़-पकड़ कर बन्द कर दें, यह उल्टी बात हो जाती है । माननीय सदस्यों ने जिस भावना से प्रेरित होकर अपने संशोधन पेश किये हैं, मैं उनकी भावनाओं को समझता हूं कि केवल क्रिमिनल ट्राइब्स ऐक्ट में रहने की वजह

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

से ही किसी को दंड न दिया जाय, बल्कि उनको पूरी तरह से मौका दिया जाय। मैं इन शब्दों के साथ फिर सब माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि इस उत्तर प्रदेश में क्राइम्स और अपराधों को रोकने में हमें बहुत काफी सहायता मिलेगी।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अभ्यस्त अपराधी प्रतिबन्ध विधेयक, १९५२ जैसा कि वह संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

मन्त्रियों को परामर्श देने के लिये स्थायी समितियों के निर्वाचन, संघटन तथा कार्यविधि के नियमों के सम्बन्ध में सङ्कल्प

न्याय मन्त्री (श्री सैयद अली जहीर)---अध्यक्ष महोदय, मैं यह संकल्प उपस्थित करता हूं कि "यह विधान सभा मंत्रियों को परामर्श देने के लिए स्थायी समितियों के निर्वाचन, संगठन तथा कार्यविधि के नियमों को स्वीकार करती है।"

(नियमों के लिये देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३४० पर)

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से नियम संख्या ७६ की तरफ ध्यान दिलाता हूं। उसके अनुसार यह आवश्यक है कि जब तक आप आज्ञा न दें, इसके लिये ७ दिन का नोटिस होना चाहिये था, तब तक इस पर विचार नहीं हो सकता है। अगर आप आज्ञा देना उचित समझें तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि स्टैंडिंग कमेटी का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिये कम से कम सदन को इस पर विचार करने का मौका दिया जाय।

अध्यक्ष---नियम यह है कि यदि सरकार कोई संकल्प उपस्थित करना चाहे तो वह ७ दिन की सूचना देगी और सूचना के साथ संकल्प की एक प्रति सचिव को भेजेगी जो उसकी प्राप्ति के अड़तालीस घंटों के भीतर उसकी प्रतिलिपियां सदस्यों को भिजवायेगा।

परन्तु अध्यक्ष इससे कम समय की सूचना स्वीकार कर सकता है।

श्री सैयद अली जहीर---अध्यक्ष महोदय, ये कमेटीज किसी तरह से बनाने के पहले से रूल्स मौजूद थे। उसमें बहुत थोड़ी सी तरमीम हो रही है और आपको अख्तियार है कि अगर मुनासिब समझें तो इस मुद्दत को कम भी कर सकते हैं। इसकी कापियां कल एजेन्डे के साथ रखी गयी थीं। तो मेरे ख्याल में जरूरी नहीं है, लेकिन अगर इसको स्वीकार न करें तो बाद में भी मूव हो सकता है।

अध्यक्ष---मेरे पास कई संशोधन अभी आ गये हैं और वे माननीय मन्त्री जी को अभी मैं दे भी नहीं सकता और इनके लेने से आज यह कार्यक्रम खत्म हो नहीं सकेगा। आज के बाद शायद सदन नहीं बैठेगा। ऐसी अवस्था में यह बाद में ही लिया जाय तो उचित हो। अगर कोई विशेष बात हो तो माननीय न्याय मन्त्री बता सकते हैं कि आज ही लेने के लिये क्या इसकी विशेष आवश्यकता है।

श्री सैयद अली जहीर---नहीं, आज ही लेने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष---तो यह दशहरे के बाद जब यह सदन बैठेगा तो ले लिया जायगा।

रामपुर, बरेली, मुरादाबाद, पीलीभीत और नैनीताल के कुछ बैंकों पर छापा मारे जाने के सम्बन्ध में श्री कृष्ण शरण आर्य के प्रश्न पर विवाद

अध्यक्ष---अब श्री कृष्ण शरण आर्य द्वारा प्रस्तुत बैंकों वाले प्रश्न पर विचार होगा। माननीय आर्य जी, आप थोड़े से शब्दों में अपना स्टेटमेंट दें।

श्री कृष्ण शरण आर्य (जिला रामपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अति आभारी हूं कि आपने इस अत्यंत सार्वजनिक महत्व के विषय पर विवाद करने के लिये

आज यह आध घंटे का समय देने की कृपा की है। वह विषय जैसा कि सूचना से आदरणीय सदन को ज्ञात ही है। रामपुर तथा अन्य कई जिलों में तथा कथित बैंकों के संबंध में है। इस आदरणीय सदन के समक्ष अभी तक मेरे कई प्रश्नों में से केवल एक ही अब तक आ पाया था कि दिनांक १९ को प्रश्नों का समय समाप्त होने के कारण उस पर भी यहां पूरक प्रश्न नहीं हो सके। अति संक्षेप में इन बैंकों के फलस्वरूप उत्पन्न वर्तमान स्थिति के विषय में कहने के पहले इनका थोड़ा सा इतिहास इस आदरणीय सदन के समक्ष रखना आवश्यक समझता हूं, जिससे कि यह ज्ञात हो सके कि आज यह विषय कितना सार्वजनिक महत्व का है। दिनांक २ अगस्त को रामपुर, बरेली और मुरादाबाद जिलों में २६ कंपनियों को सरकार ने छापा मार कर गिरफ्तार किया। इनमें सबसे पहली रामपुर बैंकर्स थी। यह रामपुर बैंकर्स लिमिटेड सन् १९४८ ई० में रामपुर में कायम हुआ था। तभी वहां की रियासती सरकार ने इसको दफा ४२० में बन्द कर दिया था। उसके बाद अदालत से यह बरी हो गया और अब पिछले नवम्बर के आखीर में रामपुर में दोबारा चालू हुआ। अप्रैल के आखीर में इसका बिजनेस बहुत तेज हुआ और तभी वहां के जिलाधिकारियों का इसकी ओर ध्यान दिलाया गया। मेरे पास इस बात का प्रमाण है और यदि माननीय गृहमंत्री जी आदेश देंगे तो मैं उनको दिखाऊंगा, जिससे यह साबित होता है कि १५ मई तक हमारे यहां के जिला मैजिस्ट्रेट महोदय ने इसके विषय में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया था। १५ मई को इस बैंक में लगभग ४२ हजार रुपये जमा हुए थे। एकनामिकल हेल्प यूनिट स्कीम के नाम से यह रामपुर बैंकर्स लिमिटेड आपना कार्य करता था और इसका प्रोसीजर यह था कि जो लोग सौ रुपया इसमें जमा करते थे उनको १८० दिन में एक सौ का ६८७ रु० ८ आने दिया करता था। सौ रुपये का पहिले महीने में १३७ रुपये ८ आना, दूसरे में ७५ रुपया, तीसरे में १०० रुपया, चौथे में १७५ रुपया और पांचवे महीने में २०० रुपया दिया करता था। इस तरह से वह अपने शेयरहोल्डर्स को ६८७ रुपया ८ आने दिया करता था। १५ मई तक स्थिति यह हो गई थी कि उस दिन ४२ हजार रुपया उसमें जमा हुआ था, लेकिन उस दिन तक हमारे जिलाधीश महोदय यह निश्चित नहीं कर पाये थे कि किस तरह से इस जुए को रोका जाय। यह जुआ बहुत बढ़ गया और जून के महीने में यहां तक नौबत आई कि एक-एक दिन में लगभग एक-एक लाख रुपया लोगों ने इसके अन्दर जमा कर दिया। न केवल रामपुर के बल्कि मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़, आदि तमाम जगहों के बहुत से लोग रामपुर आकर उसमें अपना रुपया जमा करने लगे। २५ जून को माननीय न्याय मंत्री जी रामपुर पधारे और तभी वहां कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं की बैठक में उनका ध्यान इस ओर आकर्षित कराया गया और उनसे निवेदन किया गया कि आप इसको बन्द करने की कोशिश कीजिए। माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि वह लखनऊ आकर इसके बारे में विचार करके निर्णय करने की कृपा करेंगे, लेकिन उनके वहां से आने के अगले ही दिन २७ जून को जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने पब्लिकली एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी कानून फौजदारी या दीवानी का ऐसा नहीं है जिसको लागू करके इसको बन्द कर दिया जाय। साथ ही उन्होंने एक बात और कही कि जो लोग इस बैंक से नाजायज तौर पर मुनाफा हासिल कर रहे हैं, हुकूमत इस बात की कोशिश करेगी कि उनसे रुपया वापस लेकर उन लोगों को दे दे जिनका सरमाया बैंक फेल हो जाने के बाद जाया हो जाने का इमकान है। इसी मीटिंग में उनसे यह सवाल किया गया कि यह किस कानून से मुमकिन हो सकेगा तो उन्होंने जवाब दिया कि हुकूमत के पास बड़ी ताकत है, उसके हाथों की मजबूती को महसूस करना पड़ेगा। इसी भाषण में उन्होंने यह भी कहा कि रामपुर बैंकर्स की हिसाबात की जांच कर ली गयी है और उनको बिल्कुल दुरुस्त पाया गया है। इस भाषण और २७ जून के बाद इन बैंकों की इतनी भरमार

[श्री कृष्ण शरण आर्य]

हुई कि दो अगस्त को जब सरकार ने छापा मारा तो उनकी तादाद २६ हो गयी थी और बड़े-बड़े आकर्षक नाम थे, उन कंपनियों के जैसे इंटरनेशनल बैंक लिमिटेड, भारत हेल्पर्स लिमिटेड आदि आदि। आज जब ये बन्द कर दिये गये हैं तो रामपुर के करीब-करीब तीन लाख शेयरहोल्डर्स इन बैंकों के हिस्सेदार हैं और आज रामपुर में यह हालत है कि वहां के गरीब लोगों ने, गरीब बेवाओं ने, गरीब विद्यार्थियों ने अपने फीस के रुपये को, अपने घर का तमाम सामान गिरवीं रख कर, और सरकारी कर्मचारियों ने अपनी पूरी-पूरी तनख्वाह इन बैंकों में जमा की हुई है। इनमें एक कंपनी ऐसी भी बनी, जिसने एक हफ्ते में ही सौ का सवा सौ देने का वादा किया। सरकारी कर्मचारियों और गरीब लोगों ने यह सोचा कि एक हफ्ते में अपनी तनख्वाह वापस मिल जायगी और सवाई भी हो जायगी या एक महीने के बाद एक सौ साढ़े सैंतीस या दो सौ हो जायेंगे। मानव स्वभाव की सहज लालची प्रवृत्ति के मातहत उन्होंने इतनी रकम इसके अन्दर जमा की और आज वह परेशान हैं। सरकार ने इसको बन्द किया, अच्छा किया, वरना अगर कुछ और देर लगती तो शायद बहुत बुरी हालत हो जाती। मुरादाबाद के अन्दर भी मैं समझता हूं कि करीब ७-८ लाख रुपया इनमें जमा किया गया। अतः मुझे माननीय गृह मंत्री जी से यह निवेदन करना है कि यह नौ महीने तक खास जगह रामपुर में क्यों चलता रहा, जब कि मुरादाबाद और बरेली में खोले जाने के एक-दो हफ्ते के बाद ही उसको बन्द करने की कोशिश हुई? यह विशेषकर विचारणीय है। केवल यू० पी० कोआपरेटिव बैंक, रामपुर इस बैंकर्स का बैंकर था और किसी बैंक में इसका हिसाब नहीं था। रामपुर का सरकारी स्टेट प्रेस सात वर्ष के लिये इसी बैंकर्स को लीज पर दिया गया है। रामपुर के चूड़ामणि पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल और आई रिलीफ कमेटी, जिसके चेयरमैन जिला मैजिस्ट्रेट हैं, के लिये इस बैंकर्स से डोनेशन लिया गया। डिप्टी रजिस्ट्रार ज्वाइंट स्टाक कम्पनीज, स्वयं रामपुर गये और कंपनी की रजिस्ट्री करके आए। इस तरह खुला जुआ खेलती रही और लोग उसके अन्दर फंसते रहे जब कि जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से शंकारहित कर दिया गया हो कि कोई कानून इसको बन्द नहीं कर सकता, उसके हिसाब बिलकुल ठीक हैं, जो रुपया उनसे कमायेंगे उनसे वापस ले कर जिनके सरमाया का नुकसान होगा उनको वापस दिया जायगा, यह तमाम बातें हैं और इसलिये हमारे लिये यह सोचने की बात हो जाती है।

मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गृहमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उनके आदेश के अनुसार इसकी पुलिस के द्वारा, जो तफतीश हो रही है उसमें बहुत समय लगेगा। और हालत आज रामपुर की यह है कि वहां पर सैकड़ों घरों में हजारों आदमी ऐसे हैं कि उनके यहां केवल इसी कारण से आज न खाने भर को बचा है और न कपड़ा है मिसालें ऐसी मौजूद हैं कि डाक्टर के पास एक मरीज आया और जब डाक्टर ने उसके बेटे के लिये नुस्खा लिख कर दिया एक रुपया कुछ आने का तो उसने कहा कि मेरे पास कुल ४०० रु० थे जो मैंने बैंक में जमा कर दिये, इस वक्त मेरे पास कुल छः आने पैसे हैं, अगर आप मुफ्त दे सकते हों तो दे दें मेरे बेटे को सख्त तकलीफ है।

अध्यक्ष--अगर आप संक्षिप्त विवरण दें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि केवल आध घंटे का समय है, फिर आपको शायद समय न मिले।

श्री कृष्ण शरण आर्य--एक दूसरी मिसाल है। एक स्त्री ने जिसने अपने पति से छिपा कर १,१०० रुपये उस बैंक में जमा किये थे, उसके बन्द होने की खबर सुनकर, अपने पति के इस डर से घबरा कर कि वह क्या कहेंगे, कुएं में डूब कर शायद आत्म हत्या तक कर ली। एक नहीं, बहुत सी मिसालें रामपुर के अन्दर ऐसी हैं जिनसे मालूम होता है कि हजारों गरीबों की दशा आज अति चिन्ताजनक होते हुए भी सियासी बेदारी की कमी होने की वजह से वह अपनी इस परेशानी का इजहार नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वहां की मजहबी सियासी जमाअतों ने, पोलिटिकल पार्टीज ने, गवर्नमेंट का ध्यान इस तरफ दिलाया है

कि जल्द से जल्द इस बात का प्रबन्ध किया जाय कि जो २० लाख के करीब बताया जाने वाला रुपया छापे के बाद इन सब कम्पनियों से पकड़ा गया है, वह जिस तरह से भी हो सके, उन लोगों में बांट दिया जाय, जिनको अपना असली सरमाया भी वापिस नहीं मिल सका है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि २ अगस्त को जो छापा मारा गया वह रामपुर में दोपहर के १॥ बजे मारा गया, जबकि बरेली और मुरादाबाद में प्रातः १० और ११ के बीच मारा गया। साढ़े ११ बजे मुरादाबाद से गाड़ी आती है, वहां के छापे की खबर लेकर कि लोग रामपुर आ गये। रामपुर में बैंकर्स की एक ब्रांच थी, नाजिम प्रेस में, वहां छापा तीसरे दिन मारा गया। ऐडमिनिस्ट्रेशन को तो इसका जैसे पता ही नहीं था, जब पब्लिक की तरफ से बताया गया, तब वहां छापा मारा गया और १९,००० के लगभग रुपया मिला। एक दूसरी बात यह कि इस रामपुर बैंकर्स के बानी मुश्ताक लोदी थे, उनके मकान पर शाम को छापा मारा गया जिसका नतीजा यह हुआ कि उनकी बीबी जो बैंक की एक डायरेक्टर भी थीं आज तक गिरफ्तार नहीं हो पाई हैं और लोगों का कहना है कि वह ५० लाख रुपया लेकर फरार हैं। इसलिये अगर तफतीश ऐसी हो सके कि निष्पक्ष जांच हो जाय तो और भी बहुत सी बातें जाहिर होंगी। मैं साफ तौर से जाहिर कर देना चाहता हूं कि वहां के बहुत से जिम्मेदार लोग ऐसे पाये जायेंगे जिन्होंने अपना फर्ज पालन करने में कोताही की और इसीलिये जनता की इतनी तबाही हुई। आज मि० लोदी के पास काफी रुपया मौजूद हो सकता है और वह सारे सोर्सेज जिनके बल पर यह सब काम होता रहा, अभी मौजूद ही हैं। ऐसी दशा में गृह मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि आप इस पर विचार करें कि किस तरह जांच निष्पक्ष और गैरजानिबदारी से हो सकेगी।

गृहमंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, मैं अभी ठीक समझ नहीं पाया कि उन्हें इस मौके पर इस बहस को उठाने से क्या फायदा होगा। जहां तक इस बात का जिक्र है कि वहां के अधिकारियों ने अपने कर्त्तव्य के पालन करने में कोताही की हो, तो उसकी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इस बात को भी अपने ध्यान में रखेंगे कि जिस वक्त कि यह बात लोगों ने पब्लिक के सामने रखी कि सौ रुपया जमा करने से साढ़े छः सौ मिल जायगा तो वहां के बड़े-बड़े नेताओं को ख्याल होना चाहिये था कि पब्लिक को समझाने की कोशिश करें। उन्होंने कितना कर्त्तव्य का पालन किया, उसको भी ध्यान में रखेंगे। यह चीज इतनी आसान नहीं है, क्योंकि इतने दिनों तक यह चीज होने के बाद माननीय सदस्य ने स्वयं कहा कि जब रामपुर स्टेट में पहले पहल बैंक खोला गया तो एक बार स्टेट ने बन्द करने की कोशिश की, पर वह अदालत से बहाल हो गया।

अगर इतना आसान होता कि किसी कानून से फौरन् बन्द कर दिया जाय तो रामपुर स्टेट ने एक बार बन्द किया था और वह फिर बहाल हो गया। यह आसान काम नहीं है, यह कठिन काम है। मुरादाबाद में छापा मारना पहले हुआ ११ बजे और रामपुर में बाद में हुआ। इससे कोई नुकसान नहीं हुआ माननीय सदस्यों को जानकर संतोष होगा कि पहले छापे में रामपुर से छै हजार और चार सौ रुपये मिले। बाद में सूचना मिलने पर छापा मारने में २४ लाख ३४ हजार रुपये मिले। बाद में छापा मारने से कोई नुक्सान नहीं हुआ। इस मामले की जांच हो रही है और जांच अभी पूरी नहीं हुई है। माननीय सदस्य ने किन्हीं सज्जन की बीबी का जिक्र किया और यह कहा कि बाजारों में इस तरह की बात चल रही है कि उनके पास इतना रुपया है। वैसे तो मैं बाजारों में चलने वाली बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूं क्योंकि बाजारों में अधिकतर गप्प की बात चला करती है लेकिन अगर माननीय सदस्य जिम्मेदारी ले करके इस बात को कहते हैं कि फलां साहब की बीबी ने इतना रुपया जमा कर रखा है तो जांच हो सकती है। वैसे पुलिस अपने तरीके पर जांच कर रही है और करेगी।

एक चीज का और उन्होंने जिक्र किया कि लोगों को तकलीफ हो रही है तो ऐसे भोले-भाले लोगों को जरूर तकलीफ होगी जिन्होंने रुपया जमा करके सौ के लगभग छै सौ करने

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

की कोशिश की । तकलीफ उनको जरूर हो रही होगी, लेकिन जो आसान नुस्खा उन्होंने बताया कि गवर्नमेन्ट जल्दी से रुपया वापस करा दे वह इतनी आसान चीज नहीं है। एक बार जब रुपया जमा कर दिया गया तो वह रुपया उस आदमी का नहीं रह गया बल्कि उस बैंक का हो गया। अब उसकी जो सूरत हो सकती है वह हो रही है। उसकी जांच-पड़ताल हो रही है । यह देखा जा रहा है कि सचमुच कानून की किसी दफा के अन्दर बैंक आ सकता है या नहीं। अभी इसका ठीक निश्चय नहीं हुआ है। अगर किसी दफा के अन्दर वह बैंक आया और उसके ऊपर मुकदमा चला और बैंक का कुसूर साबित हो गया तो सब रुपया वापस जायगा । अगर बैंक वालों के ऊपर मुकदमा चला और उनको सजा हो गयी और अदालत ने यह कहा कि जो असली डिपाजिटर्स है उनको रुपया दे दिया जाय तब रुपया दिया जा सकता है । यह दूसरी सूरत है कि अगर गवर्नमेन्ट की जांच से यह साबित हो कि मुकदमा चल नहीं सकता है तो रुपया बैंक को वापस हो जायगा । ऐसी दशा में यह आसान बात नहीं है । मैं केवल इतनी सूचना इस समय दे सकता हूं कि मामला अदालत के सामने नहीं है, लेकिन अंडर इंवेस्टिगेशन है।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि वह जांच रामपुर की पुलिस कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---हमारे यहां की सी० आई डी० कर रही है।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि २६-२६ संस्थाओं से जो यह बैंक बनी, यह नियमों के अनुसार रजिस्टर्ड हो गयी थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं ठीक नहीं कह सकता । ये सब बातें जांच के अन्दर हैं।

श्री रामनरेश शुक्ल---क्या माननीय गृह मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि इस समय कितनी दफाओं में इस बैंक के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिये जांच हो रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---एक ही सेक्शन हो सकता है, सेक्शन ४२० । देखा यह जा रहा है कि ४२० के अन्दर वह आता है या नहीं।

श्री रामनरेश शुक्ल---क्या माननीय गृह मंत्री कृपा करके यह बतलायेंगे कि जब ४२० सेक्शन पहले से था तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने उस ४२० सेक्शन को पहले से क्यों नहीं इस्तेमाल किया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस्तेमाल तो अब भी नहीं हुआ । जैसा मैंने कहा वह एक संदिग्ध मामला था । एक मर्तबा ४२० का मुकदमा चला था, परन्तु वह खत्म हो गया।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि जनता के एक करोड़ रुपये के लूटे जाने के जिम्मेदार श्री लोदी अब जमानत पर छूट गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---लूटा या नहीं लूटा यह मैं नहीं कह सकता जब तक कोई कानूनी सबूत पैदा न हो । लेकिन हां शायद वे जमानत पर हैं ।

श्री रामनरेश शुक्ल---क्या माननीय गृह मंत्री को पता है कि मिस्टर लोदी और रामपुर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध था और है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मुझे इसका पता नहीं है और अगर इस सवाल के अन्दर कोई इन्सीनुयेशन हो तो इसको मैं स्वीकार भी नहीं कर सकता ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बैंक के सिलसिले में वहाँ के कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्त्ताओं ने और सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्त्ताओं ने माननीय मंत्री जी के पास कोई पत्र लिखे थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मुझे याद नहीं, लेकिन बहुत सम्भव है लिखे होंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि रामपुर बैंकर्स की एक ब्रान्च नैनीताल जिले के काशीपुर में दो दिन के लिये खुली थी और इन दो दिनों में १३,००० रुपया जमा हो गया था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--नैनीताल में खुली जरूर थी इतना ही मालूम है ।

श्री कृष्णशरण आर्य--अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने एक बात की ओर संकेत किया कि .....

अध्यक्ष--आप प्रश्न पूछना चाहते हैं या जवाब देना चाहते हैं ?

श्री कृष्णशरण आर्य--मैं जवाब देना चाहता हूं ।

अध्यक्ष--आप कृपा कर बैठ जायं।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर की डिस्ट्रिक्ट अथारिटीज ने लोदी साहब की जमानत घर बैठे ले ली जबकि मुरादाबाद की डिस्ट्रिक्ट अथारिटीज ने उनको जेल में रखा और बाद को जमानत ली ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इस ब्योरे की सूचना तो मेरे पास नहीं है ।

श्री कृष्णशरण आर्य--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने एक बात की ओर संकेत किया कि जब इस तरह समाज के विरुद्ध कार्य हो रहा था तो वहां के कार्यकर्ताओं ने अपने कर्त्तव्य का पालन क्यों नहीं किया । मैं यह कहना चाहता हूं कि पब्लिक के कार्यकर्ताओं की ओर से कर्त्तव्य का पालन किया गया। वहां की कांग्रेस कमेटी ने इसके विरुद्ध बयानात निकाले वहां के अखबारों में और मौलवी साहबान की ओर से तो यह फतवा तक दिया गया कि इस तरह का काम करना अपनी मां के साथ बलात्कार करने के तुल्य है । लेकिन मानव की लालची प्रवृत्ति को सरकार की ओर से बल मिला और कोई बाधा नजर नहीं आई तो इसको रोकना हमारे लिये कठिन हो गया।

दूसरी बात यह है कि हम लोग पब्लिक में वही बात कह सकते हैं जोकि हम सरकार से करवा सकें, यह बात हम सदस्यों के लिये और विशेषतया पार्टी वालों के लिये आवश्यक है । जब वहां के जिलाधीश की ओर से हमें आश्वासन दिलाया जाता रहा कि उन्होंने सरकार को लिखा हुआ है और कोई कानून इसे रोक नहीं सकता तो हम लोग उनका अविश्वास क्यों करते और न करना ही चाहिये था। उनके कथनों के खिलाफ कोई बात हम पब्लिक में कैसे कह देते । अगर हम कहते कि कानून जुर्म है और बंद किया नहीं जाता तो क्या नतीजा होता। उन दिनों एक अहला चढ़ा हुआ था जो हमारे ऊपर गालिब आने की कोशिश करता। हमारी बड़ी मुश्किल थी। हमने जिलाधीश का ध्यान दिलाया और उनसे कहा कि कोई कदम उठाइये तो उन्होंने कई आशंकायें रखीं हम लोगों ने कहा कि पब्लिक का नुकसान बहुतज यादा हो रहा है ; इसलिये इन आशंकाओं के बावजूद आप इसको बंद कर दीजिये। माननीय गृह मंत्री जी आदेश देंगे और यदि तफतीश की सहायतार्थ आवश्यकता होगी तो तमाम प्रमाण उपस्थित कर दिये जायेंगे ।

अब मैं यह कहना चाहता हूं कि इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुये जैसा कि वहां की कांग्रेस कमेटियों ने भी मतालबा किया है कि इस सारे कांड की जांच निष्पक्ष कराई जाए कृपया इसके लिये कोई प्रबंध कीजिये। एक आजादाना कमीशन मुकर्रर करें जो इस बात की जांच करे कि यह सब चीज कैसे हुई और कौन-कौन इसमें जिम्मेदार है । चाहे वह कोई सरकारी अधिकारी हो या पब्लिक का कार्यकर्ता हो उसके ऊपर उचित कार्यवाही की जाय । यह कई जिलों का मामला है और इसकी सूचना भी माननीय मंत्री जी के पास मैं समझता हूं अभी कल ही आई है। उदाहरणार्थ १९ तारीख वाले प्रश्न के उत्तर में ऐसा था कि नैनीताल जिले में ऐसी कोई कम्पनी नहीं थी जबकि काशीपुर में थी और शायद यदि मैं भूलता नहीं हूं तो रामपुर के जमील खां वहां काम करने के लिये गये थे। इसलिये मैं चाहता हूं कि ऐसा इंतजाम हो जिससे सही सूचना मिल सके और मामला

[श्री कृष्ण शरण आर्य]

अदालत में ठीक तरह से चल सके। इसके लिये अगर किसी ट्रिब्युनल की नियुक्ति के बारे में सरकार विचार कर सके तो जनता के लिये सुविधा होगी और जनता की सही सेवा हो सकेगी।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अन्त में जो सलाह दी है वह ठीक है। हम भी चाहते हैं कि मामला जल्दी से जल्दी तय हो जाय। अदालत में गया नहीं, अदालत में जाने के बाद हम ऐसा रास्ता जरूर निकालना चाहेंगे कि जल्दी फैसला हो। जांच जल्दी और निष्पक्ष रूप से हो, हम भी इस बात की कोशिश में हैं और मैं आश्वासन दिलाता हूं कि हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि ये बातें जल्दी से जल्दी और ठीक तरह से तय हो सकें।

(इसके बाद सदन ४ बजकर २२ मिनट पर सोमवार, ६ अक्तूबर, १९५२ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलाशचन्द्र भटनागर
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
२५ सितम्बर, १९५२।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ २७५ पर)

REPORT REGARDING QUESTION NO. 10

A sum of Rs.2,91,003 only has been spent in the Pilot Development Project, Gorakhpur-Deoria, up to this date since the beginning.

The work in the Pilot Development Project Gorakhpur-Deoria was started in the Kharif rainy crop season of 1950. Since then the following work has been done.

1.—AGRICULTURE

In the field of agriculture, improved seeds of various crops have been introduced. Quite a number of farmers have taken up this programme. As a result of this an additional yield of about 9,000 maunds of food-grains has been harvested by the farmers which in terms of money comes to Rs. 1, 60, 000-. In 1951,52 effort was made to increasd the sugar-cane yield as a result of which 600 farmers in 350 acres produced an additional yield of 96,356 maunds which alone was worth Rs.1,67,448. Besides this elements of new ideas of better farming like green manuring, vegetable culture, new soil building crop have been introduced in the villages of the Project area.

Thirty-three Masonary wells, 135 woodlined wells and 117 kachch[a] wells have been constructed.

Efficient and useful agricultural implements have extensively been used by the farmers.

A rural workshop and a plants nursery have been opened.

II—ANIMAL HUSBANDRY

Twenty-one medium hariyana bulls, 66 good breed cows, 19 Yorkshire boars and 13 barbary bucks have been supplied to improve the livestock breed of the area.

Saturated prophylactic inoculations have been done against H.S. and R.P. in cattle.

Two-hundred birds of improved breed have been supplied in connection with the poultry development.

Foot paths have been constructed.

Besides this-first aid for minor ailments is given to the live-stock.

III—PUBLIC HEALTH

Anti Malaria Programme was Carried on in 24 villages which brought the malaria incidence from 39-36 to 1.53%. This year a group of 50 villages has been taken up for this work.

Anti-scabies and anti-hookwork programme have also been taken up with fair success. First aid is given for minor ailments out breaks of cholera, plague and small pox are promptly checked through the help of the Public Health Department.

Village lanes are widened and cleaned. Soakage pits and urine pits are dug. Drinking water wells are treated with pot Permanganate. old wells are cleaned, disinfected and repaired. Bathing platforms are, raised. Ventilators of houses are opened. House drains and vailage drains are cleaned. Cattle sheds are improved. Houses are sprayed with Cammxane.

IV—PUBLIC WORKS

Three miles of village road, 3 culverts, one cause way, one bund and one irrigation channel have been constructed. Two villages have been taken up for replanning. About 60 improved houses for Harijans have been constructed in a planned way.

V—CO-OPRATIONS.

Three cooperative unions and 30 societies have been organised. 1 seed store have been completed and 3 are being built.

VI—ADULT LITERACY AND SOCIAL EDUCATION

About 2,000 illiterate adults learn to read and write in the adult literary class organised by the project. 15 small circulating libraries and 3 community centers have been organised.

Exhibitions and meetings are occasionally held and topical and news films are often exhibited for general education of the village people. Besides, quite a number of recreational and physical culture centers have been organised.

VII—TRAINING

Forty-six Panchayatiraj Secretaries were given training in multi-purpose field work. 3 training camps for village leaders were also held.

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८३ पर)

	रु०	आ०	पा०
१–आर० बी० नारायण सिंह शुगर मिल्स लिमिटेड लक्सर	३३,६५६	४	०
२–एल० एच० शुगर फैक्ट्रीज ऐंड आयल मिल्स लिमिटेड, काशीपुर	६,८४३	१२	०
३–कुन्दन शुगर मिल्स, अमरोहा ..	२७,२८१	४	०
४–केसर शुगर वर्क्स लिमिटेड, बहेरी	५७,०९३	१२	०
५–एल० एच० शुगर फैक्ट्रीज ऐन्ड आयल मिल्स लिमिटेड, पीलीभीत	४३,९६८	१२	०
६–धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड, धामपुर ..	५२,१२५	०	०
७–दि अपर गैंजेज शुगर मिल्स लिमिटेड, सिवहारा ..	११,५३१	४	०
८–रजा शुगर फैक्ट्रीज, रामपुर ..	९६,६५६	४	०
९–बुलन्द शुगर फैक्ट्रीज, रामपुर ..	९२,५३१	४	०
१०–हिन्दुस्तान शुगर मिल्स लिमिटेड, गोलागोकरननाथ ..	१,०६,१२५	०	०
११–कमलापति मोतीलाल शुगर मिल्स, मसोधा ..	६८,०६२	८	०
१२–श्री आनन्द शुगर मिल्स लिमिटेड, खलीलाबाद ..	२३,८१२	८	०
१३–माधो कन्हैया महेशगौरी शुगर मिल्स लिमिटेड, मुंडेखा ..	१,००,१२५	०	०
१४–बस्ती शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड, बस्ती ..	१,१५,१२५	०	०
१५–बस्ती शुगर मिल्स कम्पनी लिमिटेड, वाल्टरगंज ..	१,२६,३७५	०	०
१६–सेक्सरिया शुगर मिल्स कम्पनी लिमिटेड, बभनान ..	१,२४,६८७	८	०
१७–नवाबगंज शुगर मिल्स कम्पनी लिमिटेड, नवाबगंज ..	९७,६८७	८	०
१८–बलरामपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड, तुलसीपुर ..	३३,१२५	०	०
१९–बलरामपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड, बलरामपुर ..	६०,५६२	८	०
२०–परताबपुर कम्पनी लिमिटेड, मैरवा ..	१,३३,५००	०	०
२१–श्री सीताराम शुगर कम्पनी लिमिटेड, बैतालपुर ..	३७,६८७	८	०
२२–कानपुर शुगर वर्क्स लिमिटेड, गोरीबाजार ..	३४,१२५	०	०

विधान सभा

२३—विष्णु प्रताप शुगर वर्क्स लिमिटेड, खड्डा	..	५,६२५	०	०
२४—पडरौना राजकृष्ण शुगर वर्क्स लिमिटेड, पडरौना	..	३२,८१२	८	०
२५—लक्ष्मी देवी शुगर मिल्स लिमिटेड, छितौनी	..	१८७	८	०
२६—जगदीश शुगर मिल्स, लिमिटेड, कठकुइयां	..	२२,६८७	८	०
२७—यू० पी० शुगर वर्क्स लिमिटेड, शिवराही	..	११,०६२	८	०
२८—सरैया शुगर फैक्ट्री, सरदारनगर	..	१,१६,६२५	०	०
२९—डायमंड शुगर मिल्स लिमिटेड, पिपराइच	..	१,८७५	०	०
३०—पिपराइच शुगर मिल्स लिमिटेड, पिपराइच	..	२३,६२५	०	०
३१—पंजाब शुगर मिल्स कम्पनी लिमिटेड, घुघली	..	९८,२५०	०	०
३२—महाबीर शुगर मिल्स लिमिटेड, सिसवा बाजार	..	३७,१२५	०	०
३३—गणेश शुगर मिल्स लिमिटेड, फरेंदा	..	१,२८,८१२	८	०
३४—गोकुल शुगर मिल्स, कीछा	..	२,६०,२७१	५	९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'म'

(देखिए अतारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८३ पर)

डिप्टी-रेन्जरों की संख्या	तारीख जिससे आफिशियेट कर रहे हैं
१	१-३-४२
१	१-१-४४
२	१-१-४५
१	१-२-४५
१	१-७-४५
५	१-४-४६
२	१-३-४७
१	११-७-४७
१	१-१-४८
१	१-१०-४८
१	१७-५-५०
५	१-९-५०
१	४-२-५१
१	२४-७-५१
१	२२-३-५१
१	२४-२-५२

विधान सभा प्रदेश उत्तर

नत्थी 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३२८ पर)

मंत्रियों को परामर्श देने के लिए स्थायी समितियों के निर्वाचन, संघटन तथा कार्य-विधि के नियम

१—(क) सम्भ २ में उल्लिखित विषयों पर मंत्रियों को परामर्श देने के लिए निम्नलिखित स्थायी समितियां होंगी और उनका निर्वाचन अनुपाति प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकल संक्रमणीय मत (Single Transferable Vote) द्वारा यथास्थिति विधान सभा और विधान परिषद् द्वारा किया जायगा ।

क्रम-संख्या	विषय	सदस्यों की संख्या जो निर्वाचित किए जायंगे	
		विधानसभा द्वारा	विधान परिषद् द्वारा
१	२	३	४
१	हरिजन सम्बन्धी	१४	३
२	शरणार्थी	१४	३
३	सामान्य प्रशासन	१४	३
४	सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें)	१४	३
५	सार्वजनिक निर्माण विभाग (सिंचाई)	१४	३
६	सार्वजनिक निर्माण विभाग (विद्युत्)	१४	३
७	शिक्षा	१४	३
८	श्रम	१४	३
९	वन	१४	३
१०	माल	१४	३
११	न्याय तथा विधान सम्बन्धी	१४	३
१२	कृषि तथा पशु-पालन	१४	३
१३	आबकारी	१४	३
१४	जेल	१४	३
१५	चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य	१४	३
१६	स्थानीय स्वशासन सम्बन्धी संस्थाएं	१४	३
१७	सूचना	१४	३
१८	रसद	१४	३
१९	पुलिस	१४	३
२०	यातायात	१४	३
२१	उद्योग	१४	३
२२	विकास	१४	३
२३	सहकारी	१४	३

(ख) मन्त्री, उपमन्त्री तथा सभा सचिव (Parliamentary Secretaries) अपने अपने विषयों से सम्बन्धित समितियों (Committees) के सदस्य अपने पद के अधिकार से होंगे ।

(ग) जब कभी भी आवश्यक हो, एक या एक से अधिक सम्बन्धित मन्त्री दो या दो से अधिक समितियों की संयुक्त बैठकें बुला सकते हैं।

(घ) यदि विधान सभा का कोई ऐसा सदस्य जो असरकारी विधेयक प्रस्तुत कर रहा हो सम्बन्धित समिति का सदस्य न हो तो वह समिति की उस बैठक में सम्मिलित हो सकता है जिसमें प्रस्तावित विधेयक पर विचार किया जा रहा हो, परन्तु उसको मत (vote) देने का अधिकार न होगा।

(ङ) समितियों के सदस्यों का कार्यकाल वह वित्तीय वर्ष होगा जिस के लिए वे निर्वाचित किए गये हों या उस वित्तीय वर्ष का, जिस के लिये वे निर्वाचित किये गये हों, वह भाग होगा जो उन के निर्वाचित होने के समय शेष रह गया हो, परन्तु कोई भी सदस्य फिर से निर्वाचित किया जा सकेगा।

२--प्रत्येक समिति का सभापति (चेयरमैन) उस विषय से सम्बन्धित विभाग का मंत्री होगा जिस के लिए समिति बनायी गयी हो या कोई उपमंत्री या सभा सचिव होगा या कोई ऐसा सदस्य होगा जिसे सभापति (चेयरमैन) के रूप में कार्य करने के लिए उक्त मंत्री उस समय नामांकित करें, जब वह उपस्थित न हो सकें। मंत्री द्वारा नामांकित कोई पदाधिकारी समिति का सचिव (Secretary) होगा

३--किसी समिति का कोई सदस्य जो यथास्थिति या विधान परिषद् का सदस्य न रहे उस समिति का भी सदस्य नहीं रहेगा और यदि इस कारण या किसी अन्य कारण से उस विधि के भीतर जिस के लिए समिति नियुक्त की गयी हो, समिति में कोई स्थान रिक्त हो जाय तो ऐसे रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए निर्वाचन के लिए यथास्थिति विधान सभा या विधान परिषद् में यथाशीघ्र प्रस्ताव रक्खा जायगा।

४--स्थायी समिति के सामने साधारणतया निम्नलिखित विषय रक्खे जायेंगे :--

(क) ऐसे सब असरकारी विधेयक जो विधान मंडल (Legislature) में प्रस्तुत किये जायं या जिन को प्रस्तुत करने का प्रस्ताव हो, और ऐसे विधान सम्बन्धी प्रस्ताव (Legislative proposals) जिन पर सम्बन्धित विभाग कार्यवाही करना चाहे।

(ख) समितियों और कमीशनों के प्रतिवेदन (जिनमें वैभागिक समितियों के अप्रकाशित प्रतिवेदन सम्मिलित नहीं हैं)।

(ग) सामान्य नीति सम्बन्धी बड़े प्रश्न तथा बड़ी योजनाएं जिन पर सम्बन्धित मंत्री समिति की परामर्श लेना चाहें।

(घ) वार्षिक प्रतिवेदन।

(ङ) सम्बन्धित मंत्री की अनुमति से सार्वजनिक महत्व का कोई भी विषय, जो समिति के कार्यक्षेत्र में हो और जो समिति का कोई भी सदस्य विचार के लिए प्रस्तुत करे।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि :--

(१) अत्यन्त आवश्यकता की दशा में सम्बन्धित मंत्री को अधिकार होगा कि वह समिति का परामर्श न ले।

(२) नीचे लिखे हुए विषय समिति के कार्य क्षेत्र में न होंगे :--

(१) अधिकारियों अथवा कर्मचारियों से सम्बन्धित ऐसे व्यक्तिगत विषय जिनका सम्बन्ध नियुक्तियों, स्थान नियुक्तियों, स्थान परिवर्तनों अथवा अनुशासन से हो;

(२) ऐसे सब विषय जिनको सम्बन्धित मंत्री जनहित के विचार से समिति के सामने प्रस्तुत करना उचित न समझे।

५--स्थायी समितियों (स्टैन्डिंग कमेटीज) का काम परामर्श देना होगा और उनकी कार्यवाहियां पूर्णरूप से गोपनीय होंगी। समिति की किसी भी बैठक में समचार पत्रों के प्रतिनिधियों को उपस्थित होने की आज्ञा नहीं दी जायगी।

६---सचिव स्थायी समिति की बैठक साधारण वर्ष में कम से कम दो बार और यदि हो सके तो तीन बार ऐसी तिथियों पर बुलायेंगे जिन्हें सम्बन्धित मंत्री निर्धारित करें। बैठक का कार्यक्रम सचिव तैयार करेगा और उसे वह ऐसे स्मृति-पत्र के साथ परिचालित करेगा जिसमें वह स्पष्टतया बताया जायगा कि प्रत्येक शीर्षक के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही किस प्रकार की है और वह ऐसे पत्रों की प्रतियां भी समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा जिन्हें सम्बन्धित मंत्री प्रस्तुत करने का आदेश दें। सदस्यगण प्रत्येक बैठक के समाप्त होने पर उक्त पत्र सचिव को लौटा देंगे। समिति की कार्यवाहियां उन्हीं मदों तक सीमित रहेंगी जिन का उल्लेख कार्यक्रम में हो तथा और अधिक सूचना की प्रार्थना पर सम्बन्धित मंत्री की आज्ञा से विचार किया जायगा।

७---किसी स्थायी समिति की किसी बैठक में सभापति सचिव अथवा विभाग के किसी ऐसे पदाधिकारी से, जो विशेष निमन्त्रण से वहां उपस्थित हो, कार्यवाही की किसी बात को समझाने के लिए कह सकता है।

८---इसके पश्चात् सभापति सदस्यों से वाद-विवाद करने के लिये कहेगा और सचिव विभाग की पत्रावली में समिति का सामान्य मत लिख देगा।

पी० एस० यू० पी०--४१ एल० ए०—११५२—८३०